खण्ड १ — अंक ९
१ मार्च, १९५६, (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश म)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा

गुरुवार, १ मार्च, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी फार्म

*३७०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूसी कृषि मशीनरी और अन्य सामान की सहायता से सरकारी उपक्रम के रूप में एक फार्म चलाने की जो योजना थी उसमें अब तक कहां तक प्रगति हुई है;

(ख) किन किन राज्यों ने ऐसे फार्मों को अपने क्षेत्र में आरम्भ करने के लिये निवेदन किया है;

(ग) क्या इस फार्म को केन्द्रीय सरकार चलायेगी अथवा राज्य सरकारें अथवा दोनों;

(घ) यह फार्म किन शर्तों पर चलाया जायगा; और

(ङ) इस फार्म को चलाने के लिये जो योजना बनाई जा रही है उसकी रूप रेखा क्या है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एन० वी० कृष्णप्पा) : (क) फार्म स्थापन करने के लिये उपलब्ध भूमि की तफसील कुछ राज्यों से मिली है और विशेषज्ञों की एक एड हॉक (तदर्थ) कमेटी इन स्थानों का निरीक्षण कर रही है ।

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र, बिहार, मध्य भारत, राजस्थान और विन्ध्य प्रदेश ।

(ग) इस वक्त तो इसे केन्द्रीय कारोबार के रूप में चलाने का ख्याल है ।

(घ) ये सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ तय की जायेंगी ।

(ङ) स्थूल रूप से, यह योजना एक बड़े पैमाने पर यंत्र-चालित फार्म चलाने की है । स्थान पसन्द करने के बाद एक ब्यौरेवार योजना बनाई जायेगी ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या माननीय मंत्री हमें यह बता सकते हैं कि कितने यंत्र और रूपकरण आदि भारत में आ गये हैं और इनका मूल्य क्या होगा ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : उपकरणों का अधिकांश भाग पहले ही भारत पहुंच गया है और शेष जहाज़ से लाया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : चूंकि सरकार का इस तरह का फार्म स्थापित करने का विचार है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं पर विचार कर लिया है अथवा किया जायेगा ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यह फार्म केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जायेगा और राज्य सरकारों द्वारा उसके चलाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वह हमें यह बतायें कि क्या किसी भी राज्य में किसी एक स्थान पर २६,००० से लेकर ३२,००० एकड़ की भूमि एक चक उपलब्ध हो सकती है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूंकि भारत में जो दूसरे मिकैनाइज्ड फार्म्स (यंत्रचालित फार्म) हैं, उन फार्म्स में और रूसी यन्त्रों से चलाये जाने वाले फार्म की कार्य पद्धति आदि में क्या अन्तर होगा और क्या इस फार्म में कार्य प्रारम्भ करने के लिए रूसी विशेषज्ञ भी यहां आयेंगे ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : हां कुछ ऐसा भी इरादा है कि फार्म को बनाते वक्त कुछ रूसी विशषज्ञों को यहां पर बुलाया जाय और जिस पैमाने पर यह फार्म मिकैनाइज्ड होगा, उस पैमाने पर हिन्दुस्तान में कोई दूसरा फार्म मिकैनाइज्ड नहीं है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि आपको जो जमीनें स्टेट्स से मिलने वाली हैं, उन ज़मीनों पर इन मशीनों के जरिये से हर किस्म का अन्न उपजाया जा सकेगा ?

श्री ए० पी० जैन : दुनिया में कोई जमीन ऐसी नहीं है जिसमें हर क़िस्म का अन्न उपजाया जा सके।

सेठ गोविन्द दास : अभी इस प्रकार के कितने फार्म बनाने का और इरादा है और क्या यह निश्चय किया गया है कि इतने इतने वर्षों में यह फ़ार्म बन जायेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : अभी आगे की कोई स्कीम नहीं है, अभी तो यह फार्म ही बनाने का इरादा है।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : आन्ध्र, रायला सीमा और भागों में कितने फार्म स्थापित किये जाने को हैं ?

†**श्री ए० पी० जैन** : सम्पूर्ण भारत में केवल एक ही फॉर्म स्थापित किया जा रहा है।

†**श्री एम० डी० पांडे** : किस स्थान पर ?

श्री ए० पी० जैन : राज्यों की सूची पढ़कर सुना दी गई है। इन सब ने भूमि देने का प्रस्ताव किया है। सबसे उपयुक्त स्थान को ही चुना जायेगा।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या उपहार स्वरूप दी गयी पहली २००० टन रूसी मशीनें सरकार द्वारा प्राप्त कर ली गयी हैं, और यदि हां, तो यह किस स्थान पर लगायी जायेंगी ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : उनमें से अधिकांश हमें मिल गई हैं और उस को बम्बई से दिल्ली ले आये हैं और वह केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन (सी० टी० ओ०) के मुख्य कार्यालय में पड़ी हुई हैं।

†**श्री केशव अय्यंगार**: क्या सरकार को यह तथ्य विदित है कि सामुहिकीकरण के रूसी प्रयोग की भारी कीमत अदा करनी पड़ी है और वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है ? क्या सरकार यथार्थवादी बनेगी और राजकीय फ़ार्मों को भारतीय परिस्थितियों अथवा उसी प्रकार के आधारों पर संगठित करेगी ?

†**श्री ए० पी० जैन** : राजकीय फ़ार्मों का सामुहिकीकरण से कोइ सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री आर० एस० तिवारी : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म को केवल सरकार ही चलायेगी या सरकार इसमें किसानों से काम करवायेगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सरकार किसानों से काम करवायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि जो भूमि राज्य सरकारों ने आपको बतलाई है, उसमें क्या कुछ किसानों की ज़मीने भी हैं और अगर उसमें कुछ किसानों की भूमि है तो उस भूमि के बदले में उनको क्या कुछ मुआवज़ा दिया जायगा ?

श्री ए० पी० जैन : अभी उन्होंने भूमियां बताई हैं, अभी उनकी जांच पड़ताल नहीं की गई है इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसमें कुछ टुकड़ा ऐसा नहीं होगा जो किसानों के पास होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी तो किसानों को उनकी भूमि के बदले में भूमि दी जायगी ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : उस मिकैनाइज्ड फार्म (यंत्रीकृत फार्म) के चलाने से कितने बैल बेकार हो जायेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : कोई बैल बेकार नहीं होगा क्योंकि वहां पर हैं ही नहीं । यह तो फार्म अभी चलेगा ।

†**डा० रामा राव :** इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि तुंगभद्रा बांध अत्यधिक धन व्यय करके बनाया गया है और वहां के जल का उपयोग नहीं किया जाता है और भूमि कृषि करने योग्य नहीं है, तो क्या सरकार का उस भूमि को लेकर वहां पर सरकारी फ़ार्म शुरू करने का कोई इरादा है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** तुंगभद्रा क्षेत्र का कृष्यकरण करने की एक योजना है। इस भमि को बांध के पानी से सींचा जायेगा । परन्तु इस फार्म का उस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति :** क्या सरकार यह बता सकती है रूस की सरकार द्वारा दिये गये उपकरणों के लिये किस प्रकार की भूमि अपेक्षित है और क्या इस प्रकार की भूमि उत्तर अथवा दक्षिण में नहीं पायी जाती है ?

†**श्री ए० पी० जैन :** भूमि का चुनाव करने के लिये हमने कुछ मानदण्ड निर्धारित कर दिये हैं । इन में से एक यह कि भूमि अच्छी और उर्वर होनी चाहिए । दूसरे, यह उपयुक्त स्थान पर स्थित होनी चाहिये, अर्थात परिवहन के साधन आदि होने चाहियें । फिर, वहां निश्चित रूप से वर्षा होती रहनी चाहिये अथवा वहां पहले से हीं सिंचाई के साधन मौजूद होने चाहियें या इस प्रकार के साधन होने चाहियें जिन को विकसित किया जा सके । इस प्रकार कुछ मानदण्ड निर्धारित कर दिये गये हैं और इन्हीं के आधार पर चुनाव किया जायेगा ।

†**श्री वीरस्वामी :** क्या मद्रास सरकार से इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया है, और क्या वह मद्रास में कोई राजकीय फॉर्म की स्थापना करने के लिये तैयार हैं, और यदि हां, तो किस स्थान पर ?

†**श्री ए० पी० जैन :** प्रत्येक राज्य सरकार को इस फ़ार्म को स्थापित करने की प्रस्थापना की सूचना दे दी गयी थी और अब राज्य सरकारों को अपनी प्रस्थापनायें प्रस्तुत करनी हैं ।

चीनी मिलें

†***३७१. श्री राघा रमण :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५ के अन्त तक सहकारी चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी थी ?

†**खाद्य और कृषि उपमन्त्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) :** १९५५ में कुल तीन सहकारी चीनी मिलें थीं । इसके अतिरिक्त, १९५५ के अन्त तक बीस और नयी सहकारी मिलों की स्थापना के लिये लाइसेंस मंजूर किये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण**: इन सहकारी चीनी मिलों में कुल कितनी पूंजी लगायी गयी है ? क्या सरकार ने उनकी स्थिति को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिये उनको कुछ ऋण दिया है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : प्रत्येक सहकारी फ़ॉर्म से कम से कम १० लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी एकत्र कर लेने की आशा की जाती है। इसके उपरान्त, फैक्टरी को चलाने के लिये, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर, सरकार उनको १० लाख से २० लाख रुपये तक देगी और औद्योगिक वित्त निगम उनको ४० लाख रुपये देगा।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार को इन सहकारी चीनी मिलों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे थे और यदि हां, तो कितनी-कितनी अवधि के उपरान्त ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : मैं नहीं जानता कि प्रतिवेदनों का प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ? यह मिलें सहकारी-समितियों द्वारा स्थापित की जा रही हैं। उन को लासैंस दिये गये हैं।

†**श्री बोगावत** : बम्बई राज्य और अहमदनगर ज़िले के लिये कुल कितनी सहकारी चीनी मिलों की मंजूरी दी गयी है, और क्या अहमदनगर ज़िले की सहकारी चीनी मिलों द्वारा मांगा गया सारा धन मंजूर कर दिया गया है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : इन बीस सहकारी मिलों में से तेरह बम्बई राज्य में हैं। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि उनमें से कितनी अहमदनगर ज़िले में हैं।

†**श्री बी० डी० पांडे** : इन में से कितनी.....

†**श्री बोगावत** : मेरे प्रश्न के अंतिम भाग का.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति-शान्ति ! माननीय सदस्यों को इस प्रकार एक साथ प्रश्न नहीं पूछते जाना चाहिये। जब तक कि मैं किसी माननीय सदस्य का नाम न पुकारूं तब तक उनको कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिये। अब, श्री बी० डी० पांडे।

†**श्री बी० डी० पांडे** : इन में से कितनी सहकारी चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उत्तर प्रदेश म एक सहकारी चीनी मिल है जिसको लाइसैंस दिया गया है।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : आंध्र में ऐसी कितनी सहकारी-चीनी मिलों की स्थापना की जाने को है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : आंध्र में तीन सहकारी मिलों को लाइसेंस दिये जायेंगे।

कई माननीय सदस्य उठे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूं कि वह राज्य-वार आंकड़ों का एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दें।

†**श्री ए० पी० जैन** : हम यह कर देंगे।

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मैं इन सब की एक सूची लोकसभा पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस सूची को देखकर बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं।

उपनगरीय रेलवे मंत्रणा समिति

†*३७२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में,

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की उपनगरीय रेलवे सेवाओं में सर्वाधिक व्यस्त घंटों में अत्यधिक भीड़-भाड़ की समस्या की जांच करने, और उसके निराकरण-सम्बन्धी कार्यवाही का सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने उन पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : प्राक्कलन समिति की इन सिफारिशों को, कि राज्य सरकारों और व्यापारिक-संस्थाओं से परामर्श करके कार्यालयों के समय बदल दिये जायें जिससे कि सर्वाधिक व्यस्त घंटों को फैलाया जा सके, कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : हमें आशा है कि इस समिति का अन्तिम प्रतिवेदन मार्च के अन्त तक प्राप्त हो जायगा , उस प्रतिवेदन के प्राप्त होते ही, उन सब मामलों पर उचित ध्यान दिया जायगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव**: प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि ग़ैर-सरकारी सदस्यों को भी समिति से सम्बद्ध किया जाना चाहिए । क्योंकि समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिये क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह समिति दिसम्बर, १९५५ में नियुक्त की गई थी । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, इस समिति में केवल रेलवे के पदाधिकारी ही हैं; इनमें से कुछ सेवायुक्त हैं और कुछ अवकाश प्राप्त कर चुके हैं । अब तक तो समिति से किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को सम्बद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि यह कार्य अत्यन्त ही प्रविधिक प्रकार का है । समिति के सभी सदस्य अवकाश-प्राप्त पदाधिकारी हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या भारत के सबसे बड़े नगरों से किसी एक में भूगर्भ रेलवे बनाने की सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : क्या माननीय सदस्य का आशय कलकत्ते में भूगर्भ रेलवे के निर्माण से है ?

†**श्री कासलीवाल** : दिल्ली अथवा बम्बई या कलकत्ते में ? क्या इस सम्बन्ध में आपकी कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति**: मद्रास में भी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : अभी तो नहीं है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि हावडा-बर्दवान खण्ड का विद्युतीकरण १९५७ के मध्य तक पूरा कर दिया जायेगा । परन्तु हम को जो आय-व्ययक सम्बन्धी पत्र दिये गये हैं, उन में यह ज्ञात होता है कि यह समय १९५८ तक बढ़ा दिया गया है । समय के बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : यह तो एक बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य रेलवे आय-व्ययक पर वाद-विवाद के समय इस प्रश्न को उठा सकते हैं ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : आय-व्ययक सम्बन्धी चर्चा के समय तो हम को केवल पन्द्रह मिनट दिये जाते हैं इसलिये, उस समय हम इन सब प्रश्नों को किस प्रकार उठा सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : परन्तु प्रश्नोत्तर-काल को भी आय-व्ययक-वाद-विवाद में किस प्रकार परिवर्त्तित किया जा सकता है ?

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : यह प्रश्न उपनगरीय रेलवे सेवा के विद्युतीकरण से सम्बन्धित है।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री)** : आय-व्ययक पर बोलते समय मैं इस प्रश्न को स्पष्ट कर दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य को इस प्रश्न को उठाने का अवसर नहीं भी मिलेगा तो भी मंत्री महोदय स्वयं इसका उत्तर दे देंगे।

रेलगाड़ियां

†*३७४. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युद्ध-काल में यात्री गाड़ियों की संख्या में जो कमी की गयी थी वह अभी तक पूरी नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी रेलवे में कौन सी गाड़ियां अभी तक पुनः चालू नहीं की गयीं हैं; और

(ग) वह कब तक पुनः चालू कर दी जायेंगी ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) सूचना देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) पश्चिमी रेलवे पर युद्ध पूर्व की गाड़ियों को पुनः चालू करने के प्रश्न का हाल ही में यातायात सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से सिंहावलोकन किया गया था। इस समय बड़ी लाइन की केवल चार ही ट्रेनों—आनन्द-कैम्बे और आनन्द-गोधरा खण्डों में से प्रत्येक में दो—की पुनः स्थापना के औचित्य को सिद्ध किया जा सकता है। इस कार्य के लिये अतिरिक्त डिब्बे और इंजन प्राप्त होने पर इन ट्रेनों को पुनः स्थापित कर दिया जायगा।

†**श्री डाभी** : मंत्री महोदय ने जिन चार ट्रेनों का उल्लेख किया वह लगभग कब तक पुनः चालू की जा सकेंगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा मैंने अभी कहा यह प्रश्न इंजनों और डिब्बों की उपलब्धि पर निर्भर है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है कि रेलवे मंत्रालय, जहां से भी संभव हो, इंजन प्राप्त करने का यथाशक्ति प्रयास कर रहा है।

श्री डाभी : क्या सभा-सचिव हम को यह आश्वासन दे सकते हैं कि एक या दो वर्षों के भीतर इन लाइनों पर गाड़ियां पुनः चालू कर दी जायेंगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह आश्वासन आयव्ययक चर्चा के समय दिया जायेगा। यह सब मामले यात्रियों की सुख-सुविधाओं से सम्बन्धित हैं। इन को बाद में उठाया जा सकता है।

पंजाब और पेप्सू में बाढ़ सहायता

†*३७५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर १९५५ में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण फसलों को हुई हानि के सम्बन्ध में केन्द्र ने पंजाब और पेप्सू को विभिन्न प्रकार से कुल कितनी सहायता दी ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०**]

†**श्री डी० सी० शर्मा** : विवरण से ज्ञात होता है कि पंजाब को समग्र रूप से ५६ लाख रुपया दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है किन्तु पेप्सू को १,२६,८५,००० रुपया दिया गया है। पंजाब को पेप्सू से आधी राशि दिये जाने का क्या कारण है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: तुलना करना अरुचिकर होता है, किन्तु कारण यह है कि पंजाब ने कम की मांग की थी।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : विवरण से ज्ञात होता है कि पेप्सू को २.५ लाख रुपये मकानों के पुनर्निर्माण के लिये दिये गये थे; और मुझे इससे बहुत प्रसन्नता हुई है। किन्तु पंजाब में, विशेषतया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इतने मकानों के गिर जाने पर भी पंजाब को इस कार्य के लिए क्यों कोई ऋण नहीं दिया गया ?

†**श्री ए० पी० जैन** : माननीय सदस्य पहले यह मालूम कर लें कि क्या पंजाब ने इस प्रकार की किसी सहायता की मांग की थी।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : पंजाब सरकार की मांगें क्या थीं, और उन्हें किस सीमा तक पूरा किया गया था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में एक अतारांकित प्रश्न पूछना चाहिये।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैं सहायता की योजना बताये देता हूँ और मेरे विचार से इससे माननीय सदस्य की संतुष्टि हो जायेगी।

कुछ मदों को केन्द्र द्वारा सहायता दिये जाने के लिये निश्चित किया गया है। आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों को इन मदों पर व्यय करने की अनुमति है। जब सारा व्यय पूरा हो जाता है, तब राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये प्रार्थना करती है। यदि कुल व्यय दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है तो केन्द्र व्यय का ५० प्रतिशत अनुदान के रूप में देता है। यदि यह व्यय दो करोड़ रुपये से अधिक होता है, तो पहले दो करोड़ रुपये के लिये केन्द्र ५० प्रतिशत देता है, और दो करोड़ रुपये से अधिक राशि के लिये केन्द्र ७५ प्रतिशत देता है। यदि किसी राज्य सरकार के पास पर्याप्त साधन न हों, तो वह केन्द्रीय सरकार से ऋण के लिये प्रार्थना कर सकती है।

अतः केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श किये बिना पहल राज्य सरकार को ही करनी है।

†**श्री आर० पी० गर्ग** : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी संतुष्टि कर ली है कि पंजाब और पेप्सू को दी गई सारी सहायता का पूरा उपयोग किया गया है ?

†**श्री ए० पी० जैन** : यह काम राज्य सरकारों का है। माननीय सदस्य अपने किसी मित्र की जो स्थानीय विधान सभा के सदस्य हों, सहायता ले सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस सम्बन्ध में एक बात सामान्य रूप से कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि स्थानीय विधान सभायें भी हैं। राज्य सरकार द्वारा जो भी सहायता मांगी जाती है वह केवल राज्यों का ही विषय है। सब से पहले माननीय सदस्यों को मालूम करना चाहिये कि कितने की मांग की गई है, कितना दिया गया है, और क्या किया जाना शेष है। हमें इस सरकार को एकीय प्रकार की सरकार नहीं बना लेना चाहिये, जिस का कि केवल एक ही विधानमण्डल हो, बहुत सा समय उन विषयों पर लगाया जा रहा है, जोकि राज्य विधान सभाओं में उठाये जाने चाहिये।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : हम एकीय प्रकार की सरकार के पक्ष में हैं।

†**श्री नाम्बियार** : राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में यही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

†*३७६. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा चलाई गई ग्रामीण आयोजन सम्बन्धी राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत नये खंडों के लिये सहकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के हेतु राजस्थान में कोटा में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा रहा है ;

(ख) क्या इस प्रकार के केन्द्र अन्य स्थानों पर भी खोले जायेंगे, और

(ग) प्रत्येक केन्द्र में कितने पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा और प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)**: (क) सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार खंडों में खंड स्तर सहकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत ऐसे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये राजस्थान में कोटा में एक केन्द्र खोला गया है ।

(ख) जी हां, पांच और केन्द्र खोले गये हैं और शेष दो केन्द्रों के शीघ्र ही खोले जाने की आशा है ।

(ग) प्रत्येक केन्द्र में प्रत्येक वर्ष लगभग १०० उम्मेदवार प्रशिक्षित किये जायेंगे । प्रशिक्षण पाठ्य क्रम १० मास की अवधि का होता है ।

†**श्री गिडवानी** : इन पदाधिकारियों की अर्हतायें क्या है, और उनका वेतन-क्रम क्या होगा ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : सामान्यतया राज्य सरकारें स्नातकों को चुनती हैं । प्रशिक्षण काल में हम उन्हें ५० रुपये की छात्रवृत्ति देंगे । इसके बाद उन्हें ५० रुपयें से लेकर १५० रुपये तक वेतन मिलेगा ।

†**श्री गिडवानी** : क्या वे सरकार के स्थायी कर्मचारी होंगे या केवल अस्थायी ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री नानादास** : क्या सरकार सहकारी संगठन से कुछ सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी कर्मचारियों को इसरॉइल और चीन को, जहां सहकारिता उन्नत अवस्था में है, भेजने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : उत्पादक सहकारिता सम्बन्धी गतिविधियों के विकास का अध्ययन करने के लिये सरकार का विचार एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजने का है ।

†**ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूँ कि कोओपेरेटिव आन्दोलन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ऐसी ट्रेनिंग देने के बारे में तरजीह (वरीयता) दी जायेगी ?

†**श्री ए० पी० जैन** : अगर वे शर्तें पूरी करेंगे ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : टाप लेवल आफ़िसर्ज़ (उच्च स्तरीत पदाधिकारियों) कहने से उपमंत्री का क्या अभिप्राय था ? क्या वे घोषित अथवा अघोषित श्रेणी के हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मैं ने 'टाप लेवल आफिसर्ज' कब कहा था ?

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : अपने उत्तर में ।

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : प्रश्न "ब्लाक लेवल आफिसर्ज" (खंड स्तर पदाधिकारियों) के बारे में है, 'टाप लेवल आफिसर्ज' के बारे में नहीं ।

स्वास्थ्य अभिकरण

†*३७७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत में कार्य कर रही उभय पक्षीय और बहुपक्षीय स्वास्थ्य अभिकरणों की मुख्य गतिविधियां क्या थीं, और

(ख) इसी अवधि में स्वास्थ्य समन्वय समिति के प्रयत्न किस हद तक सफल हुये ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) (१) विश्व स्वास्थ्य संगठन

(२) यूनिसेफ (संयुक्तराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि)

(३) कोलम्बो योजना प्रशासन और

(४) टी० सी० एम० (प्रविधिक सहयोग मिशन) की, जो कि भारत में कार्य कर रहे उभयपक्षीय

---

†मूल अंग्रेजी में

और बहुपक्षीय अभिकरण हैं, मुख्य गतिविधियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में इन क्षेत्रों में सहायता देने तक सीमित हैं :—

(१) विशेषज्ञ परामर्श और सहायता
(२) प्रशिक्षण
(३) उपकरणों का संभरण

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई स्वास्थ्य समन्वय समिति भारत में स्वास्थ्य से सम्बन्धित मामलों में कार्य कर रहे इन उभयपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्वास्थ्य अभिकरणों की गतिविधियां में समन्वय स्थापित करती है, यह विभिन्न अभिकरणों के कृत्यों में अतिछादन को रोकने और इस बात का सुनिश्चय करने में, कि इन अभिकरणों के प्रयत्न एक दूसरे के संपूरक अथवा अनुपूरक हों, सफल हुई है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : इन अभिकरणों द्वारा कितनी अधिछात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव किया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : भारत को इन विभिन्न अभिकरणों द्वारा दी गई अधिछात्रवृत्तियों की संख्या इस प्रकार है :

१९५३	विश्व स्वास्थ्य संगठन	७
	प्रविधिक सहयोग मिशन	१९
	कोलम्बो योजना	१९
१९५४	विश्व स्वास्थ्य संगठन	१२
	प्रविधिक सहयोग मिशन	१५
	कोलम्बो योजना	५
१९५५	विश्व स्वास्थ्य संगठन	४
	प्रविधिक सहयोग मिशन	५
	कोलम्बो योजना	१२

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : समन्वय समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : समन्वय समिति में भारत सरकार के और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के पदाधिकारी हैं ।

काम दिलाऊ दफ्तर

*३७८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या श्रम मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम दिलाऊ दफ्तरों को राज्य सरकारों के अधीन दिये जाने के बाद भी कुछ श्रेणी के पदाधिकारी और कर्मचारी सीधे भारत सरकार के नियंत्रण में ही रहेंगे; और

(ख) यदि हां तो उनकी श्रेणियाँ क्या हैं और किन किन स्थानों पर कार्यालय रखे जायेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) केन्द्रीय सरकार की काम दिलाऊ विभागों से सम्बन्धित नीति निश्चित करने के लिये एवं इन विभागों के कामों में समानता लाने के लिये कुछ अफ़सर केन्द्रीय सरकार के अधीन ही काम करते रहेंगे ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि यह जो काम दिलाऊ दफ्तर हैं यह राज्य सरकारों के सुपुर्द किये जा रहे हैं और उन पर जो खर्चा होगा उसका अधिकांश भाग भी केन्द्रीय सरकार ही बरदाश्त करेगी ? यदि यह स्थिति है तो इनको राज्य सरकारों के सुपुर्द करने की क्या आवश्यकता समझी गई ?

श्री आबिद अली : जिस तरह अब है कि ६० प्रतिशत खर्चा केन्द्रीय सरकार बरदाश्त करती है और ४० प्रतिशत राज्य सरकारें बरदाश्त करती हैं, यही प्रथा बाद में भी चलती रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि शिवा राव कमिटी ने यह सिफारिश की है कि रोज़गार दफ्तरों को छः श्रेणियों में बांट दिया जाये ? क्या मैं जान सकता हूँ कि इन दफ्तरों को राज्य सरकारों के सुपुर्द करते समय उनको छः श्रेणियों में बांटना निश्चित कर दिया गया है या राज्य सरकारें उसमें परिवर्तन कर सकेंगी अपनी इच्छा के अनुसार ?

श्री आबिद अली : इस तरह का परिवर्तन करने के लिये राज्य सरकारों को कुछ तो आज़ादी रहेगी ही ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूँ कि जबकि केन्द्रीय सरकार इन दफ्तरों पर ६० प्रति शत व्यय करेगी तो उसका इन दफ्तरों पर किस प्रकार का नियंत्रण होगा और इस धन के व्यय की देख रेख किस प्रकार होगी ? साथ ही साथ यह बताने की भी कृपा करें कि इन एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज़ (काम दिलाऊ दफ्तरों) के राज्य सरकारों के अधीन हो जाने के बाद उनमें प्रॉविंशलिज्म (प्रान्तीयता) की प्रवृत्ति ज्यादा तो नहीं बढ़ जायेगी ?

श्री आबिद अली : काम दिलाऊ दफ्तरों को राज्य सरकारों के सुपुर्द कर देने के बाद जहां तक काम चलाने के बारे में नीति निर्धारित करने का सम्बन्ध है वह तो केन्द्रीय सरकार ही निर्धारित करेगी, हां, राज्य सरकारों से सलाह मश्विरा वह अवश्य करती रहेगी । जहां तक प्राविंशलिज्म का ताल्लुक है यह हमें मान ही लेना चाहिये कि राज्य सरकारें भी डेमोक्रटिक (प्रजातंत्रीय) तरीके से चुनी गई हैं और उनसे ऐसी उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिये और जो शक माननीय सदस्य ने बताया है उसकी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये ।

†**श्री वलायुधन** : क्या दिल्ली का काम दिलाऊ दफ्तर राज्य सरकार को दे दिया जायेगा या केन्द्र उसे अपने हाथ में रखेगा ?

†**श्री आबिद अली** : यह तो दिल्ली राज्य के ढांचे पर निर्भर होगा ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति**: क्या उपमंत्री यह बता सकते हैं कि यह ६० प्रतिशत अंशदान कब तक दिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, जब तक यह विभाग चले ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूँ कि अगली पंचवर्षीय योजना में रोज़गार दफ़तरों के विकास के लिये भी कोई योजना बनाई गई है जिससे कि कम से कम प्रत्येक ज़िले में या प्रत्येक मुख्य केन्द्र में इसका एक एक कार्यालय अवश्य खल जाये ?

श्री आबिद अली : जी हां, इन दफ़तरों को काफ़ी बढ़ाया जायेगा ।

†**श्री गिडवानी** : क्या विभिन्न काम दिलाऊ दफ़तरों के वर्तमान कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा सेवायुक्त रखा जायेगा या उन की सेवायें समाप्त कर के नये कर्मचारी लिये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : सभी वर्तमान कर्मचारियों को सेवायुक्त रखा जायेगा ।

पत्तन विकास

†*३८१. **डा० रामा राव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम के मुख्य पत्तन का प्रस्तावित विकास सम्बन्धी व्यय क्या है; और

(ख) अन्य मुख्यापत्तनों का प्रस्तावित व्यय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३९७.४३ लाख रुपये।

(ख) ५८३१.३३ लाख रुपये।

†**डा० रामा राव** : क्या विशाखापटनम पत्तन के प्रस्तावित विकास में पोतांगण में पोत ठहराने के स्थानों के विकास की भी कोई योजना सम्मिलित है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे विचार में पोत ठहराने के अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करने का भी विचार है। मेरे पास ब्योरा नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विशाखापटनम पत्तन की कार्य क्षमता के ३३ लाख टन तक बढ़ जाने की आशा है।

†**श्री वेलायुधन** : भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में, क्विलोन पत्तन पर पुल बनाने के लिये सरकार ने कितने रुपये की मंजूरी दी है, और क्या इस पुल विशेष के स्थान के बारे में कोई झगड़ा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री वेलायुधन** : यह भाग (ख) के उत्तर से उत्पन्न होता है।

***उपाध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूँ अन्य मुख्य पत्तनों के कुल प्रस्तावित व्यय के सम्बन्ध में पूछा गया है, छोटे छोटे मामलों के सम्बन्धों में अलग अलग नहीं पूछा गया है।

†**श्री वेलायुधन** : यह कोई छोटा मामला नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ब्योरा यहां नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या मैं अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकता हूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इस की अनुमति नहीं देता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में, अर्थात् अन्य मुख्य पत्तनों पर किये जाने वाले प्रस्तावित व्यय के सम्बन्ध में, मैं जान सकती हूँ कि कलकत्ता पत्तन पर कितना व्यय किया जायेगा ?

†**उपाध्क्ष महोदय** : यह तो वही प्रश्न है। क्या माननीय उपमत्री के पास इस ५८ करोड़ रुपये के व्यय का ब्योरा है ?

†**श्री अलगेशन** : जी हां।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह इसे लोक-सभा पटल पर रख देंगे।

†**श्री अलगेशन** : जी हां।

†**डा० रामा राव** : पत्तन के विकास के अंगरूप प्रस्तावित शुष्क गोदी (डाक) क कार्य म कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्री अलगेशन** : यह इस का भाग नहीं है।

चीनी

†***३८२. श्री विश्वनाथराय** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी और गन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में निश्चित किये गये लक्ष्य को देखते हुए क्या अधिक अच्छी खेती के लिये गन्ने तथा भूमि की गवेषणा के सम्बन्ध में और अधिक गवेषणा-केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी कृष्णप्पा)** : जी, हां। द्वितीय योजना अवधि में मध्य-भारत, भोपाल, राजस्थान, पेप्सू, मैसूर और पश्चिम बंगाल राज्यों में नये गवेषणा-केन्द्र स्थापित करने की प्रस्थापना है। गन्ना उगाने वाले अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में अभी भी गवेषणा-केन्द्र हैं। भूमि-सर्वेक्षण को इन गवेषणा-केन्द्रों में चलने वाले गवेषणा-कार्यक्रम का एक नियमित विषय बना देने की प्रस्थापना है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि गन्ना-उत्पादन के सब से बड़े क्षेत्र, देवरिया, में एक गवेषणा केन्द्र की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वहां गन्ने को बहुधा लाल कीड़े और अन्य बीमारियां लग जाती हैं ?

†**श्री एम०.वी० कृष्णप्पा** : इस क्षेत्र में एक तो लखनऊ में केन्द्रीय गवेषणा केन्द्र है, और दूसरा शाहजहांपुर का राज्य गवेषणा केन्द्र है जिस की एक उप-शाखा गोरखपुर में भी है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार को इस बात की जनकारी है कि गोरखपुर में केवल एक ही कृषि-स्कूल है जिसमें कि गवेषणा-कार्य के लिये पर्याप्त उपकरण तथा सामग्री नहीं है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा**: यदि उसमें पर्याप्त उपकरण नहीं हैं, तो राज्य सरकार को इस मामले को उठाना चाहिये। केन्द्र आधे-आधे के आधार पर उसको सहायता देगा।

†**श्री केशव अय्यंगार** : मैसूर का गवेषणा संस्थान कहां स्थित है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा:** वह मैसूर के गन्ना-उत्पादन के सम्पन्नतम क्षेत्र माण्डया के पास ही कहीं होगा।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में ऐसे गवेषणा-केन्द्र खोलने के लिये कोई अस्थायी संख्या या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा**: मैंने गन्ना उगाने वाले प्रायः उन सभी मुख्य राज्यों के नाम गिना दिये हैं जहां राज्य गवेषणा केन्द्र स्थापित किय जायेंगे, और केन्द्र के भी दो गन्ना-गवेषणा केन्द्र होंगे—एक कोयम्बटूर में और दूसरा लखनऊ में।

†**श्री विश्वनाथ राय**: क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर में एक नया विश्व-विद्यालय स्थापित होने जा रहा है जोकि वहां पर एक नये गवेषणा-केन्द्र का आधार बन सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही के लिये दिये गये सुझावों की अनुमति नहीं दी जायेगी। यह एक ऐसा ही सुझाव है।

बिहार को ऋण

†***३८४. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में बिहार को बीज तथा खाद के गोदाम बनाने के लिये कोई ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ऋण की राशि कितनी है; और

(ग) वह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या बिहार सरकार ने बीज और खाद रखने के ऐसे गोदाम बनाने का कोई प्रस्ताव भेजा है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : १९५४-५५ में उसने एक ऐसा प्रस्ताव भेजा था और हमने उसे १५ लाख रुपये का एक ऋण दिया था और उसने इस धन को गोदाम बनाने पर खर्च किया था। कई गोदाम उसने बना भी लिये हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋण से बनाये गये गोदाम कहां-कहां स्थित हैं ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : इस ब्यौरे के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

केन्द्रीय नारियल समिति

†*३८६. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नारियल समिति इस उद्योग के सम्बन्ध में टैक्नोलोजिकल प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कालावधि से यह प्रश्न समिति के विचाराधीन है और क्यों;

(ग) क्या प्रस्तावित प्रयोगशाला के लिये कोई उपयुक्त स्थान चुन लिया गया है और क्या उसका प्लान और एस्टीमेट तैयार कर लिये गये हैं ;

(घ) उस पर आवर्तक और अनावर्तक कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार इस समिति को कोई विशेष अनुदान देगी जिससे कि प्रयोगशाला शीघ्र बनाई जा सके ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) करीब दस साल से । मुख्यतः फन्ड (निधि) काफी न होने की वजह से ।

(ग) प्रयोगशाला को सेंट्रल कोकोनट रिसर्च स्टेशन (केन्द्रीय नारियल गवेषणा केन्द्र) कासारा-गोड, (मद्रास राज्य), जोकि इंडियन सेन्ट्रल कोकोनट कमेटी (भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति) द्वारा पहले ही स्थापित हो चुका है, के अंगरूप से बनाने का विचार है । नक्शे और अनुमान अभी तैयार नहीं किये गये हैं ।

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल आवर्तक व्यय का अनुमान २,०३,९६० (दो लाख तीन हज़ार नौ सौ साठ) और अनावर्तक व्यय का २,५०,००० (दो लाख पचास हज़ार) रुपये है ।

(ङ) जी हां, प्रयोगशाला के बनाने के लिये सारा खर्च केन्द्रीय सरकार करेगी ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : हिन्दी-भाषी भी कदाचित इसे न समझ पाये हों ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय मंत्री के पास उसका अंग्रेजी अनुवाद हो तो वे उसे पढ़ दें ।

†**श्री एम० वी कृष्णप्पा** : जी, हां; मेरे पास है; मैं उसे पढ़ दूंगा ।

श्री के० सी० सोधिया : यह मामला दस साल से सरकार के सामने है, पर यह काम फंड (निधि) न होने की वजह से पूरा नहीं किया गया । क्या सरकार इसकी ज़रूरत नहीं समझती, और अगर समझत है तो इसके लिये फंड क्यों नहीं दिया ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : सरकार इसकी ज़रूरत समझती है । इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं समझता हूँ कि यह जो दस साल की देरी हुई है यह काफ़ी भद्दा काम है और यह देरी नहीं होनी चाहिये थी।

†**श्री वेलायुधन** : क्या यह गवेषणा-प्रयोगशाला नारियल-उद्योग के केवल कृषि सम्बन्धी पक्ष के विषय में ही है, या वह ऐसे प्रश्नों को भी लेगी जैसे कि नारियल के रेशों से कौन-कौन सी चीज़ें तैयार की जा सकती ह, आदि ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : यह मुख्यतया उसका औद्योगिक पक्ष ही है, उष्ण वायु-प्रकोष्टों में, उष्णता देने वाले चक्रावर्ती यंत्रों में, सभी प्रकार से खोपरा तैयार करने की चेष्टा की जायेगी।

श्री के० सी० सोधिया : क्या कोकोनट कमेटी की आमदनी बढ़ाने के लिये सरकार के सामने कोई योजना है ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : एक प्रस्ताव है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रश्न को समझने की चेष्टा की जानी चाहिये, प्रश्नकर्ता पर हंसने की नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्नकर्ता पर हंसने की बात नहीं ह। माननीय मंत्री ने उसकी हंसी उड़ाने की चेष्टा नहीं की, वे स्पष्टतया उसका उच्चारण नहीं कर सके थे। वे उसका उत्तर देने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं।

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : मैं उत्तर में कह चुका हूँ कि समिति की आमदनी बढ़ाने की एक प्रस्थापना है।

†**श्री के० सी० सोधिया** : किस प्रकार से ?

†**श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : नारियल सम्बन्धी और अन्य प्रतिकरों को बढ़ा कर।

रेडियो-फोटो और दूरसंचार सेवाएँ

†*३८७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६ में किन-किन देशों के साथ सीधे रेडियो-फोटो और दूरसंचार सेवायें स्थापित करने की प्रस्थापना है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

†**सरदार इकबाल सिंह** : इन सेवाओं को स्थापित करने के लिये इन देशों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम एक देश से दूसरे देश को एक तीसरे देश की मार्फत भेजे जाने वाले तारों की संख्या के आंकड़े देखकर ही यह चुनाव करते हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार के समक्ष भारत और पूर्वी अफ़्रीका के बीच और फीजी द्वीप के लिये भी जहां एक बड़ी संख्या में भारतीय बस गये हैं रेडियो-टेलीफोन सेवा स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने विवरण में १९५६ की सूची दे दी है। जहां तक अफ़्रीका और पश्चिमी अफ़्रीका का प्रश्न है, हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन स्थानों को रेडियो-तार या रेडियो-टेलीफोन से सम्बन्धित करने का विचार करते हैं :

पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ़्रीका, मिस्र, इथिओपिया। उसके अन्तर्गत यही स्थान आते है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार फ़ीजी द्वीप समुह के मामले पर भी विचार करेगी, जहां एक बड़ी संख्या में भीरतीय रह रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : हम यातायात संभाव्यता की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि उस की वर्तमान स्थिति क्या है ।

डाक और तार विभाग के कर्मचारी

†*३८८. **श्री नम्बियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग के ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें १९५५ में अतिरेक घोषित कर दिया गया था और जिन्हें अभी तक काम पर नहीं लगाया गया है;

(ख) टेलीफोनों में स्वयं-चालन की व्यवस्था के चालू किये जाने के फलस्वरूप १९५६ में अनुमानतः कितने कर्मचारियों के अतिरेक घोषित किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इन छटनी किये गये कर्मचारियों को फिर से सेवायुक्त कर लेने की कोई योजना सरकार के पास है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) ५५८ टेलीफोन चालक तथा इंजीनियरिंग विभाग के कुछ कर्मचारी, जिनकी संख्या अभी ज्ञात नहीं है ।

(ग) जी हां; नियमित कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक नौकरियां ढूंढी जायेंगी ।

†**श्री नम्बियार** : क्या फिर से सेवायुक्त करने में अस्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों की पहले की सेवाओं पर विचार नहीं किया गया है ?

†**श्री राजबहादुर** : हमने उन सभी कर्मचारियों को ले लिया है जो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से सेवायुक्त थे । दैनिक मजूरी पर रखे गये मज़दूर जिन्हें विशेष काम के लिए रखे गए कर्मचारी कहा जाता है, नियमित कर्मचारी नहीं हैं । हमने उन्हें थोड़े-थोड़े समय के लिये छुटपुट कामों के लिये ही रखा था और काम के स्वरूप के अनुसार ही उनको लिया गया था ।

†**श्री नम्बियार**: क्या यह सही है कि उनको फिर से काम पर रखते समय कई मामलों में कम वेतन दिया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक नियमित कर्मचारियों का सम्बन्ध है–'नहीं' ।

†**श्री नम्बियार** : क्या यह सही है कि महा संचालक द्वारा पहले जो रियायतें दी गई थीं उन्हें पुनः सेवायुक्त करते समय और सेवा-भंग होने के मामले में कार्यान्वित नहीं किया गया था ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरे विचार से तो मेरे माननीय मित्र को प्रश्न जिस प्रकार बोल कर लिखाये गये हैं उनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री नम्बियार** : वह कहते हैं कि प्रश्न मुझे लिखकर दिये गये हैं । मैं यही जानना चाहता था कि क्या सेवा-भंग होने की बात पर भी कोई विचार किया गया है । उनको केवल यही बताना है कि ऐसा किया गया है या नहीं, यह नहीं कि प्रश्न मुझे लिख कर दिये गये हैं या नहीं ।

†**श्री राज बहादुर** : यह एक औचित्य प्रश्न है कि क्या कोई अनुपूरक प्रश्न किसी कागज़ पर लिखकर इस प्रकार पढ़कर सुनाया जा सकता है ।

†**श्री के० के० बसु** : माननीय मंत्री को ढंग से बर्ताव करना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति । शांति ।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : प्रश्न यह है कि क्या कोई अनुपूरक प्रश्न लिखित हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने कामन्स सभा में लिखित अनुपूरक प्रश्नों के पढ़े जाने से सम्बन्धित औचित्य प्रश्नों के बारे में कुछ पत्रादि देखे हैं। हम भी इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी कर रहे थे। वहां लिखित भाषणों की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन यहां तो मैं कभी-कभी लिखित भाषणों की अनुमति दे रहा हू ।

श्री जगजीवन राम उठे–

†**श्री राज बहादुर** : लिखित अनुपूरकों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : लेकिन जो माननीय सदस्य स्मरण रखने में कठिनाई का अनुभव करें, वे जब तब अपनी टिप्पणियों को देख सकते हैं। माननीय मंत्री बड़ी आसानी से .....

†**श्री राज बहादुर** : यदि कोई प्रश्न लिखित हो तो वह हमें लिखित रूप में दे दिया जाय जिससे कि हम उसका उत्तर दे सकें ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मंत्री ने तो कहा था कि प्रश्न माननीय सदस्य को "लिखकर दिया गया था" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार था कि माननीय मंत्री स्पष्टतया यह चाहते थे कि ....

†**श्री वेलायुधन** : यह एक आक्षेप है ।

†**श्री के० कं० बसु** : इस प्रकार के आक्षेप करने की अनुमति क्यों दी जाय ?

†**श्री कामत** : यह माननीय सदस्य के लिये अपमानजनक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कोई डाक कर्मचारी या रेलवे कर्मचारी तो नहीं है जिसे उन के बारे में सब कुछ मालूम हो। यहां तो हमें प्रत्येक प्रकार के मामले कों लेना पड़ता है, और जब तक हमें अच्छी तरह से सिखाया न जाय ....

†**श्री कामत** : सिखाना नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : 'सिखाने' की जगह मैं दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूँ–'पूर्णरूप से बताना'। हम से संसार की प्रत्येक बात के बारे में जानकारी रखने की आशा नहीं की जाती है। इसीलिये यदि श्री नम्बियार दूसरों से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें कोई ग़लती नहीं है। माननीय मंत्री ने जो कुछ बताया है वह नित्य प्रति ही हो रहा है, और उस हद तक उनका कहना ठीक है। इसलिये, अनुपूरक प्रश्नों को पढ़कर सुनाने से कोई लाभ नहीं है। अनुपूरक प्रश्नों को पढ़कर नहीं सुनाया जाना चाहिये ।

†**श्री आर० एन० रेड्डी** : मंत्रियों को भी पहले से ही बता दिया जाता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसलिये, अनुपूरक प्रश्नों को मौखिक रूप से पूछा जाना चाहिए। यदि माननीय मंत्री ने यह कहा था कि उसे पढ़ा नहीं जाना चाहिए, तो उसका पूरा-पूरा औचित्य है। अच्छा, अब उनके प्रश्न का क्या उत्तर है ?

†**एक माननीय सदस्य** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री नम्बियार** : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फिर से सेवायुक्त करते समय सेवा-भंग होने का विचार किया गया था अथवा क्या महासंचालक द्वारा दिये गये पहले के वचन को भंग किया गया था ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि महासंचालक ने क्या आश्वासन दिया था ?

†**श्री नम्बियार** : मैं उनको वह टिप्पणी दे सकता हूँ ।

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : वह टिप्पणी मेरे पास भेज दें, लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जिन-जिन टेलीफोन एक्सचेंजों में स्वचालित व्यवस्था की जा रही है वहां के टेलीफोन-चालकों का जहां तक सम्बन्ध है– मैं अपना आश्वासन दोहराता हूँ–उनको नौकरी से हटाया नहीं जायेगा और उनमें से प्रत्येक को उसी दिन से काम दिया जायेगा और उनकी सेवा भंग नहीं होने पायेगी ।

†**श्री कामत** : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में उपमंत्री ने कहा. . . . .

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : वह अब राज्य-मंत्री हैं ।

†**श्री कामत** : तब, 'उप' शब्द को हटा दीजिये । मंत्री ने कहा था कि भाग (ख) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप जिन कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया था उनको दूसरा काम दिया जायेगा । एक दूसरे ही प्रसंग में प्रधान मंत्री द्वारा कुछ समय पहले दिये गये इस आश्वासन को देखते हुए कि सरकार स्वयंचालन और वैज्ञानिकन को धीरे-धीरे कार्यान्वित करेगी, क्योंकि उससे बेरोजगारी बढ़ती है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन में से कम से कम कुछ को अब तक कोई अन्य वैकल्पिक काम दे दिया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं नहीं समझता कि उससे बेरोजगारी होती है । माननीय सदस्य शायद दो प्रश्नों को एक में उलझा रहे हैं । जहां भी हम देखते हैं कि स्वयंचालन की व्यवस्था के फलस्वरूप वर्तमान टेलोफोन एक्सचेंजों में कुछ चालक वहां की आवश्यकता से अतिरेक हो गये हैं, हम उन एक्सचेंजों के प्रत्येक स्थायी कर्मचारी के लिये वैकल्पिक नौकरी ढूंढ़ते हैं, और इसलिये, उनकी छंटनी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कामत** : मेरा प्रश्न तो यह था कि क्या सरकार ने इन में से कुछ व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक नौकरियां तलाश की हैं ।

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां; इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी है– उन सभी को वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं ! यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें कि किसी स्थायी चालक को कोई दूसरी वैकल्पिक नौकरी नहीं दी गई है तो मुझे माननीय सदस्य से उसकी सूचना पाकर प्रसन्नता ही होगी और मैं उसकी जांच करूंगा ।

†**श्री कामत** : यह ठीक है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, क्या माननीय मंत्री और एक माननीय सदस्य के बीच इस तरह से कथोपकथन चल सकता है ?

†**श्री कामत** : उन्हें शायद कथोपकथन का अर्थ भी मालूम नहीं है ।

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरणों के न्यायालय

†*३८९. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने श्रम अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लम्बित अपीलों और प्रार्थना-पत्रों को निबटाने के लिये न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और किन-किन स्थानों पर वृद्धि की गई हैं; और

(ग) कितनी अपीलें और प्रार्थनापत्र अभी लम्बित हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). १९५५–५६ में, छः और न्यायालय बनाये गये । मद्रास, कलकत्ता और लखनऊ में से, प्रत्येक में दो-दो बनाये गये हैं । इस प्रकार अब उनकी कुल संख्या दस हो गई है । ये न्यायालय इन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं:–

बम्बई–– २ न्यायालय
कलकत्ता––३ न्यायालय

†मूल अंग्रेजी में

लखनऊ—३ न्यायालय

मद्रास—२ न्यायालय

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को अपीलों की सुनवाई करने का अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने योग्य बनाने के हेतु, अपीलीय न्यायाधिकरण के सभापति को औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० की धारा २२ और २३ के अन्तर्गत, प्रार्थनापत्रों को उल्लिखित औद्योगिक न्यायाधिकरणों को स्थानांतरित कर देनेकी संविहित शक्ति प्रदान की गई है। प्रार्थनापत्रों को निपटाने के लिये, दो तदर्थ औद्योगि न्यायाधिकरण—एक मद्रास में और दूसरा लखनऊ में—बनाये गये हैं। धनबाद स्थित केन्द्रीय सरकार के स्थायी न्यायाधिकरण को भी कुछ प्रार्थनापत्रों को निबटाने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) ३१ जनवरी, १९५६ को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष ९८४ अपीलें और १,९७७ प्रार्थना-पत्र, तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष १६८ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे।

†**चौ० रघुबीर सिंह** : इन अपीलों या प्रार्थना-पत्रों को निबटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री आबिद अली** : अब उन को बड़ी शीघ्रता से निबटाया जा रहा है। पहले अवश्य कुछ विलम्ब हुआ था, वह इसलिये कि हम इन न्यायालयों में केवल उच्च न्यायालयों के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों को ही नियुक्त करना चाहते थे; और चूंकि उच्च न्यायालयों से अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश मिल नहीं सके, इसलिये हमने अवकाश-प्राप्त सम-न्यायाधीशों को ही रख लिया था, इसीलिये, अब कार्य बड़ी शीघ्रता से निबटाया जा रहा है।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : हैदराबाद में एक न्यायालय बनाने के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

†**श्री आबिद अली** : हैदराबाद की अपीलें बहुत थोड़ी सी ही हैं, और उनमें से भी अधिकांश पहले ही निबटाई जा चुकी हैं। इसीलिये, हैदराबाद में एक न्यायालय रखने का कोई औचित्य नहीं था।

†**श्री के० के० बसु** : क्या अपीलीय न्यायाधिकरण को समाप्त कर देने का भी कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय के लागू होने की हम आशा कर सकते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : इस लोक-सभा में, शायद पिछले सितम्बर माह में, एक विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका है।

पंडित सी० एन० मालवीय : मध्य प्रदेश में चूंकि वह देश के मध्य में स्थित है और जहां की इंडस्ट्रियल सेंटर्स (औद्योगिक केन्द्र) हैं, इसलिये क्या मध्य प्रदेश के किसी स्थान पर एक बैंच (न्यायालय) रखे जाने की तजवीज़ है, जैसे कि इंदौर, जबलपुर, या भोपाल में ?

श्री आबिद अली : मध्य प्रदेश में भी बहुत कम अपीलें हैं, लेकिन जहां कुछ ज्यादा अपीलें होती हैं अगर वहां बैंच नहीं है तब भी एपिलेट बैंच (अपीलीय न्यायालय) वहां पर जाती है, और वहीं अपीलें सुनी जाती हैं। जहां केवल एक-दो हों, वहां तो नहीं जा सकती।

भारत-बर्मा नौवहन सेवा

†*३९०. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **परिवहन** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बर्मा के बीच एक सीधी नियमित नौवहन सेवा के शीघ्र ही फिर से चालू किये जाने की क्या सम्भावनायें ह; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पिछले उत्तर की तिथि से अब तक एक सीधी नियमित सेवा को फिर से चालू करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). अब आशा है कि मार्च १९५६ के अन्त तक सिंधिया के जहाज़ एम० वी० 'सोनावती' द्वारा यह सेवा फिर से चालू कर दी जायेगी। एम० वी० 'सोनावती' के स्थान पर कोई और अधिक उपयुक्त जहाज़ रखने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या यह सेवा सीधी और नियमित होगी, या वह कलकत्ता होकर जायगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह मद्रास और रंगून के बीच एक सीधी और नियमित सेवा है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या हाल ही में कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत और रंगून के बीच चलने वाले यात्री जहाज़ विशाखपटनम् होते हुए जायेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : इस प्रश्न पर विचार किया गया था। माननीय सदस्य ने स्वयं ही इस प्रश्न को कई बार उठाया था। लेकिन, वर्तमान स्थिति यह है कि ब्रह्मा और मद्रास के सीधे यातायात के लिये भी न तो यात्री, और न माल ही पर्याप्त मिल पाता है। नौवहन कम्पनियों ने इस सेवा को लाभदायक नहीं पाया, इसलिये 'जलगोपाल' जहाज़ को हटा देना पड़ा था। उससे ऐसे यात्रियों को काफी असुविधा हो गई थी अब भी इस देश से उस देश को जाते रहते हैं, और तभी सिंधिया कम्पनी से एक दूसरा जहाज़ चलाने के लिये कहा गया था और उसने पिछले अगस्त से उसे चलाना शुरू कर दिया था। नवम्बर में इस जहाज़ का वार्षिक सर्वेक्षण, आदि होना था और इसलिये उसे हटा दिया गया था। हमें आशा थी कि फरवरी के अन्त तक वह फिर से चलने लगेगा। अब, हमें बताया गया है कि वह मार्च के अन्त तक चलने लगेगा। अब यही स्थिति है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सही है कि सिंधिया कम्पनी ने सरकार या जनता को उचित सूचना दिये बिना ही इस सेवा को समाप्त कर दिया है, और इस सेवा के समाप्त कर दिये जाने से जनता को बड़ी कठिनाई हो गई है ?

†**श्री अलगेशन** : यह तो सभी जानते थे कि यह सेवा चालू नहीं रहेगी। वास्तव में, उनके पास एक से अधिक जहाज़ थे। लेकिन, उनके सामने जहाज़ों को वापिस लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। अभी भी उन्होंने जो जहाज़ चलाना शुरू किया है वह भी इस सेवा के लिये कोई अधिक उपयुक्त नहीं है, और इसीलिये हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसके स्थान पर एक अधिक उपयुक्त जहाज़ नहीं चलाया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य केवल यही जानना चाहते थे कि सेवा के निलम्बन के पहले उचित सूचना दी गई थी या नहीं ।

†**श्री अलगेशन** : यह दुर्भाग्य ही था कि सेवा को भंग करना पड़ा, लेकिन इसके लिये कुछ औचित्य भी था ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या इस प्रस्ताव पर, कि मद्रास से रंगून जाने वाला स्टीमर विशाखपटनम् पत्तन से होकर कर जाय, कोई विचार किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसका उल्लेख किया था। श्री रेड्डी कई बार इस मामले को माननीय मंत्री के ध्यान में लाये, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पर विचार किया था, और यह प्रस्थापना लाभप्रद नहीं थी ।

उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों को शामिल करना

*३९१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है जिससे कि श्रमिक उद्योगों के संचालन और प्रबन्ध में भाग ले सकें;

(ख) क्या इस के बारे में उद्योगपतियों से कोई बातचीत अथवा पत्र-व्यवहार हुआ है, यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला;

(ग) क्या किसी उद्योगपति ने अभी तक इस सम्बन्ध में आगे बढ़ने का आश्वासन दिया है, और यदि हां, तो उस उद्योगपति का नाम क्या है और किन शर्तों तथा किन दशाओं में यह आश्वासन दिय गया है; और

(घ) किन-किन उद्योगों में यह सुविधायें पहले से ही दी जा रही हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) इससे सम्बन्धित सुझावों को दूसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिये विचार किया जा रहा है ।

(ख) से (घ). जहां तक सरकार को मालूम है, टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड, जमशेदपुर, और टाटा कामगार यूनियन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें कामगारों द्वारा प्रबन्ध में भाग लिये जाने का उल्लेख भी किया गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि जब भारत सरकार की यह नीति है कि उद्योगों में श्रमिकों को व्यवस्था में भी हाथ बटाने का मौका दिया जाय तो क्या सरकार ने टाटा के अलावा देश के तमाम उद्योगपतियों से इस सम्बन्ध में कुछ लिखा-पढ़ी की है कि वह अपने-अपने उद्योगों की व्यवस्था में श्रमिकों को उचित स्थान दें ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्री आबिद अली : जब कभी लेबर कांफ्रेंसेज (श्रम सम्मेलन) होती हैं, जिनमें कि कामगारों और उद्योगपतियों दोनों के प्रतिनिधि आते हैं, तो वहां पर इस किस्म की चर्चा होती है, और हमारा अनुभव है कि इस का बहुत अच्छा परिणाम होता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार बता सकती है कि जब छोटे-छोटे निजी उद्योगों में भी श्रमिकों को व्यवस्था में हाथ बटाने का मौका दिया जा रहा है तो क्या उसने कभी यह सोचा है कि सरकारी उद्योगों में भी श्रमिकों को व्यवस्था में उचित स्थान दिया जाय ? यदि हां, तो वह किस परिणाम पर पहुंची है ?

श्री आबिद अली : इस बारे में हम सोच रहे हैं ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : क्या सरकार ने प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों के सहयोग का पर्यवेक्षण कर लिया है ?

†**श्री आबिद अली** : यही तो मैंने अभी-अभी कहा है; यह मामला अभी विचाराधीन है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सिंदरी, या चितरंजन के सार्वजनिक उपक्रमों में, जहां के श्रमिक एक लम्बी अवधि से प्रबन्ध-व्यवस्था में भागीदार बनाये जाने की मांग कर रहे हैं, श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने की कोई योजना या परियोजना सरकार के पास है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : इन अधिकांश नये उपक्रमों में, प्रबन्ध-व्यवस्था के साथ एक ऐसा व्यक्ति सम्बन्धित है जो कार्मिक संघों के क्षेत्र में कार्य करता रहा है; माननीय सदस्य यह जानते हैं ।

†**श्री पी० सी० बोस** : इस स्पष्ट को ध्यान में रखते हुए कि इसमें मालिकों और श्रमिकों के दो पक्ष हैं, और इनमें एक पक्ष दूसरे से कमजोर है क्या सरकार इन दोनों पक्षों के पथ-प्रदर्शन के लिये उनके सामने कुछ आदर्श नियम रखने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री आबिद अली** : मुख्य प्रश्न अभी विचाराधीन है । यह ब्यौरे के प्रश्न हैं, और उन पर यथा-समय पर ही विचार किया जायेगा ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या श्रमिकों के सहयोग की यह प्रणाली या योजना, खातों के आंतरिक सहकार्य की उसी प्रणाली से बहुत-कुछ मिलती-जुलती नहीं है जिसकी कि पहले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय द्वारा निंदा की गई थी, और क्या सरकार प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों के उसी प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन दे रही है ?

†**श्री आबिद अली** : कदाचित इस विषय विशेष के बारे में श्रमिकों और प्रबन्ध-व्यवस्था में कोई आपसी समझौता हो जाये, शायद वे दूसरी बातों के सम्बन्ध में भी एक-दूसरे से सहमत हो जायें । उन्होंने जिस प्रणाली का उल्लेख किया है, वह कुछ स्थानों पर सफल हुई है, लेकिन भारत में नहीं । भारत में भी मुझे एक या दो ऐसे स्थानों की जानकारी है कि जहां यह प्रणाली प्रचलित है लेकिन उसके परिणाम अभी ज्ञात नहीं हुए हैं ।

†**श्री वेलायुधन** : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने, भारत सरकार भी जिसकी एक सदस्या है, इस प्रणाली की निंदा नहीं की थी ?

†**श्री आबिद अली** : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह बात सही है कि सरकार ने जो श्रमिकों को प्रबन्ध में हाथ बटाने का अवसर देने का वादा किया है उस का अर्थ यह है कि उद्योग के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स (निर्देशक बोर्ड) में मजदूरों के प्रतिनिधि रखे जायेंगे, या प्रोडक्शन (उत्पादन) अथवा दूसरी छोटी छोटी कमेटियों में ही भाग ले सकेंगे ?

श्री आबिद अली : यह सब मामले विचाराधीन हैं ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार द्वितीय योजना अवधि में उद्योगों में प्रबन्ध-व्यवस्था के साथ श्रमिकों के अधिकाधिक रूप में बढ़ते हुए सहयोग का कोई क्रमिक कार्यक्रम निश्चित करने की प्रस्थापना करती है ?

†**श्री आबिद अली** : मैंने यही तो कहा था । जी, हां ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या प्रबन्ध-व्यवस्था परिषद्, या निर्देशक बोर्ड में लिये जाने वाले प्रतिनिधि श्रमिकों में से निर्वाचित किये जायेंगे या वे स्वयं प्रबन्ध-व्यवस्था द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे?

†**श्री० आबिद अली** : यह सभी ब्यौरे की बातें हैं और हम अभी तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह योजना सोची है वह क्या केवल दिल बहलाने के लिये ही है, क्योंकि मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बहुतम कुछ टाल-मटाल का है, या उसमें कुछ तथ्य भी है ? यदि तथ्य है, तो क्या ?

श्री आबिद अली : इससे कुछ फायदा होगा तो दिल भी खुश होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तेल ले जाने वाले जहाज़

†*३९२. **श्री गिडवानी** : क्या **परिवहन** मंत्री ५ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार हाल ही में बम्बई के भारतीय जहाज़-मालिकों से इस सम्बन्ध में वार्ता चला रही थी कि यदि वे विदेशों से तेल ले जाने वाले जहाज़ खरीद कर उन्हें तटीय व्यापार के लिये चलायें, तो उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, हां ।

(ख) इन वार्ताओं में तेल ले जाने वाले जहाज़ों की एक भारतीय कम्पनी को शुरू करने के विचार को अधिक सफलता नहीं मिल सकी । फिर भी, एक भारतीय नौवहन कम्पनी ने तट पर चलाने के लिये एक तेल ले जाने वाला जहाज़ प्राप्त करने की बात में रुचि दिखाई थी और सरकार ने उसे इस काम के लिये ऋण देने का वचन दे दिया था । इस कम्पनी ने, वास्तव में, एक ऐसा जहाज़ खरीद भी लिया है । इस आधार पर और कोई भी कम्पनी ऐसा जहाज़ लेने को तैयार नहीं थी । इसलिये, सरकार ने अपनी ही मूल योजना के अनुसार ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन के जरिये, तेल ले जाने वाले दो जहाज़ों को खरीदने और उनको चलाने की बात को आगे बढ़ाने का निश्चय किया, और अब इस निर्णय को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री गिडवानी** : उसकी खरीद के लिये किस प्रकार की वित्तीय शर्तें रखी गई थीं, और उन्होंने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया ?

†**श्री अलगेशन** : वह केवल तेल-कम्पनियों और व्यक्तिगत नौवहन कम्पनियों के ही बीच की वार्ता मात्र ही थी; वे एक निजी कम्पनी स्थापित करने के प्रश्न पर आपस में ही समझौता नहीं कर सके ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह केवल भारतीय नौवहन के लिये अनुरक्षित है और क्या तब भी वे इसके लिये तैयार नहीं हैं ?

†**श्री अलगेशन** : सारा तटीय व्यापार भारतीय नौवहन के लिये ही अनुरक्षित है, लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय कम्पनी के पास एक भी तैल-वाहक नहीं है । इसीलिये, हम चाहते थे कि कुछ कम्पनियां तैल-वाहक ले लें । चूंकि कोई भी कम्पनी इसके लिये तैयार नहीं हुई इसलिये सरकार ने स्वयं ही तैल-वाहकों को खरीदकर उन्हें चलाने का निर्णय किया । इसी बीच यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ और तैल-कम्पनियों ने भी निजी नौवहन कम्पनियों के साथ मिल कर एक निजी कम्पनी स्थापित करने के लिये वार्ता चलाने की इच्छा प्रकट की । लेकिन, वह सफल नहीं हो सकी । अब हम अपने ही प्रस्ताव के अनुसार कार्य कर रहे हैं । एक निजी नौवहन कम्पनी ने एक तैल-वाहक ढूंढ कर खरीद भी लिया है, और उसके लिये सरकार ने ऋण देने का वचन भी दे दिया था । दो अन्य तैल-वाहकों को सरकार स्वयं ही खरीदेगी ।

†**श्री के० के० बसु** : क्या इन तैल-वाहक जहाज़ों को चलाने में तैल-परिष्कपरणियों का भी कोई वित्तीय या अन्य हित रहेगा ?

†**श्री अलगेशन** : इन जहाज़ों को रखने या चलाने में उनका कोई भी हित नहीं रहेगा । तैल-कम्पनियां ही इन तैल-वाहकों के द्वारा अपना तैल भेजने के लिये इनका उपयोग करेंगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस व्यापार के महत्व को देखते हुए, और इस बात को भी देखते हुए कि इस कार्य के लिये निजी कम्पनियां बनाने के लिये व्यक्तिगत पूंजी नहीं मिल रही है, क्या सरकार स्वयं अपनी ही एक तैल-वाहक जहाज़ कम्पनी बनायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को नहीं समझा है। मैंने कहा कि हम ईस्टर्न शिपिंग कोर्पोरेशन के द्वारा तेल ले जाने वाले जहाज़ खरीद रहे हैं और उन्हें चलाने जा रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : सरकार ने इस नई कम्पनी को जिसने पहले ही एक ऐसा जहाज़ खरीद किया है, किस प्रकार की वित्तीय सहायता देने का वचन दिया है ?

†**श्री अलगेशन** : सामान्य ऋण, जो उदाहरणतया लागत का ८० या ८५ प्रतिशत होता है और जो हम जहाज़ खरीदने के लिए तटीय कम्पनियों को देते हैं, उन्हीं शर्तों पर दिया जाता है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पूर्वी पाकिस्तान को चावल का ऋण

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २. श्री एम० एल० द्विवेदी : (श्री श्रीनारायण दास की ओर से)** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में खाद्य संकट का मुकाबला करने में सहायता देने के लिये चावल का ऋण देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किन परिस्थितियों में किया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया गया है, जिस के अन्तर्गत वह भारत को १५,००० टन गेहूं दे रहा है और भारत पाकिस्तान को १५,००० टन चावल दे रहा है और ये दोनों सौदे प्रतिस्थापन के आधार पर हैं। नई फसल आने के बाद हम गेहूँ वापस कर देंगे और पाकिस्तान हमारा चावल बर्मा के उबले चावल या सिन्ध के जोशी चावल के रूप में वापस कर देगा। पाकिस्तान से गेहूँ का आयात करने से हमें फसल के अन्तिम दिनों में गेहूं की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी और चावल के इस ऋण से पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में चावल की अस्थायी कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस चावल को बतौर ऋण देने का प्रश्न पाकिस्तान ने उठाया था या भारत सरकार ने स्वयं अपनी मर्ज़ी से ऑफ़र (प्रस्ताव) भेजा और यह बातचीत किस प्रकार से शुरू हुई ?

श्री ए० पी० जैन : साधारणतया यह होता है कि जिस को जरूरत होती है वही उस चीज़ की मांग करता है और इस मामले में भी पाकिस्तान ने मांग की थी।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मांग १५,००० टन की थी या इससे अधिक की ?

श्री ए० पी० जैन : उन्होंने कहा था कि कुछ चावल चाहिये। बात होने पर १५,००० उन्होंने चाहा और हमने मान लिया।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या भारत को इस चावल के बदले चावल दिया जायेगा या रुपये और क्या पाकिस्तान से इस चावल के बदले में गेहूं लेने का कोई विचार है।

†**श्री ए० पी० जैन** : मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रतिस्थापन आधार पर है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कृषि मूल्य

†*३७३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि उत्पादों के मूल्य में कमी के कारण, त्रावनकोर-कोचीन या मद्रास सरकार ने केरल (त्रावणकोर-कोचीन राज्य और मालाबार जिले) के किसानों और कृषकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये केन्द्र से कोई सहायता मांगी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी, नहीं ।

मरुस्थल की रोकथाम

†*३७९. **श्री बंसल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और पंजाब सीमान्तों पर मरूस्थल की रोकथाम के प्रयोग बन्द कर दिये हैं;

(ख) अब कौन से नये प्रयोग किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार मरुस्थल की रोकथाम की योजना के परिणामों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) उत्तर प्रदेश और पंजाब के सीमान्तों पर ऐसे कोई प्रयोग केन्द्रीय सरकार ने स्वयं शुरू नहीं किये हैं । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई उत्तर प्रदेश–राजस्थान सीमान्त वनरोयज योजना के लिये वित्त का प्रबन्ध १९५४-५५ से केन्द्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड कर रहा है, और इस योजना के अन्तर्गत कार्य अभी जारी है ।

(ख) बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया काम बहुत संतोषजनक तरीके से हो रहा है और कोई नये प्रयोग नहीं किये जा रहे हैं ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी लोक सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]**

रेल गाड़ियां

†*३८०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-मिसरिक विभाग में यात्री यातायात बहुत अधिक है और रेल गाड़ियों में लगाये जाने वाले यात्री डिब्बों की कमी के कारण छतों पर बैठकर यात्रा करना साधारण बात हो गयी है;

(ख) क्या इस विभाग में चलने वाली रेल गाड़ियों की संख्या बहुत कम है और यात्रियों को गाड़ियों में घुसने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा-मिसरिक विभाग पर दोनों ओर प्रतिदिन चार यात्री गाड़ियां चलती हैं । कभी कभी भीड़ के अधिक हो जाने के कारण यात्रियों को रेलगाड़ी की छतों पर बैठ कर यात्रा करनी पड़ती है । आवश्यक इंजन और डिब्बों आदि के मिलने पर दोनों ओर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का विचार है ।

अनाज के गोदाम

†*३८३. **श्री पुन्नूस** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के अनाज के गोदाम हाल में बन्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने गोदाम बन्द किये गये हैं और किन-किन स्थानों पर; और

(ग) इस के फलस्वरूप कितने लोग बेकार हो गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) और (ख). स्टॉक के बेच दिये जाने पर कुछ गोदाम बन्द कर दिये गये हैं। विस्तृत जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ग) ४०१।

नौवहन

†*३८५. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के अन्ततक भारत के व्यापारिक जहाजों की वृद्धि करके कुल कितनी टन भार बढ़ाया गया है;

(ख) क्या पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य में कोई कमी होने की आशा है; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अनुमान है कि उस कुल टन भार के बारे में जानकारी अपेक्षित है, जो कि पहली पंचवर्षीय अवधि में १९५५ के अन्त तक बढ़ाया गया है। यदि ऐसा है, तो ९१,००० के कुल पंजीबद्ध टन भार के अप्रचलन को निकाल कर यह लगभग ९०,००० शुद्ध कुल पंजीबद्ध टन-भार की वृद्धि हुई है।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रस्तावित लक्ष्य ६०,००० कुल पंजी बद्ध टन-भार है। वर्तमान टन-भार लगभग ४,८०,००० कुल पंजीबद्ध टन-भार है और लगभग १,२०,००० कुल पंजीवद्ध टन भार के जहाज भारतीय और विदेशी पोतांगजों में बनाये जा रहे हैं। अतः योजना में निर्धारित लक्ष्य शीघ्र प्राप्त हो जायेगा।

(ग) ९,००,००० कुल पंजीबद्ध टन भार।

अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन

†*३९३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि : क्या सरकार ने उन संकल्पों पर विचार किया है, जोकि २५ दिसम्बर, १९५५ को जयपुर में हुए अखिल-भारतीय चिकित्सा सम्मेलन द्वारा पारित किये गये थे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : सरकार ने जयपुर में हुए अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पों पर यथायोग्य विचार किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग

†*३९४. **पंडित डी० एन० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में पेनांग (मलाया) में अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग के सम्बन्ध में हुई चर्चा में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था; और

(ख) सम्मेलन में किन-किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो पदाधिकारियों ने पेनोग (मलाया) में हुई चावल की उपज सम्बन्धी कार्यकारिणी दल की छठी बैठक अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग की और उर्वरकों सम्बन्धी कार्यकारिणी दल की पांचवी बैठक में भाग लिया था।

(ख) इन बैठकों की कार्यसूचियों की एक-एक प्रति लोक सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पशुओं की गणना

†*३९५. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत में पशुओं की गणना की जायेगी ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी, हां । आठवीं अखिल भारतीय पंचवर्षीय पशु गणना इस वर्ष में की जायेगी और १५ अप्रैल, १९५६ निर्देशय तिथि होगी ।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी

†*३९६. **श्री नम्बियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के कर्मचारियों ने उन को दी जाने वाली बर्दियों के बनाने और संभरण के प्रश्न की जांच किये जाने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं । तथापि १५ फरवरी, १९५६ को डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ से एक साथ ही एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में वर्दियों, छातों आदि के संभरण सम्बन्धी नियमों में कुछ ढील किये जाने की प्रार्थना की गई है और उनके संभरण के सम्बन्ध में जांच किये जाने की मांग की गई है । उनमें उठाये गये प्रश्नों में से अधिकांश पर विचार किया जा रहा है और कुछ एक पर पहले कई बार विचार किया जा चुका है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

उत्पादन समितियां

†*३९७. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक कारखानों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उत्पादन समितियां बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के कृत्य क्या हैं; और

(ग) इन समितियों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). दिसम्बर १९४७ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों, नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के एक त्रिदलीय सम्मेलन द्वारा दिसम्बर, १९४७ में पारित औद्योगिक समझौता संकलप के अनुसरण में, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों के क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक स्थापनाओं के लिये उत्पादन समितियां स्थापित किये जाने की वांछनीयता के सम्बन्ध में लिखा है । केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक स्थापनाओं को भी ऐसी समितियां स्थापित करने के लिए कहा गया था ।

कारखाना उत्पादन समिति के आदर्श विधान की एक प्रति, जो केन्द्रीय सरकार ने बनाया है और जिसे औद्योगिक संस्थापनाओं द्वारा अपनाने का सुझाव दिया गया है, लोक सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]** आर्दश विधान की केडिका में २ और ३ ऐसी समितियों के उद्देश्य और कृत्यों के बारे में हैं ।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की संस्थापनाओं में ८२ उत्पादन समितियां काम कर रही हैं ।

कोयले की चोरी

*३९८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहलेजा घाट स्टेशन (पूर्व-उत्तर रेलवे) में १९४८ से कोयले का उपभोग बढ़ रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई रिपोर्ट मिली है कि प्रति वर्ष (१९४८ से) लगभग १० से १२ हज़ार मन कोयला उस स्थान से चोरी कर लिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

स्थानीय पोस्ट कार्ड

†*३९९. **श्री गिडवानी :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री वेलायुधन :
श्री वोडयार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि स्थानीय पोस्ट कार्डों को बन्द कर दिया जायेगा ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जी, नहीं।

प्रशिक्षण केन्द्र

†१८७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह**: क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों और कृषि प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या क्या है और वे कहां-कहां पर हैं ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: बिहार राज्य में तीन विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र पटना, मुजफ्फरपुर और रांची में हैं और सात बुनियादी कृषि स्कूल कार्यकर हैं जिन्हें केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलती है। ये स्कूल गया, सीपाया, पूसा, कांके, डुमका, पटना और मुजफ्फरपुर में हैं। अनुमान है कि "कृषि प्रशिक्षण केन्द्रों" से माननीय सदस्य का अभिप्राय बुनियादी कृषि स्कूलों से है।

संगखेडा खुर्द में डाकघर

†१८८. **श्री कामत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में संगखेडा खुर्द (जिला होशंगाबाद) में एक डाक घर खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका स्तर क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस डाक घर में, जो आस पास के बहुत से ग्रामों के लिये काम करता है कोई डाकिया नहीं रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इस के कारण; और

(ङ) क्या सरकार एक डाकिया नियुक्त करने के मामले पर पुनर्विचार करने का विचार करती है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**:(क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ

†१८९. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथों की कुल लम्बाई मीलों में कितनी है;

(ख) अगली पंचवर्षीय योजना में अनुमानतया कितने मील लम्बी सड़कें बनाने का विचार है; और

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना में इस कार्य पर लगभग कितना व्यय किया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितना व्यय करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) ४०२ मील ।

(ख) राजस्थान मे राष्ट्रपथ संख्या ८ में कोई टूटी हुई कड़ी नहीं है, जिसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में नये सिरे से बनाने की आवश्यकता हो। एकमात्र टूटी हुई कड़ी को, जो बिछी बाड़ी क रास्ते से खेड़बाड़ा और रत्तनपुर के बीच है और जो लगभग २२ मील लम्बी है, चालू योजना की अवधि में बनाये जाने की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है और काम जारी है ।

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना अवधि में इन राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण, विकास और सुधार पर लगभग ७४.७९ लाख रुपया खर्च हुआ है ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अलग अलग आंकड़ों को देने वाला विस्तृत ब्योरे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

न्यूनतम मजूरी अधिनियम

†**१९० सरदार हुक्म सिंह:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन उद्योगों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने १९४८ के अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजूरी निर्धारित कर दी है; और

(ख) विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम मजूरी के प्रमापीकरण के लिये किन प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों में मजूरी बोर्ड स्थापित किये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**:(क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

(ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत स्थापित किये गये मजूरी बोर्डों तथा समितियों के अतिरिक्त मजूरी बोर्डों अथवा समितियों का गटन इस प्रकार किया गया है :—

सीमेंट उद्योग के लिये, भारत सरकार ने एक केन्द्रीय मजूरी (प्रमापीकरण) बोर्ड की स्थापना को है । उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा, राजस्थान, सौराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रावनकोर-कोचीन, पेप्सू, आन्ध्र, बंबई, मध्यभारत और मद्रास की राज्य सरकारों ने भी इस उद्योग के लिये राज्य मजूरी (प्रमापीकरण) बोर्ड स्थापित किये हैं ।

बंबई सरकार ने सूत और रेशमी कपड़ा उद्योग में मजूरी के प्रमापीकरण आदि से सम्बंधित मामलों में कार्यवाही करने के लिये बंबई औद्योगिक सम्बंध अधिनियम के अन्तर्गत मजूरी बोर्ड स्थापित किये हैं।

बिहार सरकार ने चीनी उद्योग में मजूरियों के प्रमापीकरण के लिये एक समिति की स्थापना की है ।

हैदराबाद सरकार ने इन तेरह उद्योगों में मूल-मजूरी और महंगाई भत्ता या समेकिल मजूरी आदि के निर्धारण की सिफारिश करने के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किये हैं :—

(१) विद्युत्
(२) जल निस्सारण और जल व्यवस्था
(३) वस्त्र उद्योग
(४) मुद्रणालय
(५) सामान्य इंजीनियरिंग और धातु कारखाने
(६) सीमेंट और सीमेंट के पदार्थ
(७) शीशे और मिट्टी का सामान
(८) रासायनिय वस्तुयें तथा रासायनिक पदार्थ
(९) कागज़

†मूल अंग्रेजी में

(१०) चीनी

(११) सिगरेट

(१२) सिल्क रेयान

(१३) मट्टियां और शक्ति मद्यसार सूती वस्त्र उद्योग और धातु उद्योगों में मजदूरियों के प्रमापीकरण आदि के लिये राजस्थान सरकार ने एक समिति स्थापित की है ।

अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिये स्थान

†१९१. **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६ को विभिन्न आरोग्यशालाओं में क्षय रोग से पीड़ित रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने स्थान रखे गये हैं;

(ख) इनमें से कितने स्थान रेलवे की संस्थाओं में हैं और कितने अन्य आरोग्यशालाओं में हैं और वे कहां स्थित हैं;

(ग) १ जनवरी, १९५७ को कितने स्थान उपलब्ध होने का अनुमान है; **और**

(घ) भारत सरकार के क्षय सलाहकार के अनुमान के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये अपेक्षित न्यूनतम स्थानों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २७१ ।

(ख) आवश्यक जानकारी देनेवाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७**] ।

(ग) लगभग ३९०

(घ) क्षय सलाहकार से रेलवे मंत्रालय को कोई अनुमान प्राप्त नहीं हुए हैं ।

हिल स्टेशन

१९२. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे स्टेशनों को हिल स्टेशन (पर्वतीय स्थान) घोषित करने के प्रश्न पर तबसे कोई अंतिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय की एक प्रति सभा के टेबल पर रखी जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे के ठेके

†**१९३. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में रेलवे स्टेशनों पर हजामत बनाने, बाल काटने और जूतों पर पालिश करने की दुकानें खोलने के लिये ठेके दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन स्टेशनों पर यह व्यवस्था आरंभ की गई है उनकी संख्या कितनी है, और उक्त ठेकों से कितनी आय हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे पर दावे

†**१९४. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३-५४ और १९५४–५५ में उत्तर रेलवे पर पंजीबद्ध दावों की संख्या क्या है; और

(ख) उक्त वर्षों में दावेदारों ने कुल कितनी धनराशि के लिये दावे किये हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९५३-५४—५१,८०३ मामले

१९५४-५५—५१,९१४ मामले

(ख) १९५३-५४—*१,२०,१९,१९६ रुपये

१९५४-५५—*१,२३,८१,३६० रुपये

*बहुत से दावों के सम्बन्ध में, जिनका जो प्रत्याख्यान किया गया है, दावेदारों ने धनराशियों का उलेख नहीं किया है । ऐसे मामलों से सम्बन्धित दावों के मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और इस कारण उन्हें शामिल नहीं किया गया है ।

प्रशिक्षण केंद्र

†**१९५. श्री पी० पी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा देशभर में खोले गये प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या;

(ख) उक्त प्रशिक्षण कन्द्रों से जिन व्यक्तियों ने अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हैं उनकी और जो इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन की संख्या कितनी है; और

(ग) प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत ने पहले ही रोज़गार प्राप्त कर लिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९५५ को श्रम मंत्रालय के पुनस्संस्थापन और नौकरी महानिदेशालय के अन्तर्गत ६० प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे थे ।

(ख) दिसम्बर १९५५ तक ५४,७२० व्यक्तियों ने सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया और ३१ दिसम्बर, १९५५ को १२,७२७ व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे थे ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

रेलवे कर्मचारी

†**१९६. श्री डी० सी० शर्मा:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के प्रशासनिक कार्यालयों में पुनर्सेवायुक्त सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा संख्या क्या है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : दो ।

टेलीफोन

†**१९७. श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५५ के अंत तक अधिष्ठापित टेलीफोनों की, जिनमें बिना एक्सचेंज वाले टेलीफोन भी शामिल हैं, संख्या क्या है; तथा

(ख) उक्त अवधि में खोले गये जनता टेलीफोन कार्यालयों की संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**:

(क)	जनवरी - दिसम्बर १९५५ में अधिष्ठापित	३१ दिसम्बर, १९५५ को कुल संख्या
टेलीफोन	३१,०००	२६५,०००
(ख) **जनता टेलीफोन कार्यालय**		
(१) लम्बी दूरी वाले	३१७	१,१६२
(२) स्थानीय	३१७	२,२४२

देहाती डाकघर

†**१९८. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर डिवीज़न के केन्द्रीय सर्किल में १९५४-५५ में कितने देहाती डाकघर खोले गये हैं;

(ख) इस सर्किल के ऐसे कितने डाकघरों में तार की सुविधायें हैं और कितने डाकघरों में तार की सुविधायें पिछले तीन वर्षों में उपलब्ध की गई हैं;

(ग) इस सर्किल में कितने डाकघरों में तार की सुविधायें अगली पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध करने का विचार ह; और

(घ) पांच हज़ार से अधिक जनसंख्या वाले लगभग कितने नगर इस योजना में शामिल किये जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) २८

(ख) ३६; ४

(ग) ७, यदि जांच-पड़ताल करने पर ये क्रियात्मक सिद्ध हो सकें ।

(घ) ३.

(उक्त सूचना का सम्बन्ध सेन्ट्रल परिमण्डल के अन्तर्गत जबलपुर डाक मण्डल से है, जिसमें कि जबलपुर तथा सागर जिले सम्मिलित हैं ।)

विमान यात्रियों के लिये प्रकाशन

†**१९९. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन विभाग द्वारा यात्रा करनेवाले यात्रियों को भारत के समाचारों और अन्य दिलचस्प बातों के बारे में आकर्षक पुस्तिकाएं और प्रकाशन देता है; और

(ख) यदि हां, तो उसके विवरण क्या हैं ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, हां । परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कुछ आकर्षक फ़ोल्डर इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के विमानों में रखे गये हैं । कार्पोरेशन द्वारा अबतक कोई पृथक पुस्तिकाएं अथवा फ़ोल्डर तैयार नहीं किये गये हैं ।

(ख) इन फ़ोल्डरों में से कुछ के बारे में विस्तृत जानकारी देनेवाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८**]

दूध

†२०० { **श्री अस्थाना :**
ठाकुर युगल किशोर सिंह :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रामें दूध के संभरण की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट २. अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ख) इन बातों की स्थापना की प्रस्थापना है:—

(१) नगरीय जनसंख्या को दूध के संभरण के लिये ३६ सहकारी दुग्ध संघ,

(२) क्रीम (मलाई) निकालने के १२ सहकारी ग्रामीण केन्द्र,

(३) ७ दुग्ध चूर्ण फैक्टरियां, और

(४) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में बड़े दुग्धालय ।

मौजूदा दुग्धालयों को यंत्रों और उपकरण के रूप में सुविधायें देकर उनके विस्तार का उपबन्ध भी किया गया है ।

खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग

†२०१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू रामनारायण सिंह :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों के उपभोग को ज्ञात करने के लिये कभी कोई राज्यवार सर्वेक्षण किया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)**: जी, हां । दिसम्बर १९५२ में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित प्रकाशन संख्या १ में, जिसका शीर्षक है "प्रथम दौर के सम्बन्ध में सामान्य प्रतिवेदन, अक्तूबर १९५०—मार्च १९५१" क्षेत्रीय प्राक्कलन और अन्य बातों के साथ साथ खाद्यान्नों की खपत भी दी गयी है ।

टेलीफोन राशनिंग

†२०२. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९५६ के मध्य में बंबई के टैलीफ़ोन अधिकारियों ने टेलीफ़ोन के राशनिंग की प्रणाली अपनाई थी;

(ख) क्या उक्त अवधि में टेलीफ़ोन अधिकारियों ने कुछ टेलीफ़ोन नम्बरों को काट दिया था; और

(ग) उक्त प्रणाली के अपनाये जाने के कारण ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) जी, हां । १८ से लेकर २१ जनवरी, ५६ तक अनावश्यक टेलीफोन अभिदाताओं के टेलीफोन काट दिये गये थे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) असाधारण भार, कर्मचारियों की कमी और विद्युत् शक्ति का न होना ।

पंजाब में देहाती डाकघर

*२०३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६ में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर खोले जाने की प्रस्थापना है; और

(ख) जहां उक्त डाकघर खोले जायेंगे उन क्षेत्रों के नाम ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महिलाओं के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†२०४. **चौ० रघुबीर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि श्रम मंत्रालय द्वारा केवल स्त्रियों के लिये कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ग) इन केन्द्रों में महिला प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इन केन्द्रों पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). अपेक्षित जानकारी इस विवरण में दी जाती है :

संस्था का नाम	१३-१२-१९५५ की नामावलि पर	१९५४–५५ में व्यय
१. महिलाओं की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नई दिल्ली ।	१६२	रुपये ९६,४००
२. महिलाओं की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, देहरादून	२१४	रुपये ६७,८००
३. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, आंध्र महिला सभा, मद्रास ।	१०२	रुपये ३६,९००

पंजाब में डाक तथा तार घर

†२०५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के फ़ीरोजपुर और हिसार जिलों में १९५४ और १९५५ में किन स्थानों पर डाकघर, तार-घर और टेलीफोन कार्यालय खोले गये हैं; और,

(ख) इन ज़िलों का सन् १९५६ के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मांगी गई सूचना देनेवाले दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(ख) (१) इन कार्यालयों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है और यदि संभव हुआ तो इनको स्थापित किया जायेगा :

तार-घर :	(१) रनिया	(हिसार)
जनता टेलीफोन कार्यालय :	(१) पाटो हीरासिंह	(फीरोजपुर)
	(२) कुई खेड़ा	(फीरोजपुर)
	(३) उकलीना	(हिसार)

(२) डाक-घरों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और जल्दी ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल डिब्बों में पंखे

†२०६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभिन्न रेलवेज़ में तीसरे दर्जे के कुल कितने तथा कितने प्रतिशत डिब्बों में पंखे लगा दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : यह जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६१]**

डाक-घर

†**२०७. श्री लक्ष्मय्या :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र राज्य में १९५४–५५ और १९५५–५६ में कुल कितने ग्रामीण डाक-घर खोले गये; और

(ख) क्या आंध्र राज्य के अनन्तपुर जिले के मुलकानूर छपिरी, गरन्दा छेदु और मुद्दिनयनिपल्ली में शाखा डाक-घर खोले जायेंगे ?

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क)

वर्ष	**खोले गये डाकघरों की संख्या**
१९५४–५५	३०८
१९५५–५६ (अब तक खोले गये)	२१३
३१-३-५६ तक खोले जाने वाले	२५८

(ख) प्रस्थापनाओं की जांच की जा रही है और यदि उचित प्रतीत हुआ तो इन डाक घरों की स्थापना कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १ मार्च, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३२०–४२
तारांकित प्रश्न संख्या		
३७०	सरकारी फार्म	३२०–२२
३७१	चीनी मिलें ...	३२२–२३
३७२	उपनगरीय रेलवे मंत्रणा समिति	३२३–२५
३७४	रेल गाड़ियां	३२५
३७५	पंजाब और पेप्सू में बाढ़ सहायता ...	३२५–२६
३७६	सहकारी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	३२७
३७७	स्वास्थ्य अभिकरण	३२७–२८
३७८	काम दिलाऊ दफ्तर	३२८–२९
३८१	पत्तन विकास	३२९–३०
३८२	चीनी	३३०–३१
३८४	बिहार को ऋण	३३१–३२
३८६	केन्द्रीय नारियल समिति ...	३३२–३३
३८७	रेडियो फोटो और दूरसंचार सेवाएं	३३३–३४
३८८	डाक और तार विभाग के कर्मचारी ...	३३४–३६
३८९	श्रम अपीलीय न्यायाधिकरणों के न्यायालय	३३६–३७
३९०	भारत-बर्मा नौवहन सेवा	३३७–३९
३९१	उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमकों को शामिल करना	३३९–४०
३९२	तेल ले जाने वाले जहाज़	३४१–४२
अल्प सूचना		
प्रश्न संख्या		
२	पूर्वी पाकिस्तान को चावल का ऋण	३४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३४२–५३
तारांकित प्रश्न संख्या		
३७३	कृषि मूल्य	३४२–४३
३७९	मरुस्थल की रोकथाम	३४३
३८०	रेल गाड़ियां	३४३
३८३	अनाज के गोदाम	३४३–४४
३८५	नौवहन ...	३४४
३९३	अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन	३४४
३९४	अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग	३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३९५	पशुओं की गणना ...	३४५
३९६	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी ...	३४५
३९७	उत्पादन समितियां ...	३४५
३९८	कोयले की चोरी	३४५–४६
३९९	स्थानीय पोस्ट कार्ड	३४६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८७	प्रशिक्षण केन्द्र ...	३४६
१८८	संगखेडा खुर्द में डाक-घर...	३४६
१८९	राष्ट्रीय राजपथ ...	३४६–४७
१९०	न्यूनतम मजूरी अधिनियम	३४७–४८
१९१	अस्पतालों में क्षय रोगियों के लिए स्थान	३४८
१९२	हिल स्टेशन ...	३४८
१९३	रेलवे के ठेके	३४८–४९
१९४	रेलवे पर दावे	३४९
१९५	प्रशिक्षण केन्द्र	३४९
१९६	रेलवे कर्मचारी	३४९
१९७	टेलीफोन	३४९–५०
१९८	देहाती डाक-घर	३५०
१९९	विमान यात्रियों के लिए प्रकाशन ...	३५०
२००	दूध ...	३५०–५१
२०१	खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग ...	३५१
२०२	टेलीफोन राशनिंग ...	३५१
२०३	पंजाब में देहाती डाक-घर ...	३५१–५२
२०४	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	३५२
२०५	पंजाब में डाक तथा तारघर	३५२
२०६	रेल डिब्बों में पंखे	३५२–५३
२०७	डाक-घर	३५३

...

M9LSD—7-5-57—190-GIPF.

खण्ड १ — अंक १३
१ मार्च, १९५६, (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय–सची

	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	५३५
प्राक्कलन समिति—	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	५३५
सभा का कार्य—	
बैठक का समय	५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ...	५३६–७६
विनियोग विधेयक	५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७६–९१
श्री अनिरुद्ध सिंह	५७६–७८
श्री अशोक मेहता	५७८–८१
श्री झुनझुनवाला ...	५८१–८५
ठाकुर युगल किशोर सिंह	५८५–८६
पंडित के० सी० शर्मा ...	५८६–९०
श्री राधे लाल व्यास ...	५९०–९१
दैनिक संक्षेपिका	५९२

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, १ मार्च, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-३० म० प०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

लेख्य प्रमाणक नियम

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : मैं गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३२४, दिनांक १४ फरवरी, १९५६ में प्रकाशित लेख्य-प्रमाणक नियमों, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एस—७१/५६**]

प्राक्कलन समिति

इक्कीसवाँ प्रतिवेदन

†**श्री बी० जी० मेहता** (गोहिलवाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे मंत्रालय पर ऐस्टीमेट्स (प्राक्कलन) समिति की इक्कीसवीं रिपोर्ट (प्रतिवेदन) पेश (प्रस्तुत) करता हूं।

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि रेलवे और सामान्य आय-व्ययकों तथा वित्त विधेयक पर विचार करने के लिये अधिक समय देने के उद्देश्य से सोमवार, ५ मार्च, १९५६ (जब रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ की जायेगी) से लेकर बुधवार, १८ अप्रैल, १९५६ (वित्त विधेयक के पारित किये जाने की निर्दिष्ट तिथि) तक लोक-सभा की बैठक १०-३० म० पू० से ५-३० म० प० तक हुआ करेगी।

रेलवे और सामान्य आय व्ययकों तथा वित्त विधेयक पर सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगों के लिये निर्धारित किये गये समय की घोषणा लोक-सभा समाचार में कर दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की माँगें*

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा कि लोक-सभा समाचार में पहले ही घोषित किया जा चुका है, १९५५–५६ के आय व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार करने और मतदान के लिये तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया है और उन पर अभी चर्चा की जायेगी। इसलिये लगभग ३-०५ बजे म० प० मांगें मतदान के लिये प्रस्तुत की जायेंगी।

मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य मुझे केवल यह सुझाव दें कि इन में से किन मांगों को वह अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और किन मांगों में समय लगेगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद): आप की घोषणा के पहले भाग से क्या मैं यह समझूं कि जब लोक-सभा की बैठक सप्ताह के पांच दिनों १०-३० म० पू० से ५–३० म० प० तक होगी तो यह निश्चित रूप से समझा जाये कि शनिवार को बैठक नहीं होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि शनिवार को काम का दिन नहीं माना जायगा, बशर्ते कि शेष पांच दिनों में से किसी दिन छुट्टी न पड़ जाये, ऐसी स्थिति में शनिवार को भी बैठक करनी पड़ेगी। १०–३० म० पू० से ५-३० म० प० की बैठक इसी लिये की जा रही है जिससे कि शनिवार को बैठक न करनी पड़े और माननीय सदस्यों और मंत्रियों को अन्य आवश्यक कार्यों की देख-भाल करने का समय प्राप्त हो सके।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** (खम्मम्) : क्या दोपहर को भोजन करने का अवकाश दिया जायगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जितना अवकाश दिया जाता रहा है उतना ही अब भी दिया जायेगा।

अब यदि माननीय सदस्य यह सुझाव दे सकें कि अनुपूरक अनुदानों की किन मांगों को वह आवश्यक समझते हैं तो अच्छा होगा। क्या उन्होंने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : क्या हम अपने कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दें या केवल उन मांगों को बता दें जिनको हम महत्वपूर्ण समझते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप केवल महत्वपूर्ण मांगों को ही स्पष्ट कर दें जिससे कि मैं उनको प्राथमिकता दे सकूं और समय का बंटवारा कर सकूं। जहां तक कटौती प्रस्तावों का सम्बन्ध है, आप केवल उनकी क्रम संख्या बता दीजिये, मैं उनको प्रस्तुत किया गया मान लूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं मांग संख्या ९१ को महत्वपूर्ण समझती हूं। उस पर चर्चा की आवश्यकता है क्योंकि हम ११ करोड़ रुपयों से भी अधिक की स्वीकृति देने जा रहे हैं।

†**श्री के० के० बसु** (डायमण्ड हार्बर) : मैं मांग संख्या ३७ का सुझाव दूंगा।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर): मैं मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; मांग संख्या ३७ वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय और मांग संख्या ८६—नमक का सुझाव दूंगा।

†**श्री एन० बी० चौधरी** (घाटल) : मांग संख्या २ भी है।

†**श्री कामत** : मैं मांग संख्या १ के सम्बन्ध में कुछ सूचना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसलिये इन मांगों—मांग संख्या१, मांग संख्या२, मांग संख्या ३७, मांग संख्या ८६ और मांग संख्या ९१—पर चर्चा की जायेगी।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मैं मांग संख्या ८० और ८९ का भी सुझाव दूंगा ।

†**श्री कामत** : क्या इसका अर्थ यह होगा कि अन्य मांगों के सम्बन्ध में सूचना तक भी प्राप्त नहीं की जा सकेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं नहीं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका स्पष्टीकरण भी किया जा सकता है ।

अब मैं मांग संख्या १ और मांग संख्या २—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय—को अलग-अलग लेता हूं । उन पर कौन से कटौती प्रस्ताव हैं ? माननीय सदस्य प्रत्येक मांग पर कटौती के प्रस्तावों की क्रम संख्या पर्चियों पर लिख कर दे दें । मांग संख्या १ और २ के लिये कुल कितना समय निर्धारित किया जाय ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मांग संख्या १ और २ पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिये क्योंकि मांग संख्या २ उत्पादन के विषय में है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है, हम प्रत्येक के लिये १०-१५ मिनट का समय रखेंगे । मांग संख्या ३७ के लिये आधे घण्टे का समय दिया जायेगा । हम मांग संख्या ८० और ८९ को एक साथ ले सकते हैं ।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : मांग संख्या ८६ भी है । उसमें मुश्किल से १० मिनट भी नहीं लगेंगे ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मैं चाहता हूं कि मांग संख्या ८० के लिये १५ मिनट और मांग संख्या ८९ के लिये लगभग १०—१५ मिनट दिये जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यदि सम्भव हो तो मांग ९१ के लिये ४५ मिनट का समय दिया जाये ।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** (सीकर) : मुझ को मांग संख्या ९१ के अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करना है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मांग संख्या ९१ के लिये मैं ३० मिनट दूंगा ।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** : ३० मिनट पर्याप्त नहीं होंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब मैं अन्य मांगों के लिये समय घटाने का प्रयत्न करूंगा ।

माँग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदान की यह मांग उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की :

माँग संख्या	शीर्ष	राशि
१	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	३,३०,००० रुपये

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१	श्री के० के० बसु	टाइपराइटरों का बदलना	२५,००० रुपये
१	श्री के० के० बसु	प्रदशनियों को भेजे गये शिष्ट मंडलों पर व्यय	२५,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० बसु** : इस मांग के अन्तर्गत मैं यह दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। टाइपराइटरों को बदलने के लिये १७ हजार रुपये की राशि रखी गयी है मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय आयव्ययक बनाया गया था उस समय मंत्रालय ने इस प्रकार की किसी मांग पर क्यों विचार नहीं किया था ? हम जानते हैं कि टाइपराइटर शीघ्र नष्ट होने वाली चीज नहीं हैं और अचानक ही उनको रद्दी नहीं किया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि व्यय की योजना बनाते समय सरकार को उन मदों पर उचित निगरानी रखनी चाहिये जिनको क्रय करना आवश्यक हो जिस समय हम बड़ी-बड़ी योजनाओं का श्रीगणेश कर रहे हैं उस समय धन का उचित उपयोग किया जाना चाहिये अन्यथा और अधिक धन प्राप्त करना कठिन हो जायगा। यह कटौती प्रस्ताव बचत के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूं कि यह मांग सम्बद्ध व्यक्तियों की अकुशलता के कारण प्रस्तुत की गयी है। अपने संतोष के लिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस नयी मद को क्यों सम्मिलित किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, कि टाइपराइटर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। जब तक कि बड़े पैमाने पर टाइपराइटरों को क्षति पहुंचाने वाली कोई राष्ट्रीय दुर्घटना न हो जाये तब तक अचानक इतने सारे टाइपराइटरों को रद्दी नहीं किया जा सकता।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव पदाधिकारियों की विदेशों में प्रति नियुक्ति के सम्बन्ध में है। इसको भी बचत करने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत किया गया है। हमारे राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिये हम को विदेशों में होने वाले मेलों और व्यापार में भाग लेना चाहिये। परन्तु साथ ही हम को यह भी ज्ञात होना चाहिये कि अपने शिष्टमंडल किस प्रकार भेजे जाने चाहिये और उस पर कितना धन व्यय किया जा सकता है। यह सच है कि यह व्यय प्रचार और विज्ञापन के रूप में पूंजी के विनियोजन का एक ढंग है परन्तु इसीलिये यह व्यय इस से होने वाले लाभ के सम-मात्रिक होना चाहिये। यह कहा गया है कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग मेले के लिये १३ प्रविधिक कर्मचारी भेजे गये थे। मेरा तात्पर्य केवल यही है कि मंत्रालय जब भी कभी ऐसे शिष्टमंडलों को विदेशों में भेजे तब बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भेजने की आवश्यकता और उस पर होने वाले लाभ पर अच्छी तरह विचार कर ले। मुझे आशा है कि इस मद विशेष पर मतदान के लिये आग्रह करने से पूर्व मंत्रालय इस बात का उपयुक्त उत्तर अवश्य देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव १ और २ प्रस्तुत हुए।

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१	श्री नम्बियार (मयूरम)	छोटे पैमाने के उत्पादों के लिये विपणन	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१	श्री कामत	बाट और मापों की दशमिक प्रणाली को लागू किया जाना	१०० रुपये

†**श्री कामत** : यह कटौती प्रस्ताव बाटों और मापों की दशमिक प्रणाली के लागू किये जाने के विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक मुझे मालूम है लोक-सभा में न तो बाटों और मापों की दशमिक प्रणाली पर कोई चर्चा की है और न इसके सम्बन्ध में कोई विधेयक अथवा विधान ही पारित किया है। जिस एक मात्र विधान पर लोक-सभा द्वारा विचार किया गया था वह टंकण और मुद्रा के सम्बन्ध में था। मैं नहीं जानता कि लोक-सभा की सहमति प्राप्त किये बिना सरकार किस प्रकार से बाटों और मापों की इस दशमिक प्रणाली को चालू करने की बात कर रही है। टंकण और मुद्रा की दशमिक प्रणाली के सम्बन्ध में जो अधिसूचना लोक-सभा पटल पर रखी गयी थी वह भी गायब हो गयी हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या मुद्रा से सम्बन्धित नियम आदि चर्चा के लिये इस सत्र में प्रस्तुत किये जायेंगे और दूसरे यह कि लोक-सभा से सहमति प्राप्त किये बिना और इस सम्बन्ध में कोई विधेयक लाये बिना सरकार ने बाटों और मापों की दशमिक प्रणाली को चालू करने की व्यवस्था किस प्रकार की है।

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** (होशियारपुर): मैं अधिकांश मांगों और विशेष रूप से मांग संख्या १ के सम्बन्ध में सामान्य रूप से विचार प्रगट करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यह देख रहे हैं कि भारत सरकार के मंत्रालयों में अपने कर्मचारीवृन्द की संख्या बढ़ाते जाने की मनोवृत्ति सी आ गयी है। वह और भी अधिक कर्मचारियों की मांग करते चले जा रहे हैं। अन्य देशों के सम्बन्ध में पढ़ने पर मैंने देखा है कि युद्ध काल में इंग्लैंड ने भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की भरती की थी, परन्तु उसके बाद वहां की सरकार निरन्तर कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का ही प्रयास करती चली आ रही है। मेरी धारणा है कि हमारा प्रशासन अत्यधिक खर्चीला होता चला जा रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिये कोई कारण नहीं बताये जा रहे हैं कि भारत सरकार का इतना धन क्यों व्यय किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारी प्रशासनिक सेवाओं का इतना विस्तार क्यों किया जा रहा है जब कि वह काम, जो कि उनको करना पड़ता है, उतना अधिक नहीं है। यहां लिखा गया है कि 'भारी मांग' है। मैं इन शब्दों 'भारी' और 'मांग' के स्पष्ट अर्थ जानना चाहता हूं। निर्यात की प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में अभी विशेष कुछ तो किया नहीं गया है, परन्तु हम से नये पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये धन देने के लिये कहा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन नये विभागों की स्थापना करने के सुनिश्चित कारण न बताये जायें तब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जाना चाहिये? मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले की उचित ढंग से जांच की जानी चाहिये।

अधिक से अधिक शिष्टमंडल विदेशों का भेजे जा रहे हैं। मैं इनके विरुद्ध नहीं हूं परन्तु न जानें क्यों यह शिष्टमंडल एक प्रकार से 'निहित स्वार्थ' बनते जा रहे हैं।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि विभागों और पदाधिकारियों की संख्या को बढ़ाते जाने की भारत सरकार की प्रवृत्ति की समुचित जांच की जाय। कल वित्त मंत्री ने कहा था कि इस प्रश्न की जांच करने के लिये वह एक आयोग की नियुक्ति कर रहे हैं। जब तक वह आयोग नियुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक इन नये पदाधिकारियों से सम्बन्धित इन सब मांगों को उठा रखा जाये।

†**श्री वेलायुधन** (क्विलोन-मावेलिक्करा—रक्षित-अनुसूचित जातियां): मुझे लोक-सभा के समक्ष केवल एक ही बात रखनी है। जैसा कि श्री शर्मा ने कहा, विभिन्न नये विभागों में अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, परन्तु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जितनी भी नयी योजनाओं की परिकल्पना की है, उनमें से एक में भी अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के एक भी व्यक्ति को भरती नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि कर्मचारी वर्ग की भरती के लिये गृह-कार्य मंत्रालय ने जो नियम बनाये हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं श्री शर्मा द्वारा प्रगट किये गये सामान्य विचारों का उत्तर बाद में दूंगा, क्योंकि वह अत्यन्त ही व्यापक हैं। इस समय मैं उन विशिष्ट प्रश्नों को लेता हूं जिनको मेरे मित्र श्री बसु ने स्पष्ट रूप से उठाया है। टाइपराइटरों को रद्दी करने की प्रणाली बड़ी जटिल है, क्योंकि जो कर्मचारी उनको इस्तेमाल करता है उसको किसी यन्त्र विशेष को रद्दी घोषित करने का प्राधिकार नहीं होता है। उस मशीन को उसे उपयुक्त पदाधिकारी द्वारा ही रद्दी कराना पड़ता है, और टाइपराइटरों के सम्बन्ध में यह पदाधिकारी लेखन सामग्री का नियन्त्रक होता है। मांग करने वाले विभाग और प्राधिकार के बीच सतत खींचतान चला करती है। इसलिये इस में थोड़ा समय लगता है। इस विशेष मामले में, १९ टाइपराइटरों को रद्दी घोषित किया गया था और क्योंकि रद्दी घोषित करने वाले प्राधिकारी से अन्तिम आदेश प्राप्त करने में विलम्ब हो गया था, इसलिये आय व्ययक मांगों के समय इस मामले को लोक-सभा के सामने नहीं लाया जा सकता था। इस प्रकार के विलम्ब का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है और आखिर, हम को यह भी तो स्मरण रखना है कि यह टाइपराइटर बहुत पहले ही बदल दिये जाने चाहिये थे और उचित प्राधिकारी इन रद्दी टाइपराइटरों से कुशलता की अन्तिम बूंद तक भी निचोड़ लेना चाहते हैं।

जहां तक एक दर्जन व्यक्तियों को पाकिस्तान में हुई प्रदर्शनी में भेजे जाने का प्रश्न है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और हमें आशा है कि अपने सामान, विशेष रूप से इंजीनियरिंग के सामान के लिये, हम को वहां अच्छा बाजार मिल जायेगा। थोड़ा बहुत प्रदर्शन किये जाने पर भी पाकिस्तान प्रदर्शनी में भारतीय मंडप ने, और विशेष रूप से इंजीनियरिंग के सामान ने, बड़ी संख्या में दर्शकों का ध्यान आकृष्ट किया। उनके निर्माण और कार्य सम्बन्धी बातों को समझाने के लिये विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इसलिये इस देश के निकट और सम्भावित बाजार के आशाप्रद होने के कारण ही इन व्यक्तियों को भेजा गया था। स्पष्ट है कि जो व्यक्ति डीज़ल इंजन को समझा सकता है वह खराद की मशीन को नहीं समझा सकता है। इसलिये १२ व्यक्ति भेजे गये थे और प्रदर्शनी का स्थान क्यों कि कराची म था इसलिये व्यय भी अधिक नहीं हुआ था।

जहां तक प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, श्री बसु का सुझाव अत्यन्त ही संगत है और सरकार भी यह व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है कि इसकी योजना हमारी क्षमता के अनुरूप ही बनायी जाये। परन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में, जिनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और जहां हमारा भाग लेना आवश्यक हो जाता है और जहां हमें बाजार प्राप्त करने की आशाप्रद सम्भावना दिखाई पड़ती है, वहां हम को जल्दी जल्दी में और थोड़ी सूचना पर भी निर्णय करना पड़ा है। मैं यहां यह बता दूं कि इस वर्ष विशेष में हमने कम्बोडिया में एक प्रदर्शनी और आदिस अबाबा की एक प्रदर्शनी में भाग लिया और दीर्घकालीन दृष्टिकोण से, हमारे तैयार सामान की निकासी के लिये यह बड़ी आशाप्रद थीं। इसलिये, अल्पसूचना पर भी हम को निर्णय करना पड़ता है और इन में भाग लेना पड़ता है। परन्तु, फिर भी, श्री बसु का यह सुझाव कि, इसके सम्बन्ध में थोड़ी बहुत योजना बनाई जानी चाहिये, निश्चय ही सहायता देने वाला है और इसको ध्यान में रखा जायेगा।

दशमिक प्रणाली के सम्बन्ध में श्री कामत के प्रश्न के बारे में स्थिति यह है कि बाटों और मापों की दशमिक प्रणाली को अपनाने के लिये आवश्यक विधान शीघ्र ही, सम्भवतः इसी सत्र में, लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जैसा कि श्री कामत स्वयं अनुभव करेंगे, जब कोई विषय लोक-सभा के समक्ष रखा जाता है तो उसके सम्बन्ध में बहुत अधिक प्रारम्भिक तैयारी करनी पड़ती है। राज्यों से जिन पर कि बाटों और मापों के लागू करने का उत्तरदायित्व रहता है, परामर्श करना पड़ता है। उनकी

---

†मूल अंग्रेजी में

आपत्तियों और कठिनाइयों का भी ध्यान रखना होता है। इस के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता थी। यह एक दीर्घकालीन विधान है और इसको कार्यान्वित करने में १० या १५ वर्ष लगेंगे। विधान के आधार का यथासम्भव पूर्ण स्वरूप तैयार करने के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता है। इसीलिये यह मांग प्रस्तुत की गयी है। विधान के प्रस्तुत कर दिये जाने पर नियम बनाने के अधिकारों का उपबन्ध किया जायेगा। उस समय इस बात पर चर्चा करना उचित होगा कि इन नियमों को लोक-सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाये अथवा नहीं।

†**श्री कामत** : उसकी वित्तीय उपलक्षणाओं का क्या हुआ ?

†**श्री कानूनगो** : उसके टंकण से सम्बन्धित भाग का मुझ को कोई ज्ञान नहीं है। कर्मचारी वृन्द के बारे में श्री डी० सी० शर्मा ने कटु आलोचना की है। यदि वह मूल मांग और अनुपूरक मांगों को पुस्तक में दी गई जानकारी को पढ़े तो वह देखेंगे कि कार्य के बढ़ जाने से अधिक कर्मचारी रखना आवश्यक हो जाता है। इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं है कि मंत्रालय में कोई व्यक्ति किसी नये पद के स्थापित किये जाने की मांग करे और मांग पूरी कर दी जाये। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकक ने इस मामले की पूरी जांच की थी और उसकी सिफारिश के बाद यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अधिकतर कर्मचारी इसलिये बढ़ाने पड़े थे, क्योंकि व्यापार वर्गीकरणों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार पुनः वर्गीकृत करना पड़ा है। आयात और निर्यात नीति में परिवर्तन किये जाने के कारण भी, जो कि छः-छः मासों के बाद किया जाता है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किसी अर्ध वर्ष में कितना काम रहेगा। जैसा कि सभा को ज्ञात है, निर्यात और आयात नीति और महत्वपूर्ण नियन्त्रण को क्रमशः उदार बनाये जाने की नीतियों की लोक-सभा द्वारा अनुमोदन किया गया है। उन कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए जो कर्मचारियों की संख्या को घटाने के लिये की गई हैं, मेरे विचार में इन थोड़े से पदों का जिनकी कि आवश्यकता पड़ गई है विरोध नहीं किया जायेगा। सदन ने कई बार छोटे पैमाने के उद्योगों की संस्था को और इस की सेवाओं के बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। काम और सेवाओं के बढ़ने से प्रत्येक बार कुछ न कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक नहीं है।

श्री वेलायुधन की बात का उत्तर गृह-कार्य मंत्रालय ही दे सकता है, क्योंकि पदों के सुरक्षित करने और उन्हें भरने के सम्बन्ध में आदेशों को क्रियान्वित करना उसी का काम है। भरती गृह-कार्य मंत्रालय के स्थायी आदेशों के अनुसार की जाती है मैं नहीं जानता कि इन पदाधिकारियों की प्रतिशतता क्या है या किसी मंत्रालय विशेष में इन की संख्या कितनी है। किन्तु मेरा अनुमान है कि गृह मंत्रालय जो विशेष हितों के अधिकारों की रक्षा करता है और इन की भरती सम्बन्धी नियमों का पालन करता है, इस मामले पर अवश्य ध्यान देगा।

†**श्री वेलायुधन** : यदि कोई नियुक्ति की जानी होती है, तो वह तुरन्त कर दी जाती है, और अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित पद पर नियुक्ति करने के लिये समय नहीं दिया जाता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक सामान्य प्रश्न है, जिसका निर्णय गृह मंत्रालय करता है। अब मैं कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या २, ३, ४ और ५ मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए]

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा मांग संख्या १ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई]

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

मांग संख्या २—उद्योग : १९५५–५६ के लिये अनुदान की यह मांग उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
२	उद्योग	१,१२,००,००० रुपये

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
२	श्री एन० बी० चौधरी	ग्रामोद्योगों, हस्त शिल्पों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर कम व्यय	१०० रुपये
	श्री नम्बियार	हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में खादी उद्योग को प्रगति	१०० रुपये
	श्री कामत	पाद यात्रा दल	१०० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं उस कमी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो छोटे पैमाने के उद्योगों ग्रामोद्योगों और दस्तकारियों से व्यय में हुई है । इनके व्यय में १·५४ करोड़ रुपये की बचत हुई है और यह बहुत शोचनीय है । जहां तक छोटे पैमाने के और ग्रामोद्यागों का सम्बन्ध है, ग्रामों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली हुई है । हम मानते हैं कि खादी उद्योगों का उचित विकास होना चाहिये, किन्तु छोटे पैमाने के उद्योगों के व्यय में बचत करने का कोई कारण नहीं है ।

राज्यों में वित्त निगम स्थापित कर दिये गये हैं, किन्तु इन उद्योगों के लिये इनसे सहायता लेना बहुत कठिन है और वित्त और मंडियों के न होने के कारण इन उद्योगों को बहुत कठिनाई हो रही है ।

घण्टों के लिये धातु के उद्योग, सींग के सामान के उद्योग, कंघे बनाने के उद्योग को प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की कमी निर्यात की अड़चनों आदि के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । जब तक अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड या कोई अन्य संस्था इन की सहायता न करे, इन की कठिनाइयां दूर नहीं होंगी ।

इन परिस्थितियों में यह खेद की बात है कि यह बोर्ड आय व्ययक में दी गई धन राशि का उपयोग नहीं कर सका है । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ग्रामोद्योगों के लिये दी गई राशि सारी की सारी खर्च की जायेगी ।

†**श्री नम्बियार** : दक्षिण में, विशेषकर मद्रास राज्य में हाथकरघा उद्योग की स्थिति बहुत खराब है । इसे उपकर से अधिक सहायता मिलनी चाहिये । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि हाथकरघा उद्योग के लिये अधिक धन दिया जाये और ताले और बर्तन बनाने के छोटे पैमाने के उद्योगों को भी दक्षिण में प्रोत्साहन दिया जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं भी यह कहना चाहती हूं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ग्रामोद्योगों और दस्तकारियों पर १·१५ लाख रुपया कम खर्च किया गया है ।

जहां तक खादी का सम्बन्ध है; मेरा अपना अनुमान है कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उन क्षेत्रों में जो कि पिछड़े हुए हैं, पर्याप्त केन्द्र नहीं हैं । उदाहरण के लिये सुन्दर बन में कोई क्रय या प्रशिक्षण

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह व्यक्ति जो घर पर कताई करता है यह नहीं जानता कि वह सूत को बेचने के लिये कहां ले जाये, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई, प्रचार नहीं किया जाता है। परिणाम यह है कि सरकार द्वारा दी गई सहायता उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जो कुटीर उद्योगों में काम कर रहे हैं। सरकार को पिछड़े हुए क्षेत्रों में क्रय और प्रशिक्षय केन्द्र अवश्य खोलने चाहिये।

ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि इन में गवेषणा की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये सुन्दर बन के क्षेत्र में ऐसी घास और अन्य चीजें मिलती हैं जिनसे हम चटाइयां, कागज और अन्य वस्तुयें बना सकते हैं। उद्योग विभाग से बार-बार प्रार्थना की गई है, किन्तु कोई कार्य-वाही नहीं की गई है। ग्रामों में यह भी कोई नहीं जानता कि गवेषणा, गवेषणा के परिणामों उत्पादन केन्द्रों, प्रशिक्षण या विपणन के सम्बन्ध में जानकारी कहां से प्राप्त की जाये। यह मंत्रालय की सब से बड़ी त्रुटि है कि उसने इस बात का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। मेरे विचार में खर्च कम होने का एक कारण यह भी है कि जिस धन के लिये हम इस सदन में मंजूरी देते हैं, वह उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है जो बेकारी के कारण पीड़ित हैं।

†**श्री टी० एन० सिंह** (जिला बनारस—पूर्व) : मैं पूर्व वक्ता के विचारों से सहमत हूं, क्योंकि ऐसे एक बोर्ड से सम्बन्धित होने के कारण, मैं जानता हूं कि काम में शीघ्रता लाने और आवंटित धन राशि को खर्च करने में कितनी कठिनाई होती है। मैं अनुभव करता हूं कि संस्था के प्रबन्ध में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि ऐसे उद्योगों में काम करने वाले परिवारों की स्थिति को सरकारी पदाधिकारी या मंत्री, जो कि कार्यालयों में बैठे रहते हैं, नहीं जान सकते हैं, बल्कि गैर-सरकारी व्यक्ति ही ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। वास्तव में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को एक परिनिहत निकाय बनाने का प्रश्न बहुत समय से लम्बित है। इस बोर्ड के सदस्य बहुत उत्साह से काम करते हैं और उन्होंने अपना सारा जीवन इस प्रकार की सेवा में लगाया है किन्तु स्वतन्त्र रूप से काम न कर सकने और अनेक नियमों और विनियमों के बन्धन न होने के कारण उन्हें बहुत बाधा होती है। यह सब समाप्त होना चाहिये और इस निकाय को एक परिनियत निकाय बना दिया जाना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि हमें इन लोगों पर विश्वास करना चाहिये और उन्हें अपना कार्य-क्रम चलाने के लिये आवश्यक धन उपलब्ध कराना चाहिये और यद्यपि उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा होनी चाहिये तथापि खर्च करने के लिये उन्हें सरकारी विभाग की औपचारिकताओं और प्रतिबन्धों से मुक्त कर देना चाहिये। यह मांग बहुत समय से की जा रही है। आखिर रुपया बड़े-बड़े व्यापारियों या धनवानों की जेबों में नहीं जाना बल्कि निर्धन लोगों के हाथों में जाना है। अतः इन लोगों पर विश्वास करते हुए हमें एक परिनियत निकाय बनाना चाहिये। ऐसा किये बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती, और जब तक इसके सदस्यों को काम करने की पूरा स्वतन्त्रता नहीं होगी, निर्धारित राशि का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता है।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** (तिरुपुर) : मैं केवल अम्बर चर्खा कार्यक्रम के प्रश्न को उठाना चाहता हूं। हम यह जानना चाहेंगे कि यह चर्खा कितना सूत कात सकता है, यह किस हद तक मिलों का मुकाबला कर सकता है और क्या इसके द्वारा काता गया सूत हाथकरघा बुनकरों के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चूंकि इन विषयों के सम्बन्ध में मतभेद है, इसलिये एक मान्य घोषणा की जानी चाहिये।

मैं यह जानना चाहता हूं कि तकलों की बांट स्थायी रूप से बन्द की गई है या अस्थायी रूप से।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

मेरे विचार में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के एक परिनियत निकाय न होने के कारण कोई हानि नहीं हुई है। इसकी सिफारिशों को अवश्य माना जाता है।

इस बोर्ड पर हम लगभग ५·१६ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित होना चाहिये, जिसमें बताया जाये, कि इस बोर्ड ने कुटीर उद्योगों में काम देने के लिये क्या-क्या अवसर उपलब्ध कराये हैं।

†**श्री राम चन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में खादी उद्योग की कार्यकुशलता और खादी बनाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई सामान्य सर्वेक्षण किया गया है, क्योंकि खादी का प्रयोग सरकारी क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। और माननीय रेलवे मंत्री ने बताया है कि रेलव कर्मचारियों की वर्दियों के लिये लाखों रुपये की खादी खरीदी जायेगी। इसलिये यह आवश्यक है कि खादी की उत्तमता को बनाये रखा जाये और इसे और भी बढ़िया बनाया जाये, अन्यथा सरकार के बहुत से धन का अपव्यय होगा।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या अम्बर चर्खा में तकलों की संख्या चार से बढ़ा कर बारह नहीं की जा सकती है, जिससे कि उतने ही श्रम से अधिक सूत बनाया जा सके। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस उद्योग के उस क्षेत्र में कितनी धन राशि खर्च की जाती है और उत्पादक और उपभोक्ता के मूल्यों में क्या अनुपात है। मुझे भय है कि खादी उद्योग को जितनी आर्थिक सहायता दी जाती है, उसका अधिकांश भाग उपभोक्ता और उत्पादक के बीच काम करने वाली संस्था पर खर्च किया जा रहा है। यदि उत्पादक को अपने श्रम का उचित लाभ न मिले, तो इसे जारी रखने का कोई लाभ नहीं है।

अवहार देने के लिये ८५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। मेरे विचार में अवहार देने में किसी प्रकार की अनिवार्यता होनी चाहिये।

मैंने देखा है कि कुछ स्थानों पर हाथकरघे के कपड़े पर अवहार नहीं दिया जाता है। दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को यह अवहार देना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिये, नहीं तो खादी का विक्रय कम हो जाने की सम्भावना है।

यदि सरकार ने इस उद्योग की आय के बारे में आंकड़े दिये होते तो हमें बहुत संतोष होता। खादी उद्योगों की प्रत्याशित आय के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जिस से कि हमें मालूम हो सके कि इस उद्योग को कितनी हानि हो रही है और खादी के कुल मूल्य का कितना भाग उत्पादक को मिलता है।

†**श्री कामत** : मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। हम ने भूदान के सम्बन्ध में की गई पादयात्रायें तो सुनी हैं, किन्तु खादी और ग्रामोद्योगों के लिये पादयात्रायें नहीं की गई हैं। माननीय मंत्री इस बात पर प्रकाश डालें कि क्या खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिये भी ऐसे पादयात्री दलों का प्रबन्ध किया जाता है।

†**श्री सतीश चन्द्र** : अतिरिक्त धन खादी के विकास के लिये उपेक्षित है। किन्तु माननीय सदस्यों ने अधिकतर दस्तकारियों, हाथकरघा और छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में कहा है। खादी के विकास के लिये अपेक्षित धन उस उपकर में से लिया जाता है जो मिल के बने कपड़े पर लगाया जाता है, ग्रामोद्योगों, दस्तकारियों और अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों पर जो धन खर्च किया जाता है, वह सरकार के सामान्य राजस्व में से आता है। अतः ये पृथक्-पृथक् लेखे हैं। ग्रामोद्योग और दस्तकारियों के व्यय में, जो कि इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं, होने वाली बचत का उपयोग भी खादी के लिये किया गया है। खादी उद्योग के काम में अन्य ग्रामोद्योगों और दस्तकारियों की अपेक्षा अधिक प्रगति हो रही है। खादी स्वयं एक ग्रामोद्योग है इसका अधिकांश उत्पादन ग्रामों में होता है, अन्य ग्रामोद्योगों

†मूल अंग्रेजी में

के व्यय में बचत होने का मुख्य कारण यह है कि खादी बोर्ड ने हाल ही में इन के विकास की ओर ध्यान दिया है। ग्रामों में इस काम के लिये सहकारी संस्थायें और एक उचित संगठन स्थापित करना आवश्यक है। आशा है कि भविष्य में अन्य ग्रामोद्यागों के काम में भी और अधिक प्रगति होगी।

खादी का काम देश में बहुत समय से हो रहा है। अतः अन्य ग्रामोद्यागों की अपेक्षा इस का उत्पादन बढ़ाना अधिक सहल था। खादी बोर्ड ने पिछले आय व्ययक में दी गई राशि से भी अधिक धन का उपयोग किया है।

श्री चेट्टियार ने अम्बर चर्खे का उल्लेख किया। वह जानते हैं कि एक अग्रिम योजना स्वीकृत की गई है और इस मास के अन्त तक लगभग ६ हजार अम्बर चर्खे चालू हो जायेंगे। कर्वे समिति ने अम्बर चर्खे के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया है।

उसने सिफारिश की है कि अम्बर चर्खा के सूत के हाथ करघा उद्योग के लिये उपयुक्त होने के सम्बन्ध में कुछ परीक्षण किये जाने चाहियें और इस की उत्पादन क्षमता देखी जानी चाहिये। ये परीक्षण अब किये जा रहे हैं और इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा रही है। परिणाम अप्रैल के अन्त तक या मई के मध्य तक ज्ञात हो जायेंगे जब कि अम्बर चर्खे के बारे में सरकार कोई निश्चित निर्णय कर सकेगी। यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इसे बड़े पैमाने पर जारी करना उपयुक्त होगा, तो इसके लिये वित्तीय प्रबन्ध करना पड़ेगा। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अपना काम बहुत संतोषजनक तरीके से कर रहा है। इसके सदस्यों का बहुत आदर किया जाता है और इन्होंने निःस्वार्थ सेवा की है। जहां तक स्वायत्तता का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्र बता चुके हैं कि किसी भी अवसर पर अनुचित हस्तक्षेप के कारण बोर्ड के कार्यक्रमों में विलम्ब नहीं हुआ है। मैं श्री टी० एन० सिंह की इस बात को नहीं मान सकता कि सरकार उचित योजनाओं के क्रियान्वित किये जाने में बाधा डालती है।

†**श्री टी० एन० सिंह :** मैंने यह कभी नहीं कहा कि सरकार बाधा डालती है। मैंने यह कहा था कि सरकारी औपचारिकताओं के कारण काम शीघ्रता से नहीं हो पाता है।

†**श्री सतीश चन्द्र :** तथापि मैं कह सकता हूं कि खादी बोर्ड को ऐसी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि कर्वे समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था। वास्तव में बोर्ड को एक स्वायत्तशासी निकाय बनाने के लिये इस सदन में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था, किन्तु कर्वे समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि संसद में इस विधेयक पर विचार करने से पहले सरकार के इस संवैधानिक औचित्य पर विचार कर लेना चाहिये समिति के अनुसार, भविष्य में ग्रामोद्योगों, दस्तकारियों छोटे पैमाने के उद्योगों और खादी पर सरकार बहुत धन व्यय करने जा रही है। योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिये। अधिकांश काम केवल स्वायत्तशासी निकायों के द्वारा ही नहीं अपितु राज्य सरकारों के द्वारा ही किया जाना चाहिए।

यह कर्वे समिति का विचार है। वास्तव में हम ने उस विधेयक के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना है।

मैं इतना कह सकता हूं कि मंत्रालय के पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं की बिना अनुचित विलम्ब के जांच की जाती है, किन्तु शर्त यह है कि उन योजनाओं में समय-समय पर परिवर्तनों के सुझाव न दिये जायें। जहां तक खादी बोर्ड का सम्बन्ध है, उसे बहुत कम अवसरों पर यह शिकायत करने का अवसर मिला है कि उसकी योजनायें रुकी पड़ी हैं। अन्यथा हमें १·१२ लाख रुपये के अतिरिक्त अनुदान के लिये प्रार्थना न करनी पड़ती। उसने उपलब्ध राशि से अधिक व्यय किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जिला और ग्राम स्तर पर, बोर्ड राज्य सरकार के किन अभिकरणों द्वारा अपना काम करता है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : ग्रामोद्योगों के लिये मंजूर की गई राशि दो तरीकों से खर्च की जाती है । पहला यह है कि राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाये, जो अपनी योजनायें मंजूरी के लिये भेजती हैं । रुपया उनक अपने अभिकरणों द्वारा जैसे कुटीर उद्योगों वि ाग इत्यादि द्वारा—खर्च किया जाता है । दूसरा यह है कि देश की पंजीबद्ध संस्थाओं या सहकारी संस्थाओं को, जो विशिष्ट योजनाओं के लिये अनुदानों की प्रार्थना करती है, अनुदान दिये जाते हैं । इन योजनाओं का परीक्षण सम्बद्ध बोर्ड द्वारा किया जाता है और उसकी सिफारिशों पर सरकार राज्य सरकार के द्वारा अनुदान देती है । खादी का काम खादी के काम में लगी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और नियन्त्रण अखिल भारतीय खादी बोर्ड का रहता है । ग्रामोद्योगों के लिये वित्तीय सहायता सदा राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है । योजनाओं के क्रियान्वित की देख-रेख करने का उत्तरदायित्व उस पर है । सम्भव है कि स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष को इन योजनाओं का ज्ञान न हो । यह उसका कृत्य भी नहीं है । यदि स्थानीय निकायों के किसी अध्यक्ष को रुचि हो, तो वह राज्य सरकार को योजना प्रस्तुत कर सकता है और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग कर सकती है । केन्द्रीय सरकार के लिये प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक सहकारी संस्था के साथ व्यवहार करना सम्भव नहीं है । अनुदान राज्य सरकारों के द्वारा ही देने पड़ेंगे ।

तकलों की संख्या के बारे में भी कुछ कहा गया था । इस प्रश्न पर विचार किया गया था यह अनुभव किया गया था कि काफी तकलों के लिये लाइसेंस दिये जा चुके है और यदि अम्बर चर्खा सम्बन्धी परीक्षणों के परिणाम ज्ञात होने तक और लाइसेंस देने बन्द कर दिये जायें. तो कोई हानि नहीं होगी । इसके बाद स्थिति पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

११२ लाख की अतिरिक्त राशि का उपयोग अम्बर चर्खा अग्रिम योजना के लिये रूई खरीदने क लिये और कुछ अन्य विविध यीजनाओं के लिये जिन की मंजूरी खादी बोर्ड के परामर्श से दी गई है, किया गया है । मेरा निवेदन है कि इस मांग को स्वीकृत किया जाये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ६, ७ और ८ सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुपूरक मांग संख्या २ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े

१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदान की यह मांग उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३	वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	४,३३,००० रुपये

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा अनुपूरक मांग संख्या ३ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई]

१९५५–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की ये मांगें उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
५	संचार मंत्रालय	१,४४,००० रुपये
६	भारतीय डाक और तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	२५,००,००० रुपये

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री के० के० बसु :** मुझे केवल दो प्रश्न उठाने हैं और वे मांग संख्या ५ के सम्बन्ध में हैं। पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पुरानी मोटरकार के स्थान पर नई मोटरकार लेने के लिये सहसा १८,००० रुपये की राशि व्यय करने की आवश्यकता कैसे हुई ? पुरानी मोटरकार की मरम्मत करा कर उसे कुछ वर्ष और चलाया जा सकता था और जो रुपया इस तरह बच जाता, वह खादी बोर्ड के काम में लाया जा सकता था।

दूसरा प्रश्न यह है कि विमान कम्पनियों को देय प्रतिकर के निर्धारण के लिये नियुक्त किये गये न्यायाधिकरण की अवधि को दिसम्बर १९५५ तक बढ़ाने के कारण संसद् को विस्तारपूर्वक बताने जाने चाहियें। यदि कम्पनियां स्वयं उत्तरदायी हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक उन्हें प्रतिकर देने का सम्बन्ध है, हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। जब यह दोष एक ही पक्ष का है, तो राष्ट्र पर इस अतिरिक्त व्यय का भार क्यों डाला जाये। अत: मंत्रालय को वह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये जिसके कारण इस अतिरिक्त राशि की मांग की गई है।

†**संचार मंत्रालय में मंत्री (श्री राज बहादुर) :** जहां तक स्टाफ कार को खरीदने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मंत्रालय जिस मोटरकार का प्रयोग पहले कर रहा था, वह १९४८ में खरीदी गई थी। यह ६२,००० मील चलने के बाद घिसकर बिल्कुल छकड़ा हो गई थी।

†**श्री के० के० बसु :** यह कौन से मेक की थी ?

†**श्री राज बहादुर :** यह शैवरोले १९४६ या १९४७ थी।

†**श्री के० के० बसु :** तो इसका प्रयोग ठीक तरह से नहीं किया होगा।

†**श्री राज बहादुर :** मैं कह सकता हूं कि इस का प्रयोग कभी बुरी तरह नहीं किया गया और न ही इसके साथ कभी कोई बड़ी दुर्घटना ही हुई।

६२,००० मील चल चुकने के बाद देखा गया था कि इसका माइलोमीटर भी काम नहीं कर रहा। इसने १५,००० मील और तय किये और जब तक हमने इसे हटाने का निर्णय किया तो यह ७७,००० मील चल चुकी थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके लिये यह व्यवस्था क्यों की गई। हम ने १९५४ में निर्णय किया था कि पुरानी कार के स्थान में नयी कार ली जाय। उस समय विभिन्न मंत्रालयों की स्टाफ कारों का एक केन्द्रीय पुंज था और उस पर परिवहन मंत्रालय का नियन्त्रण था। १ अगस्त, १९५५ को एक निर्णय किया गया था कि विभिन्न मंत्रालयों से कहा जाय कि वे अपनी-अपनी मोटर कारों पर नियन्त्रण जारी रखें। इसलिये हमें नई कार खरीदनी पड़ी थी। इसके लिये वित्त मंत्रालय को, जो कि व्यय की प्रत्येक मद की जांच बड़ी सावधानी से करता है, अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। परिवहन मंत्रालय ने भी सहमति दे दी थी। १८,००० रुपये मूल्य सूची मूल्य था, जो एक पाई भी अधिक नहीं है। पुरानी कार की अवधि समाप्त हो चुकी थी। प्रति गैलन यह केवल नौ मील चलती थी और इस को इस अवस्था में चलाते रहना, लाभप्रद नहीं था। अत: अधिक से अधिक उचित मूल्य पर एक नई कार खरीदी गई थी।

†**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** (वान्दिवाश) : पुरानी कार का क्या हुआ ?

†**श्री राज बहादुर :** इस सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक द्वारा खुली नीलामी में २,४०० रुपये पर बेच दिया गया था।

†**श्री के० के० बसु :** इस कार का प्रयोग किस बात के लिये किया जाता था। क्या मंत्रालय इसे मुख्यालय में काम में लाता था ?

†**श्री राज बहादुर :** यह कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामों के लिये प्रयोग में लाई जाती थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० बसु :** दिल्ली में ?

†**श्री राज बहादुर :** दिल्ली में, दिल्ली के आस पास और आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली के बाहर भी। इसका प्रयोग मंत्रियों और अन्य कर्मचारियों द्वारा सरकारी कामों के लिये किया जाता था।

†**श्री कामत :** उनके परिवारों द्वारा भी ?

†**श्री राज बहादुर :** बिल्कुल नहीं।

न्यायाधिकरण के बारे में, मैं यह नहीं कहता कि विमान कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की सारी योजना बिना किसी कठिनाई के क्रियान्वित की गई है। हम जानते थे कि बहुत से झगड़े और समस्यायें उत्पन्न होंगी। इस न्यायाधिकरण को विमान निगम अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये बनाया गया था। मुझे इनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। किन्तु मैं निवेदन करूंगा कि अधिनियम की धारा २३ और २४ के अन्तर्गत इस न्यायाधिकरण के सामने केवल दो याचिकायें प्रस्तुत की गई थीं। न्यायालय के अध्यक्ष एक विख्यात वकील, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री पातंजलि शास्त्री थे और इसके सदस्य रेलवे दर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री एन० एस० लोकुर और रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व वित्तीय सलाहकार श्री भवानी शंकर राव थे। याचिकायें १ जुलाई, १९५४ को उन्हें प्रस्तुत की गई थीं। वे वहां लम्बित रहीं और उनके लिये विभिन्न तिथियां निश्चित की गईं। अन्त में हमारे वैधानिक सलाहकार के कहने पर इनके सम्बन्ध में एक समझौता कर लिया गया था किन्तु १ जुलाई, १९५५ को, इन दो याचिकाओं के निपटाये जाने से पहले; १ अगस्त, १९५३ से पूर्व, भूतपूर्व कम्पनियों के कर्मचारियों के संचित अवकाश के सम्बन्ध में दायित्व स्वरूप प्रतिकर का भुगतान करने के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के हेतु मई १९५५ में कुछ कम्पनियां संगठित हो गईं। यह प्रश्न मई १९५५ में फिर न्यायाधिकरण को सौंपा गया था इस के सम्बन्ध में भी अक्तूबर १९५५ में एक समझौता हो गया था। आय व्ययक की मांगें करते समय हमें यह आशा नहीं थी कि न्यायाधिकरण को इतने समय तक काम करना पड़ेगा। चूंकि यह प्रत्याशित अवधि से अधिक समय तक काम करता रहा, इसलिये हमें इस की उचित कार्यवाहियों पर व्यय करना पड़ा था। २४,००० रुपये का यह व्यय इस तरह हुआ था।

†**श्री के० के० बसु :** आपने कहा कि मई १९५४ में केवल दो याचिकायें प्रस्तुत की गई थीं, फिर सहसा चार या पांच कम्पनियों ने याचिकायें प्रस्तुत कर दीं। क्या याचिकायें प्रस्तुत करने के लिये कोई कालावधि नहीं थी ?

†**श्री राज बहादुर :** यह समय के अनुसार थीं। यह सब कार्यवाही वैध थी और विहित कालावधि के बाद प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न ही नहीं था। उन्हें दी जाने वाली निर्धारित प्रतिकर की राशि के सम्बन्ध में आपत्ति करने का अधिकार है। जब उसकी परिगणना की गई और उन्हें दिया गया तो उन्होंने आवेदन किये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मांग संख्या ३० तक चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री पी० सुब्बा राव** (नौरंगपुर): मांग संख्या १७ के बारे में मैंने कटौती प्रस्तावों की सूचना दी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आपने सूचना दी होगी किन्तु मैंने जब माननीय सदस्यों से यह पूछा था कि क्या वे किसी मांग विशेष पर चर्चा और वाद-विवाद करना चाहते हैं तब आप अपने स्थान पर नहीं थे और न आपने मुझ से पहले कहा ही था।

†**श्री पी० सुब्बाराव :** मेरा ख्याल था कि प्रत्येक मांग को अलग लिया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं ।

†**श्री एन० आर० मुनिस्वामी** : उन्होंने अपनी अनुपस्थिति पर खेद प्रकट किया है ।

†**श्री पी० सुब्बा राव** : मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कठिनाई यह है कि हमारे पास बहुत से कटौती प्रस्ताव हैं । हमें किसी विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना चाहिये क्योंकि पहले ही समय बहुत कम है ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : क्या मांग संख्या १७ के बारे में मैं कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता हूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले मुझे मांग संख्या ५ और ६ को मतदान के लिये प्रस्तुत करने दीजिये ।

†**श्री पी० सुब्बा राव** : जब सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा होती है तब मांगों को एक के बाद एक लिया जाता है और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किन्तु लोक-सभा का समय सीमित है । हमारी बैठकें सौ दिनों तक होती रहें फिर भी अन्त में कुछ बातें ऐसी रह जायेंगी जिन पर कि चर्चा की जा सकती है । इसलिये प्रणाली यह है कि सदस्यों से यह निश्चित कर लिया जाता है कि वे किस विशिष्ट बात पर चर्चा करना चाहते हैं । जो सदस्य उन पर चर्चा करना चाहते हैं उन्हें उस समय यहां उपस्थित रह कर अध्यक्ष महोदय को सूचित करना चाहिये । अब माननीय सदस्य कहते हैं कि वह इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं । इसके बाद मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

अब मैं मांग संख्या ५ और ६ को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद मांग संख्या १७ को लिया जायेगा ।

†**श्री राज बहादुर** : प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों का क्या होगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये थे । माननीय मंत्री द्वारा मुझे यह बताया जाना आवश्यक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ५ और ६ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या १७—पुरातत्व

१९५५-५६ के लिये अनुदान की यह मांग उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की ।

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
१७	पुरातत्व	६,५६,००० रुपये

†**श्री पी० सुब्बा राव** : स्मारकों अथवा धर्म संस्थाओं का स्वामित्व दो प्रकार का—सार्वजनिक और निजी—हो सकता है । जहां तक धर्म संस्थाओं का सम्बन्ध है जिस जाति की वह संस्था होती है वही जाति उसकी मालिक होती है । जब वह उसे त्याग देती हैं तो वह स्मारक बन जाता है । वह मंदिर अथवा मस्जिद अथवा चर्च जहां दैनिक अथवा साप्ताहिक प्रार्थनायें की जाती हों । स्मारक नहीं हो सकते हैं और उनकी मरम्मत के लिये किसी प्रकार का सार्वजनिक व्यय करना गलत बात है । यदि ऐसे अनुदानों की मंजूरी दी गई तो अनुदानों का कोई अन्त ही नहीं होगा । हिन्दुओं के कई मंदिर ऐसे हैं जिनका त्याग नहीं किया गया है और वे जीर्ण अवस्था में हैं । इसी प्रकार कुछ नरेशों के महल कायम रखे जाने के योग्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पी० सुब्बा राव]

हैं। इसलिये यह अनुदान उस संविधान का उल्लंघन है जिस में घोषित किया गया है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यह अनुदान एक धर्म संस्था को दिया जा रहा है इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : इस मांग के अन्तर्गत नागार्जुनकोंडा की खुदाई परियोजना के लिये ६०,००० रुपये दिये जाने का उपबन्ध किया गया है। मैं मंत्रालय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का कोई निश्चय है कि खुदाई का काम इतनी तेजी से हो सकेगा कि बांध के निर्माण के फलस्वरूप होने वाले जलप्लावन से पूर्व वह समाप्त हो जायेगा। पुरातत्व विभाग के कई कर्मचारियों को भी इस सम्बन्ध में संदेह है और इसलिये माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मई, १९५६ में बुद्ध जयन्ती समारोह के अवसर पर, यात्रियों को नागार्जुनकोंडा ले जाने का कोई प्रयत्न किया जायेगा ताकि उन्हें यह बताया जा सके कि अवशेषों के परिरक्षण के लिये क्या किया जा रहा है। मैं यह इसलिये कहता हूं कि नागार्जुनकोंडा सम्भवतः समस्त विश्व में एक मात्र ऐसा स्थान है जहां इतने बुद्धकालीन अवशेष एक ही स्थान पर हैं हम को और बुद्ध जयन्ती समारोह के सम्बन्ध में आने वाले प्रतिनिधियों को क्या कार्य किया जा रहा है इसकी जानकारी दी जानी उचित ही होगी। जब प्रधान मंत्री नागार्जुनसागर बांध का उद्घाटन करने गये थे तब वहां से लौटने के बाद उनसे मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने बताया था कि एक द्वीप के, जिस में एक राष्ट्रीय उद्यान होगा, बनाये जाने की योजनायें थी। वहां एक पहाड़ी भी है जिस पर अवशेष रखे जा सकते हैं। इस व्यवस्था से मंत्रालय को कहां तक संतोष होगा यह मैं नहीं कह सकता हूं किन्तु पुरातत्व के इतिहास में यह प्रथम अवसर है जबकि कोई महत्वपूर्ण स्थान पूर्ण रूपेण जलप्लावित हो रहा है। किन्तु यदि हम कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थायें करने में, जो पुरातत्ववेताओं को किसी हद तक मान्य हों, सफल हो गये हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिये और पुरातत्व विभाग के लिये यह श्रेयस्कर है कि नागार्जुनकोंडा के अवशेषों के बारे में हम क्या कर रहे हैं यह बुद्ध जयन्ती समारोह में आने वाले प्रतिनिधियों को बताया जाये। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सभासचिव हमें महत्वपूर्ण जानकारी दें।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : प्रो० मुकर्जी ने नागार्जुनकोंडा खुदाई परियोजना का उल्लेख किया है, किन्तु मैं एक अन्य बुद्ध स्मारक का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि संभवतः सबसे बड़ा और इस देश का और विश्व का सर्वाधिक सुन्दर स्मारक है और वह हैं एलोरा की गुफायें। मैं जानना चाहता हूं कि इन में से कुछ गुफाओं की मरम्मत को इस में शामिल किया गया है अथवा नहीं।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसी किन्हीं परियोजनाओं की जानकारी है अथवा 'यूनेस्को', शिक्षा गोष्ठी को, जो कि हमारे देश में शीघ्र ही होने जा रही है, एलोरा की गुफाओं के भ्रमणार्थ आमंत्रित करने की सरकार की कोई योजना है। अभी हाल ही में एक प्रख्यात विद्वान से मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे उपराष्ट्रपति भी इस तरह की छोटी शिक्षा गोष्ठियां आयोजित करने और इन व्यक्तियों को एलोरा ले जाने में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है।

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : मेरे माननीय मित्र श्री सुब्बा राव ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके बारे में मैं उन्हें इस सभा में परसों जो बातें हुईं वह बताउंगा। मेरे मित्र श्री बी० डी० पांडे ने एक प्रश्न की सूचना दी थी जिसका उत्तर दिया गया था और उन्होंने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था। उनका प्रश्न जामा मस्जिद की मरम्मत के बारे में था और वह इस प्रकार था :

---

†मूल अंग्रेजी में

"मैं इसे नीति के तौर पर जानना चाहता हूं कि हमारी जैसी धर्म निरपेक्ष सरकार इस प्रकार की एक साम्प्रदायिक संस्था को अनुदान क्यों देती है ।"

उन्होंने जामा मस्जिद का उल्लेख किया था । उसका उत्तर मैंने दिया कि हम जामा मस्जिद की मरम्मत के कार्य को एक मस्जिद की मरम्मत के कार्य के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व के एक ऐतिहासिक और पुरातत्व स्मारक की मरम्मत के लिये यह कार्य कर रहे हैं । इसके बाद श्री पांडे ने एक और पूरक प्रश्न पूछा :

"क्या यह उदारता देश की अन्य साम्प्रदायिक संस्थाओं के प्रति भी दिखाई जायेगी ?"

सौभाग्य से प्रधान मंत्री यहां उपस्थित थे और उन्होंने कहा था :

"यह उदारता कलात्मक, सुरुचिपूर्ण और पुरातात्विक महत्व के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के प्रति भी दिखाई जायेगी ?"

श्री कामत ने कहा था : "ऐतिहासिक महत्व के भी ? प्रधान मंत्री ने कहा "ऐतिहासिक महत्व के भी किन्तु और किसी प्रकार के नहीं ।" प्रधान मंत्री ने आगे कहा :

"वास्तव में यदि माननीय सदस्य को भारत के अतीत अथवा वर्तमान की कुछ भी जानकारी हो तो उन्हें यह अनुभव करना चाहिये कि सौभाग्य वश अथवा दुर्भाग्यवश हमारे प्रायः सभी स्मारक किसी न किसी धर्म से सम्बन्ध रखते हैं । वे ऐतिहासिक स्मारक हैं । अजन्ता हो या एलोरा हो और चाहे यहां की जामा-मास्जिद हो या कोई अन्य स्थान हो, ये सभी महान राष्ट्रीय स्मारक हैं चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हों ।"

जो कुछ प्रधान मंत्री ने इस सभा में कहा है उसे सुधारने का प्रयास करने की उद्दंडता मैं नहीं कर सकता हूं ।

†**श्री बी० डी० पांडे** (जिला अल्मोड़ा—उत्तर पूर्व) : सभासचिव से मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । किसी भवन के रक्षित होने की घोषणा किये जाने की स्थिति में ही पुरातत्व विभाग द्वारा सहायता अनुदान दिया जायेगा; अन्यथा नहीं दिया जायेगा । आप को अनुदान देने का अधिकार है किन्तु केवल रक्षित स्मारकों के लिये ही अनुदान दिया जाता है ।

†**डा० एम० एम० दास** : रक्षित स्मारक के मामले में आवश्यक मरम्मत कराना भारत सरकार का कर्त्तव्य है । इस मामले में, जामा-मस्जिद के रक्षित स्मारक न होने के कारण कुछ किया नहीं जा सकता था । किन्तु स्मारक के राष्ट्रीय महत्व, उसकी कला और सौन्दर्य के महत्व के कारण, जिस समय भारत सरकार को यह ज्ञात हुआ कि कुछ मरम्मत की जानी आवश्यक हैं तो उसने इस मामले पर विचार किया । उसने दिल्ली राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री ब्रह्म प्रकाश के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की और समिति की सिफारिशों पर इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार किया गया और कुछ मरम्मत कराने का निर्णय किया गया ।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : जामा मस्जिद की स्वयं आमदनी काफी है ।

†**श्री पी० सुब्बा राव** : अधिनियम के किस उपबन्ध के अन्तर्गत समिति नियुक्ति की गई थी और वह सिफारिशें कैसे कर सकती थी ?

†**डा० एम० एम० दास** : अधिनियम के उपबन्धों में कोई ऐसी बात नहीं है जो भारत सरकार को अनुदान देने से रोकती हो । इस समय जामा मस्जिद की देख-भाल करने वाली संस्था को निर्देश किया गया है । हमने इस मामले का निर्देश दिल्ली के मुख्य आयुक्त से किया और उसने हमें सूचित किया कि

†मूल अंग्रेजी में

[डा० एम० एम० दास]

उक्त संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इस कारण इस मरम्मत पर जो व्यय होगा उसमें किसी प्रकार का योग दान देने में वह असमर्थ है ।

मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि जामा मस्जिद की मरम्मत के लिये हमें हैदराबाद सरकार से सहायता प्राप्त हुई है । विगत १९४५ में, जामा मस्जिद में कुछ मरम्मत कराने की जरूरत महसूस की गई थी और निजाम की सरकार द्वारा एक लाख रुपये का अंश दान दिया गया था । इसमें से लगभग ५० प्रतिशत व्यय हुआ था और शेष धन हैदराबाद सरकार को लौटा दिया गया था । जब मौजूदा मरम्मत का प्रश्न सरकार के समक्ष आया तो हमने हैदराबाद सरकार से उक्त ५० प्रतिशत धन हमें वापस लौटा देने को कहा । और हैदराबाद सरकार ने उदारतापूर्वक हमें इस कार्य के लिये पचास हजार रुपये से भी अधिक धन दिया है । इस कार्य पर व्यय की जाने वाली राशि--१,१३,८०० रुपये में से पचास हजार से भी अधिक धन राशि हैदराबाद सरकार द्वारा दी जायेगी ।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : उक्त सहायता विशेषकर हैदराबाद सरकार द्वारा ही क्यों दी गई ?

†**डा० एम० एम० दास** : क्योंकि हमने उससे वह धन लौटाने को कहा जो हम १९४५ में उसे लौटा चुके थे ।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : क्या सरकार का इरादा यह है कि चूंकि जामा मस्जिद को घाटा हो हो रहा है इसलिये उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले ।

†**डा० एम० एम० दास** : जामा मस्जिद के प्रबन्ध के ले लेने की हमारी कोई प्रस्थापना नहीं है । चूंकि ये मरम्मतें आवश्यक समझी गई हैं इसलिये इस मरम्मत को कराने के लिये हम तैयार हैं और यह कार्य हमारे पुरातत्व विभाग द्वारा किया जायेगा ।

प्रो० हीरेन मुकर्जी द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्हें जो यह संदेह है कि बांध के निर्माण से पूर्व खुदाई का कार्य समाप्त नहीं हो सकेगा, तो यह सन्देह हम सभी को है और इसी संदेह के कारण भारत सरकार इस कार्य को तेजी से करना चाहती है और नागार्जुन सागर बांध के बन जाने और समूचे क्षेत्र के जल प्लावित होने से पूर्व खुदाई के कार्य को समाप्त कर देना चाहती है । चालू वर्ष १९५५-५६ के मूल आय व्ययक उपबन्ध में । नागार्जुनकोंडा में खुदाई के लिये ९७,३०० रुपये की राशि रखी गई थी और बाद में यह सोचा गया कि कार्य की गति को बढ़ाया जाये । इसलिये यह अतिरिक्त राशि सदन द्वारा मंजूर की जानी चाहिये । नागार्जुनकोंडा की खुदाई से प्राप्त होने वाले पुरातत्व सम्बन्धी अवशेषों के बारे में श्री मुकर्जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं उन्हें इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले संग्रहालय की मौजूदा स्थिति बतलाता हूं । नागार्जुनकोंडा एक घाटी है जहां खुदाई का कार्य जारी है । इस घाटी के मध्य में, ठीक उसी स्थान पर, जहां कि पुरातत्व सम्बन्धी उक्त नमूने पाये गये हैं और जो जलप्लावित हो जायेंगे, एक ऐसी पहाड़ी है जिसकी चोटी समतल है । प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया है कि संग्रहालय के लिये उक्त स्थान अच्छा रहेगा । उक्त पहाड़ी की जांच करने और यह जानने के लिये कि क्या वह टेकड़ी पानी के आक्षरण का सामना कर सकती है, एक विशेष समिति गठित की गई थी । उक्त समिति का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु हम आशा करते हैं कि वह हमारे लिये अनुकूल ही होगा और प्रधान मंत्री के निदेशानुसार इस पहाड़ी के ऊपर एक संग्रहालय बनाया जायेगा और उसमें ये सभी नमूने रखे जायेंगे ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इन सब ब्योरों में जाने का समय मेरे पास नहीं है । अभी कई मांगों पर चर्चा होनी है.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुरेश चन्द्र** : किन्तु सभासचिव का भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा ख्याल है कि उन्होंने लोक-सभा को पर्याप्त जानकारी दे दी है । क्या सरकार कोई अग्रेतर जानकारी देने जा रही है ?

†**डा० सुरेश चन्द्र** : मैं एलोरा के बारे में कुछ और जानकारी चाहता हूं ।

†**डा० एम० एम० दास** : मौजूदा मांग एलोरा से सम्बन्धित नहीं है । किन्तु मैं यह बता दूं कि एलोरा पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत एक रक्षित स्मारक है और जब जब वहां मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता होगी, मरम्मत कराई जायेगी । अभी हाल ही में मैं वहां गया था और मैंने देखा कि इस सम्बन्ध में वहां कुछ किया जा रहा है ।

†**डा० सुरेश चन्द्र** : मैं जानना चाहता था कि क्या बुद्ध जयन्ती समारोह के सिलसिले में सरकार लोगों को एलोरा आने का निमन्त्रण दे रही है और 'यूनेस्को' शिक्षा गोष्ठी के सम्बन्ध में क्या सरकार लोगों को वहां किसी प्रकार की शिक्षा गोष्ठी आयोजित करने के लिये आमंत्रित कर रही है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जहां तक बुद्ध जयन्ती का सम्बन्ध है, सामान्य आय व्ययक में जयन्ती समारोह पर होने वाले व्यय के लिये १५,००,००० रुपये की राशि रखी गई है । अन्य बौद्ध मतावलम्बी देशों से आमंत्रित व्यक्तियों को उन स्थानों को ले जाया जायेगा जहां बौद्ध मन्दिर हैं किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि उन्हें एलोरा ले जाया जायेगा अथवा नहीं ।

†**श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्रालय संसद सदस्यों की एक समिति गठित करेगा ताकि वे एलोरा की गुफाओं को देख सकें ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : उनके पास रेलवे के निःशुल्क पास हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या १७ मतदान के लिये रखी गई और स्वीकृत हुई ।

मांग सख्या २४——वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

१९५५–५६ के लिये अनुदान की यह मांग उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की ।

मांग सख्या	शीर्ष	राशि
२४	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१,२२,००० रुपये

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या २४ मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई ।

मांग संख्या ३०—स्टाम्प

१९५५–५६ के लिये अनुदान की यह मांग उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग सख्या	शीर्ष	राशि
३०	स्टाम्प	१६,०३,००० रुपये

†**श्री कामत** : पाद-टिप्पण से यह ज्ञात होता है कि नियुक्त किये गये विदेशी विशेषज्ञ की सेवायें कुछ और समय तक रखी जायेंगी । पाद्-टिप्पण में कहा गया है यह बात अपेक्षित नहीं थी । क्या हम जान सकते हैं कि उक्त विशेषज्ञ किस कार्य के लिये नियुक्त किया गया था, उस कार्य के किस भाग अथवा पहलू को उसने पूरा नहीं किया जिसके फलस्वरूप उसकी सेवायें अधिक समय के लिये आवश्यक हुई हैं और इस विदेशी विशेषज्ञ की राष्ट्रीयता और नाम क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० बसु** : मैंने भी एक ऐसे ही कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है। हमको इसके कोई स्पष्ट कारण नहीं बताये गये हैं कि उसकी सेवा की अवधि क्यों बढ़ाई जा रही है, वह कब से इस पद पर नियुक्त है और क्या वह दो वर्ष में उस काम को पूरा कर लेगा और क्या उस काम को सीखने के लिये किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त किया गया है। फिर, स्टाम्पों उप-नियन्त्रक को उससे अधिक वेतन मिल रहा है। आय-व्ययक बनाते समय, सरकार को इसका उचित स्पष्टीकरण देना चाहिये था।

यह भी समझ में नहीं आता कि विभाग ने कुछ पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें लगाने की आवश्यकता को पहले से क्यों नहीं देखा था। इसमें किसी आकस्मिकता का तो प्रश्न है ही नहीं। फिर सरकार कैसे इस प्रकार की अनुपूरक मांग कर सकती है ? मेरा विचार है कि इस चालू सत्र में वार्षिक आय-व्ययक पेश करते समय विभाग ने अपने पूरे काम की योजना उचित ढंग से नहीं बनाई है। आशा है कि माननीय मंत्री लोक-सभा के समक्ष इस स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह)** : श्री कामत ने विदेशी विशेषज्ञ के बारे में कुछ बातें कही हैं। उसे तीन वर्ष के ठेके पर रखा गया था और उसकी अवधि अब समाप्त होने जा रही है, शायद इसी वर्ष। प्रस्ताव है कि उसकी अवधि को एक वर्ष और बढ़ा दिया जाय। शायद माननीय सदस्य जानते हैं कि हमने स्टाम्पों के मुद्रण की एक नई प्रणाली—फोटोग्रेवर प्रणाली आरम्भ की है। उसे इग्लैंड से विशेष रूप से इसी काम के लिये लाया गया था। उसे विशेषज्ञ समझा गया था और इसी प्रकार के काम का विशेषज्ञ समझा गया था, इसी लिये हमने अपने लन्दन-स्थित राज-दूतावास के द्वारा उसकी सेवायें प्राप्त की थीं। अन्य देशों में भी उसने इसी प्रकार काम किया है। उसने प्रायः अपना समस्त जीवन इग्लैंड और अन्य देशों में इसी प्रकार के काम में व्यतीत किया है। यहां भी उस भारतीय सुरक्षा प्रेस को इस प्रणाली के सम्बन्ध में सहायता देने और अपनी जगह काम करन के लिये किसी भारतीय को प्रशिक्षित करने के लिये ही बुलाया गया था। उसके नीचे काम सीखने के लिये जो दो प्रशिक्षार्थी रखे गये थे वे अभी तक पर्याप्त रूप से उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सके हैं। उसक ठेके की अवधि में एक और वर्ष की वृद्धि करने का एक कारण यह भी है।

†**श्री के० के० बसु** : यदि वह अगले महीने के लिये है, तो यह व्यय अगले आय-व्ययक में आयेगा उसकी अवधि कब समाप्त हुई।

†**श्री ए० सी० गुह** : नवम्बर १९५५ में उसकी अवधि समाप्त हुई थी, और हम उसमें एक वर्ष की और वृद्धि करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, उन दो प्रशिक्षार्थियों को अभी उस प्रणाली का काम नहीं सौंपा जा सकता है। हमें आशा है कि कुछ समय बाद वे दोनों प्रशिक्षार्थी इस काम को सम्भाल लेंगे। अभी वे स्वतन्त्र रूप स उसे करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं।

जहाँ तक मशीनों और अन्य चीजों का सम्बन्ध है, सुरक्षा प्रेस एक विशाल मुद्रणालय है और उसके कुछ हिस्से या उपकरण घिस या बेकार भी हो जा सकते हैं। इन अतिरिक्त मदों पर होने वाले व्यय का पहले से अनुमान लगा लेना सम्भव नहीं है। इन अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता है। कारखाने क लिये चाकू सान चढ़ाने की मशीनें (ग्राइंडिंग मशीनें), खराद मशीनें (लैथ) आदि।

श्री बस ने दूसरी बात मोडार उप-नियन्त्रक के पद के सम्बन्ध में कही है। काम के परिमाण के बढ़ जाने के कारण कुछ भांडारों तथा अन्य चीजों का क्रय करना आवश्यक हो गया है और इसीलिये एक नये पद का निर्माण करना आवश्यक समझा गया। माननीय सदस्य जानते हैं कि सुरक्षा प्रेस बड़ी गति से काम कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मांग संख्या ३० मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई।

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

वर्ष १९५५–५६ के लिये अनुदानों की ये मांगें उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
३३	चलमुद्रा	९,१५,००० रुपये
३४	टकसाल	३,०७,००० रुपये

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मांग संख्या ३४ में जो राशि मांगी गई है वह बम्बई तथा अलीपुर की टकसालों में अधिक कामगारों की भर्ती करने और कुछ सर्वाधिक महत्व के विभागों में अधिक समय तक काम कराने के लिये ही मांगी गई है। एक ओर तो काम की इतनी अधिकता है, और दूसरी ओर अलीपुर टकसाल के समूचे उत्किरण-विभाग को अस्थायी बनाकर रखा गया है, जब कि वह विभाग पिछले १५० वर्षों से इस कार्य को कर रहा है।

दूसरी बात यह है कि इतना प्रवीण काम करने वालों को भी अब कामगारों की श्रेणी में रख दिया गया है, जब कि पिछले १५० वर्षों से उन्हें तीसरी श्रेणी में रखा जाता रहा है। और, वास्तव में, उन्हें भारत सर्वेक्षण विभाग के उत्किरण कर्मचारियों से कम वेतन भी मिलता है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करती हूं कि उन्हें तीसरी श्रेणी में ही रख दिया जाय और उनके १५० वर्ष पुराने विभाग को भी अब स्थायी बना दिया जाये।

†**पंडित सी० एन० मालवीय** (राय सेन) : दो रुपये के नोटों का मुद्रण बन्द कर दिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक नीति का प्रश्न है और इसे आय-व्ययक चर्चा के समय लिया जा सकता है।

†**श्री ए० सी० गुह** : यदि आप यह विनिर्णय करें, तो श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की अधिकांश बातें भी इसी में आ जाती हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या मैं यह समझूं कि उत्किरण करने वाले कामगार नहीं हैं? यदि आप यही मानते हैं, तो मुझे पूर्ण संतोष हो जायेगा।

†**श्री ए० सी० गुह** : अच्छा होगा, यदि मैं इन चीजों का स्पष्टीकरण कर दूं।

यह सही है कि अभी तक उनको तीसरी श्रेणी के कर्मचारी माना जाता था, लेकिन हाल ही में बम्बई और कलकत्ता दोनों स्थानों के कारखानों के निरीक्षकों के निर्णय के अनुसार उनको चौथी श्रेणी–कामगारों की श्रेणी—में रख दिया गया है। हमने वर्तमान पदधारियों को वे सभी विशेषाधिकार दे रखे हैं जो अभी तक उनको प्राप्त थे। श्रम-विशेषज्ञों ने इस मामले का निर्णय कर दिया है। लेकिन, मैं माननीय सदस्या को बता दूं कि हमने इस मामले पर पूरी सहानुभूति के साथ विचार किया था और हमने वर्तमान पदधारियों को वे अधिकांश विशेषाधिकार और सुविधायें दे रखी हैं, जो उन्हें अब तक मिलो हुई थीं। जहां तक उनको स्थायी बनाने का प्रश्न है, मेरा विचार है कि हाल ही में उनको स्थायी बनाने का आदेश जारी किया गया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा मांग संख्या ३३ और ३४ मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुईं।]

वर्ष १९५५–५६ के लिये अनुदान की यह मांग उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
३७	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	४,३७,०२,००० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
३७	श्री एन० बी० चौधरी	प्रकृति की विपत्तियों तथा अभाव पीड़ित क्षेत्रों के लिये सहायता	१०० रुपये
३७	श्री एन० बी ० चौधरी	अभाव पीड़ितों क्षेत्रों में सहायता-उपायों के लिये अपर्याप्त सहायता	१००. रुपये

†**श्री एन० बी० चौधरी** : हम जानते हैं कि सरकार ने एक सूत्र बना लिया है, और वह प्राकृतिक विपत्तियों और अभाव पीड़ित क्षेत्रों में राज्य द्वारा व्यय की जाने वाली राशि में से दो करोड़ रुपये तक आधे व्यय का और इससे ऊपर ७५ प्रतिशत व्यय का भार अपने ऊपर ले लेती है ।

[**सरदार हुकम सिंह** पीठासीन हुए]

पहले इसके लिये कुल तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, पर अब उसे ७ करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है लेकिन, मैं अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इतनी राशि भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम पिछले चार-पांच वर्षों से देख रहे हैं कि इन पीड़ित क्षेत्रों वाले राज्यों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है । प्रति वर्ष अधिकाधिक राज्यों पर ऐसी विपत्तियां आती जा रही हैं । इसलिये, हमें अपने आय-व्ययक में इसके लिये और अधिक राशि रखनी चाहिये ।

चार करोड़ की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : क्या माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि वह १९५६-५७ के आय-व्ययक के सम्बन्ध में बोल रहे हैं, या १९५५-५६ के आय-व्ययक के ? ये तो १९५५-५६ की अनुपूरक मांगें हैं । मेरे विचार से तो यही अच्छा होगा कि और अधिक धन राशि की व्यवस्था करने तथा अन्य सभी बातों पर १९५६–५७ की मांगों के यहां प्रस्तुत किये जाने के समय ही चर्चा की जाय ।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : जब भारत सरकार राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में ५० और ७५ प्रतिशत तक सहायता देती है, तो उसे यह भी मालूम करना चाहिये कि उस धन का व्यय कहां और किस प्रकार किया जा रहा है । मेरा अनुभव तो यह है कि राशि का दुरुपयोग होता है और बुरे ढंग से उसकी व्यवस्था की जाती है । चूंकि केन्द्रीय सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है, इसलिये उसे देखना चाहिये कि यह व्यय उचित रूप से किया जाय । यह राशि उन क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने पर ही व्यय होनी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त मेरा अनुभव है कि फसल का मौसम समाप्त होते ही यह सहायता देनी बन्द कर दी जाती है । इससे अपंग और भूमिहीन व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि फसल का मौसम होने या न होन का उनके लिये कोई लाभ ही नहीं होता है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह राज्यों से इसके सम्बन्ध में सूचना मंगायें और ऐसे व्यक्तियों को सहायता दिये जाने रहने का सुनिश्चय कराये ।

एक और बात यह है, कि फसल के मौसम के बाद अधिकांश कृषकों के पास कोई भी काम नहीं रह जाता है । हम जब समाजवाद की बातें करते हैं, तो हमें उन्हें काम भी देना चाहिय । जब तक गांवों में बेरोज़गारी है, तब तक हमें उन्हें सहायता देनी चाहिये, चाहे वहां बाढ़ या अकाल का प्रभाव हो या न हो । और यह सहायता हमें काफी लम्बे काल तक देनी पड़ेगी ।

दी जाने वाली सहायता की व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरा अनुभव है कि कभी-कभी मजदूरों को यह सहायता नक़द न देकर वस्तु के, विशेषकर चावल के, रूप में दी जाती है । लेकिन, कई

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों से शिकायतें आई हैं कि यह चावल बहुत ही खराब क़िस्म का होता है और उसे लेने के लिये उन्हें बहुत दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है। भारत सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारों से कहे कि लोगों को इस प्रकार की कठिनाइयां न उठानी पड़ें।

†**श्री के० के० बसु** : सरकार को चाहिये कि वह यह देखे कि सहायता के रूप में दी जाने वाली इस राशि का दुरुपयोग न हो। सरकार राशि का बंटवारा करके चुपचाप बैठ जाती है। मैंने स्वयं सुन्दरवन के क्षेत्रों में देखा है कि सड़कों के निर्माण के लिये रुपया दिया जाता है, कच्ची सड़कें बनाई जाती हैं और वे बरसात के दिनों में बह जाती हैं। सरकार रुपया व्यय करके चुप बैठ जाती है। उसे बन्ध बनाने की बात नहीं सूझती। इसी प्रकार सरकार किसी वर्ष में किसी क्षेत्र को अभाव पीड़ित क्षेत्र घोषित करती है, और नई फसल आने पर चौर-छः महीनों बाद यह समझ लेती है कि वहाँ की कमी दूर हो गई है। वहाँ अभाव बना ही रहता है। इससे कोई भी लाभ नहीं होता कृषकों की बेरोजगारी बनी ही रहती है। कभी-कभी तो एक काम पूरा नहीं होता, पर उसे अधूरा छोड़ कर दूसरे किसी काम के लिये सहायता देनी शुरू कर दी जाती है मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार रुपया बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले तो सहायता ही अपर्याप्त होती है, फिर उसका दुरुपयोग भी होता है। प्रशासन में कहीं कोई ग़लती अवश्य है। या, तो सारा प्रशासन अधिकारियों की सनकों पर चलता है, या फिर अधिकारी सत्तारूढ़ दल के स्थानीय सदस्यों के अनुसार कार्य करते हैं। इसके कारण सारा धन व्यर्थ जाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव की दशा उतनी सम्पन्न नहीं है जितनी कि सरकार की वैधानिक परिभाषा उसे बताती है। हमारे गांवों में नई फसल आने के बाद भी बेरोज़गारी बनी ही रहती है। इस सहायता के धन का पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये यह आवश्यक है कि इन बेरोज़गार व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किया जाय। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह एक वैधानिक दृष्टिकोण न रखे, अभाव-पीड़ित क्षेत्र को सहायता देकर यह न समझ ले कि अभाव मिट गया है। उसे यह भी देखना चाहिये कि उस क्षेत्र के निवासियों को उसका पूरा-पूरा लाभ मिले।

दूसरी बात मैं औद्योगिक वित्त निगम की 'दत्रमत' मांग के 'भारित' मद में बदले जाने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है। हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष ने निश्चित तौर पर यह निर्देश किया था कि इस प्रकार के वर्गीकरण के परिवर्तन से पहले सरकार को ऐसे मामलों को लोक लेखा समिति के सामने रखना चाहिये। इस मांग में इतना ही कहा गया है कि उसके बारे में महालेखा-परीक्षक से परामर्श कर लिया गया है। लोक लेखा समिति के सामने इसे क्यों नहीं रखा गया? उससे कतराने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष ने इसके सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिया था, फिर भी पता नहीं क्यों सरकार ने वैसा नहीं किया है। मैं आशा करता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे। वह इसे अगले आय-व्ययक में सम्मिलित कर सकते हैं।

सरकार कहती है कि औद्योगिक वित्त निगम को इसलिये कोई मुनाफ़ा नहीं हो सका कि लाभ और हानि के लेखे में उन ऋणों से, जिनके वसूल हो पाने में सन्देह था, प्रोद्भूत व्याज को सम्मिलित नहीं किया गया है, इस निगम की स्थापना जिस संविधि के अन्तर्गत हुई थी उसके समझौते की शर्तों के अनुसार सरकार इस धन राशि को पूरा करने के लिये बाध्य है। फिर, ऐसा क्यों नहीं किया गया? चार वर्ष पहले संसद् में इस मामले पर चर्चा हुई थी और जांच समिति ने एक प्रतिवेदन भी तैयार किया था। तब हमने निगम के कई सदस्यों की कड़ी आलोचना भी की थी। फिर भी, सरकार ने अपने उस प्रतिनिधि के विरुद्ध जो इस विनियोजन के लिये उत्तरदायी थी, कोई कार्यवाई नहीं की। इस पूंजी के लगाने का दायित्व किस पर है? औद्योगिक वित्त निगम के वार्षिक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० के० बसु]

प्रतिवेदन को देखने से पता लगता है कि यह राशि बड़े-बड़े लोगों द्वारा प्रबंधित बड़ी-बड़ी व्यापार संस्थाओं में लगायी गई है और उनकी आर्थिक दशा भी ठीक है। फिर, व्याज की कमी को पूरा करने के लिये संसद् से क्यों कहा जाता है? यह छोटी-मोटी बात नहीं है। हमें इस पर चर्चा करने के लिये अधिक समय मिलना चाहिये। सरकार को भी इसका पूरी तौर पर स्पष्टीकरण करना चाहिये कि उसने इसे भारित मद में क्यों रखा है जिससे कि सभा में इस पर मतदान भी न किया जा सके? इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

†**श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : यह सही है कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा पांच के अन्तर्गत व्याज की कुछ राशि की गारंटी कर दी गई है। लेकिन, यह भी उतना ही सही है कि सरकार को देखना चाहिये कि निगम का कार्य उचित रूप से चलता रहे। हम देख रहे हैं कि सरकार को आरम्भ से ही इस निगम को आर्थिक सहायता देनी पड़ी है। यह कहा गया है कि सौदेपुर ग्लास वर्स को दी गई धन राशि पर व्याज नहीं लगाया गया है। क्यों नहीं? फिर कहा गया है कि छः कम्पनियों के लेखों पर प्रोद्भूत व्याज को लाभ-हानि के लेखे में सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। पर माननीय मंत्री उसे उचित क्यों ठहराना चाहते हैं?

लोक-सभा तो प्रत्येक मामले के पूरे-पूरे ब्यौरे को देख नहीं सकती है और उसने इसलिये लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति बना दी है। सरकार को लोक लेखा समिति का उपयोग भी करना चाहिये और देखना चाहिये कि एक भी रुपये का कहीं दुरुपयोग न हो।

इस प्रकार प्रतिवर्ष लगातार इतनी अधिक अर्थ सहायता देना उचित नहीं। इस मामले की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जानी चाहिये और औद्योगिक वित्त निगम को ठीक तरीके से चलाना चाहिये। इस सभा के या बाहर के तीन चार सदस्यों की समिति इस की देख-भाल के लिये बनाई जानी जरूरी है। मैं सरकार से आशा करता हूँ कि शीघ्र ही ऐसी समिति स्थापित की जाएगी।

†**श्री टी० एन० सिंह** : वित्तीय प्रक्रिया और सभा द्वारा नियंत्रण के मामले में कुछ दृढ़ निश्चय करने का यह उचित समय है। वित्तीय मामलों में इस सभा के प्राधिकार से यदि कोई चीज़ बाहर लेनी है तो वह काम बड़े ध्यानपूर्वक और सतर्कता से किया जाना चाहिये। अधिनियम में व्याज की गारंटी दी गई है, और यदि बाद में सब भुगतानों को भारित मदों का रूप दे दिया गया तो यह सभा ऐसी किसी विधि को गारंटी नहीं देगी। किसी फर्म की कुल आय से कितने धन का विनियोग करना है, इसका निर्णय नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा। समवायों के लेखापरीक्षकों द्वारा जो तरीका प्रयोग में लाया जाता है, वह हो सकता है सरकार द्वारा अपनाये गये तरीके से मेल न खाता हो। इसलिये उसमें कोई परिवर्तन करने से पूर्व सभा का मत जान लिया जाना चाहिये। मैं नहीं मानता कि लोक लेखा समिति का परामर्श लेने में कोई कठिनाई थी, क्योंकि इसकी बैठकें तो होती रहती हैं। महालेखा परीक्षक ने अपना मत दे दिया था, इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह सभा की सर्वोच्चता का प्रश्न है। यदि इन्हें भारित मदें बना दिया गया तो सभा इस पर मत नहीं दे सकती। इस प्रकार के महत्वपूर्ण और गम्भीर मामलों पर सभा का परामर्श अवश्य लिया जाना चाहिये। यदि सभा का नहीं, तो कम से कम लोक लेखा समिति का परामर्श तो अवश्य ही लिया जाना चाहिये था। अनुच्छेद १५०–१५१ के अनुसार, भारत सरकार के लेखाओं के रूप में परिवर्तन करने से पहले महालेखा परीक्षक की अनुमति ली जानी चाहिये, जो सभा या लोक लेखा समिति का उत्तरदायी है। कितने आश्चर्य की बात है कि अधिकारी की राय तो पूछ ली गई, किन्तु लोक-सभा या लोक लेखा समिति का परामर्श नहीं लिया गया। यह सर्वथा अनुचित

†मूल अंग्रेजी में

है। इसलिये जब लेखा के नाम या शीर्षकों में परिवर्तन किया जाये, तो लोक-सभा या लोक लेखा समिति का परामर्श लेना अनिवार्य हो जाता है। नवीन रीति या प्रश्न आरम्भ करना उचित नहीं है।

†**श्री एम० सी० शाह** : इस मांग संख्या ३७ के अन्तर्गत, दो प्रश्न उठाये गये हैं। एक नैसर्गिक विपत्तियों में वित्तीय सहायता के बारे में है। इस पर विरोधी पक्ष के दो सदस्य बोल चुके हैं। बंगाल के श्री के० कें० बसु ने औद्योगिक वित्त निगम का प्रश्न उठाया है। दूसरे मित्रों ने भी वह प्रश्न उठाया है। मेरे माननीय मित्र और साथी श्री ए० सी० गुह औद्योगिक वित्त निगम के बारे में उस प्रश्न का उत्तर देंगे। समय कम है और अधिक महत्वपूर्ण मांगें सामने हैं, इसलिये नैसर्गिक विपत्तियों में वित्तीय सहायता के मामले पर मैं इस समय नहीं बोलना चाहता।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : आप मेरा समय ले सकते हैं।

†**श्री एम० सी० शाह** : श्री के० के० बसु अच्छी तरह जानते हैं कि नैसर्गिक विपत्तियों में सहायता देना राज्यों का उत्तरदायित्व होता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा तो किसी सूत्र के अधीन केवल कुल सहायता ही दी जा सकती है। १९५१ से, केन्द्रीय सरकार ने, अनुदानों और ऋणों के रूप में कुछ वित्तीय सहायता देने का भार ले रखा है। अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों द्वारा दी गई निष्कारण सहायता का ५० प्रतिशत केन्द्र द्वारा दिया जाता है। राज्यों द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में आरम्भ किये जाने वाले कामों के लिये राज्यों को ऋण भी दिये जाते हैं। वह भी तब, जब राज्य निष्कारण सहायता और ऋणों के रूप में स्वीकृत उन योजनाओं पर कुछ खर्च कर चुके हों। केन्द्रीय सरकार ऋण और अनुदान देती है। इस वर्ष, हमने ३ करोड़ रुपये अनुदानों के लिये और ३ करोड़ रुपये ऋण के लिये दिये हैं। देश के बहुत से भागों में नैसर्गिक विपत्तियां और बाढ़ें आईं। दक्षिण में चक्रवातों के रूप में नैसर्गिक विपत्तियां आई। इसलिये केन्द्रीय सरकार को इन राज्यों को कुछ अधिक सहायता देनी थी। इसलिये हमें ४ करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान की मांग करनी पड़ी। हम अनुभव करते हैं कि अनुदानों के लिये, १९५५-५६ में ७ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्यों द्वारा यहां बहुत सी बातें कही गई हैं, जो सम्बन्धित राज्यों से कही जानी चाहियें थीं। यह मांग नैसर्गिक विपत्तियों के बारे में है, इन राज्यों के लोगों की बेकारी और ऐसी दूसरी कठिनाइयों के बारे में नहीं। वास्तव में प्रथम पंचवर्षीय योजना ने इस मांग को पूरा करने के लिये १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अगले वर्ष हमने ९ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया है। हम यह पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते कि नैसर्गिक विपत्तियां आएंगी। हमें सदा यह आशा और प्रार्थना करनी चाहिये कि कोई नैसर्गिक विपत्तियाँ न आएं और राज्यों को इस रूप में विभिन्न सहायता देने की आवश्यकता न पड़े। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार को इन बातों की जांच करके मालूम करना चाहिये कि राज्यों की क्या आवश्यकता होगी। हमें ऐसी कल्पना ही क्यों करनी चाहिये कि नैसर्गिक विपत्तियां आएंगी और हमें इन बातों की पड़ताल करनी चाहिए ?

निष्कारण सहायता के बारे में, जब कोई राशि दी जाती है, हम २ करोड़ रुपये तक ५० प्रतिशत देते हैं और उससे ऊपर राशि के लिये ७५ प्रतिशत। हमने सूत्र में ढील भी कर दी है। अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता देते हुए जब, राज्यों द्वारा स्थायी अस्तियां बनाई जाती हैं, तो हम सहायता नहीं देते। अन्यथा, हम सदा उनकी कठिनाइयों में उनकी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी प्रकार कृपण होने का कोई प्रश्न नहीं आता। जब उन्होंने अनुदान मांगे हैं, तो हमने उदारता के साथ दिये हैं। जब कभी हम देखते हैं कि सहायता देना उचित है, तो हम उनकी सहायता करने में एक मिनट की भी देर नहीं करते। माननीय मित्र श्री के० के० बसु ने सड़कों और बांधों आदि की उन्नति के बारे में कहा है। ये राज्य सरकारों के काम हैं। उन्हें परामर्श दिया जाता है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एम० सी० शाह]

वह इन मामलों में राज्य सरकारों को लिखे कि वे अत्यधिक ध्यान रखें और व्यर्थ धन नष्ट न होने दें। केन्द्रीय सरकार को यह देखना होता है कि राज्यों को जो वित्तीय सहायता दी गई है वह उचित ढंग से खर्च की गई है या नहीं। उसके लिये वह सदा कुछ निरीक्षण करती है और सब ब्यौरा मंगवाती है। उनकी जांच पड़ताल होती है। मैं इस बारे में और अधिक कहना आवश्यक नहीं समझता जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। अब मैं अपने सहयोगी श्री ए० सी० गुह से औद्योगिक वित्त निगम के बारे में बोलने की प्रार्थना करूंगा।

†**श्री ए० सी० गुह** : औद्योगिक वित्त निगम सदा दिलचस्प और उत्तेजक विषय है। माननीय मित्र ने कहा है कि कुछ समवायों से ब्याज नहीं लिया गया है। मैं समझता हूँ उन्हें सोदेपुर शीशा कारखानों की स्थिति का स्मरण होगा। यह कुछ भी नहीं दे सकती थी। ये दूसरे समवाय भी ब्याज देने में असमर्थ थे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मंत्रणा पर यह निर्णय किया गया है कि यह निगम अपने संतुलन पत्र में इन समवायों से कोई ब्याज न दिखाए।

†**श्री के० के० बसु** : यह वाणिज्यिक लेखापालन है। जब तक इसे अप्राप्य ऋण न समझा जाए,...

†**श्री ए० सी० गुह** : यह अप्राप्य ऋण है। इसीलिये तो मैं कहता हूँ कि ब्याज दिखाने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि हम यह जानते थे कि सोदेपुर शीशा कारखाने की भारी हानि के साथ नीलामी होने वाली है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मंत्रणा पर ही यह निर्णय किया गया था कि संतुलन पत्र में ब्याज नहीं दिखाया गया। कुछ अप्राप्य ऋणों के लिये भी व्यवस्था की गई थी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मंत्रणा पर रक्षित निधि में १५ लाख रुपये का उपबन्ध करने का निर्णय किया गया है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम, और प्रत्येक वाणिज्यिक उपक्रम स्वाभाविक रूप में यही करता है और रक्षित निधि में कुछ जमा करता है। औद्योगिक वित्त निगम ने इतनी देर से ऐसा नहीं किया। यह १५ लाख रुपये की रक्षित निधि की व्यवस्था करने के लिये किया गया है क्योंकि कुछ ऋण ऐसे हैं जिन्हें अप्राप्य ऋण समझा जाता है।

श्री के० के० बसु और श्री टी० एन सिंह द्वारा और इस ओर से भी जो बात विशेष रूप से उठाई गई है, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि वक्ता इस बात से सहमत थे कि सरकार को एक लेखा को दूसरे लेखा में बदलने का अधिकार या प्राधिकार है। किन्तु कठिनाई यह है कि पारिभाषिक दृष्टि से उक्त वर्ष में कुछ लाभ हुआ था। प्रश्न यह है कि सरकार यह आर्थिक सहायता देकर इस हानि को क्यों पुरा करे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, जो लाभ हुआ है वह रक्षित निधि को दिया जा चुका है। औद्योगिक वित्त निगम के लिये गारंटी किया हुआ लाभांश देना संभव नहीं था। स्वीकृत लेखा को भारित लेखा में बदलने के बारे में श्री टी० एन० सिंह ने संविधान के अनुच्छेद १५० का उल्लेख किया है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि :

> "संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे रूप में रखा जायेगा जैसा कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विदित करे।"

मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस अनुच्छेद के अधीन नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मंत्रणा पर इस मद को भारित शीर्ष में डाल कर बिल्कुल वैधानिक ढंग से और संविधान की भावना के अनुसार कार्य किया है।

†**श्री टी० एन० सिंह** : पहली बार महालेखा परीक्षक की मंत्रणा के बिना ही ऐसा किया गया था।

†**श्री ए० सी० गुह** : पुरानी बातों को उठाने का कोई उपयोग नहीं है। और पुनः अध्यक्ष महोदय ने इन बातों का वर्णन करते हुए कहा "मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूँ, किन्तु मैं सुझाव

---

†मूल अंग्रेजी में

दे रहा हूँ कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक और लोक लेखा समिति का परामर्श लिया जाना चाहिये।" हम ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक का परामर्श लिया और उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है क्योंकि वह भी सरकार के निर्वचन से सहमत थे क्योंकि अनुच्छेद १५० के अधीन वह यह कहने के लिये सक्षम हैं कि लेखा किस रूप में रखा जाये। तब हमने संसद् सचिवालय को सूचना दी। इसका यह अर्थ है कि हमने इस वर्ष फरवरी में अध्यक्ष महोदय को इस निर्णय की सूचना दी और संसद् सचिवालय या अध्यक्ष महोदय ने इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की, अतः मैं कह सकता हूँ ···

†**श्री टी० एन० सिंह** : आपने सभा को क्यों सूचना नहीं दी।

†**श्री ए० सी० गुह** : अध्यक्ष महोदय का सुझाव यह था कि हमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक का परामर्श लेना चाहिये और हमने अध्यक्ष महोदय को सूचना दे दी। हम ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक का परामर्श लिया और अनुच्छेद १५० के अधीन यह स्पष्ट है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मंत्रणा पर ही यह निर्णय किया जायेगा कि व्यय के लेखा किस रूप में रखे जायें और हमने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मंत्रणा की सूचना संसद् सचिवालय को दे दी और उसने उस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की।

†**श्री टी० एन० सिंह** : नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस बात का निर्णय कर सकता है, परन्तु अध्यक्ष महोदय ने सुझाव सभा में दिया था इसलिये ऐसा कोई निर्णय करने के पूर्व सभा को सूचना दी जानी चाहिये थी।

†**श्री ए० सी० गुह** : मैं पहले कह चुका हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने कोई निर्णय नहीं दिया था। यह केवल सुझाव था और हमने इसके अनुसार कार्य किया और महालेखा परीक्षक की सम्मति से सरकार द्वारा किये गये निर्णय की अध्यक्ष महोदय को समय पर सूचना दे दी, अतः, हम इस चीज़ के लिये सभा के सामने उपस्थित हुए हैं।

†**सभापति महोदय** : कोई लेखा मतापेक्षी है या भारित, यह संविधान के निर्वाचन का विषय है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यह निर्णय देता है कि लेखा मतापेक्षी है या भारित। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया था कि जब किसी लेखे को मतापेक्षी शीर्ष से भारित शीर्ष में स्थानान्तरित किया जा रहा हो तो कम से कम उस मामले में लोक लेखा समिति से परामर्श किया जाना चाहिये, परन्तु सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श किया और उनका यह मत है कि जब सरकार और महालेखा परीक्षक एक बात पर सहमत हैं तो तब यह ग़लती है कि ···

†**श्री ए० सी० गुह** : यह केवल सरकार का ही मत नहीं बल्कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी मत है और उन्होंने अध्यक्ष महोदय को भी इस से सूचित किया था।

†**सभापति महोदय** : जब सरकार ने महालेखा परीक्षक से परामर्श किया और वे आपस में सहमत थे कि जहां तक इस मद का सम्बन्ध है इसे मतापेक्षी शीर्ष की अपेक्षा भारित शीर्ष के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये तब सरकार ने यह सोचा, कि वह इस मद को भारित शीर्ष के अन्तर्गत रख सकती है, यदि सरकार और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपस में सहमत न हों तब सरकार संभवतः इसे लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के समक्ष भी रख सकती है। अब सरकार का यह मत है कि सरकार और महालेखा परीक्षक इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि इसे भारित शीर्ष के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये था। उनके विचार में इसे भारित शीर्ष में स्थानान्तरित किया जाना चाहिये। जैसा कि श्री टी० एन० सिंह ने कहा है और अध्यक्ष महोदय ने भी

†मूल अंग्रेजी में

[सभापति महोदय]

लोक-सभा में चर्चा की थी, अच्छा होता यदि वे लोक-सभा को भी विश्वास में ले लेते। लोक-सभा पर इस बात का निर्णय करना न भी छोड़ा जाता परन्तु कम से कम इसे इस बात की सूचना दी जा सकती थी कि इस प्रकार की बात की जा रही है। क्योंकि लोक-सभा को सूचित न करने से मैं समझता हूँ कि लोक-सभा का विशेष अधिकार छीन लिया गया है।

†**श्री टी० एन० सिंह** : एक बात और भी है। अनुच्छेद के अधीन संसद् का सर्वोत्तम प्राधिकार नहीं छीना गया है। चाहे महालेखा परीक्षक द्वारा ही लेखा पद्धति का रूप तय किया जाना होता है फिर भी महालेखा परीक्षक संसद् का उत्तरदायी रहता है। इसलिये हमें एक ऐसे अधिकार से वंचित किया गया है जिसका कि हम—यदि हमें पहले सूचना मिल जाती तो—प्रयोग कर सकते थे।

†**सभापति महोदय** : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लोक-सभा को जानकारी दी जानी चाहिये थी, परन्तु जहां तक उस अधिकार का सम्बन्ध है माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह बात संविधान के निर्वचन से सम्बन्ध रखती है और हम संविधान द्वारा तथा जो कुछ भी उसमें कहा गया है उससे बन्धे हुए हैं।

अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या १९ तथा २० लोक-सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूँ।

[सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १९ तथा २० मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।]

सभापति महोदय द्वारा निम्न माँग मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकृत हुई :

माँग संख्या	**शीर्षक**	**राशि**
३७	वित्तमंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	४,३७,०२,००० रुपये

†**श्रीमती रेणुचक्रवर्ती** : इस समय तीन बजने में दस मिनट हैं और सम्भवतः शेष मांगों पर तीन बजे मतदान होगा, हम ने आरम्भ में ही कहा था कि मांग संख्या ९१ के अधीन एक बड़ी राशि की मांग की गई है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि कम से कम आध घंटा और दिया जाना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि अन्य मदों पर बाद में मतदान किया जाये और मांग संख्या ९१ पर पहले विचार किया जाये तो मैं इसके लिये तैयार हूँ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मैं मांग संख्या ८० पर कुछ कहना चाहता हूँ।

†**सभापति महोदय** : जब हम एक बार यह तय कर चुके हैं कि कुल मिला कर तीन घंटे का समय लिया जायेगा तो मैं इसे १० या १५ मिनट से अधिक नहीं बढ़ा सकता। इसलिये यदि मांग संख्या ९१ पर कम से कम आध घंटा लगने की सम्भावना है तो हमें अन्य बातों को छोड़ना होगा।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : उपाध्यक्ष महोदय ने १५ मिनट इसके लिये और ५ मिनट अन्य मांग के लिये रखे थे। हम १५ मिनट को कम करके ५ या १० मिनट कर सकते हैं परन्तु ....

†**सभापति महोदय** : अच्छी बात है मैं माननीय सदस्य को ५ मिनट का समय दूंगा। क्या अब मांग संख्या ९१ पर विचार किया जाये ?

†**श्री कामत** : मांग संख्या ९१ को छोड़ कर शेष सभी मांगों को तीन बजे तक निपटा दिया जाये। मांग संख्या ९१ को आध घंटे का समय दे दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : तब मुझे सारी कार्यवाही को आध घंटा और बढ़ाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : लोक-सभा की सम्मति से ?

†**सभापति महोदय** : यदि लोक-सभा की यही इच्छा है तो हम समाप्त कर सकते हैं। मांग संख्या ३९ ।

†**श्री कामत** : मैं मांग संख्या ३८ के सम्बन्ध में कुछ पूछना चाहता हूँ, यदि टिप्पण (फुट नोट) में केवल आसाम की चर्चा की गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अनुसूचित आदिम जातियों के सुधार और कल्याण के लिये अन्य राज्यों को जो अनुदान दिये गये थे क्या उन्होंने भी उनका उपयोग नहीं किया है और यदि नहीं किया है तो वे राज्य कौन से हैं और उन अनुदानों के उपयोग न किये जाने के कारण क्या हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यदि कोई और राज्य होते तो उनकी चर्चा भी वहां की गई होती। इसलिये केवल यही एक राज्य था।

†**सभापति महोदय** : अब मांग संख्या ३९, ५३, ६४, ८०, ८६, ८९, ९८ और १२८ पर एक साथ विचार किया जाये। इन में से कुछ मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव भी हैं जिनकी संख्या २१, २३ से २६ और ३१ से ३३ है। इन्हें प्रस्तुत किया समझा जायेगा।

३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अनुपूरक अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३९	संघ और राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२,६४,००० रुपये
५३	पुलिस	३८,८८,००० रुपये
६४	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	११,६०,००० रुपये
८०	भूतत्वीय परिमाप	८,३७,००० रुपये
८६	नमक	२,५३,००० रुपये
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	११,६५,००० रुपये
९८	परिवहन मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१८,००,००० रुपये
१२८	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	१४,२१,००० रुपये

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
६४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	प्रदर्शन विभाग तथा चलचित्र विभाग पर अतिरिक्त व्यय	१०० रुपये
८०	श्री टी० बी० विट्ठल राव	हैदराबाद में कोयला निकालने और काश्मीर में गन्धक के निक्षेपों के सम्बन्ध में विभाग का कार्यकरण	१०० रुपये
८०	श्री कामत	भूतत्वीय परिमाप की कार्यवाहियों में विस्तार	१०० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
८९	श्री टी० बी० विट्ठल राव	थाक लगाने के लिये अतिरिक्त सहायता	१०० रुपये
८९	श्री के० के० बसु	कोयले की खानों में थाक लगाने से सम्बन्धित कार्यवाहियों का कार्यकरण	१०० रुपये
९८	श्री एन० बी० चौधरी	व्यय में वृद्धि के कारण हानि	१०० रुपये
९८	श्री के० के० बसु	हानि की तुरन्त अदायगी	१०० रुपये
१२८	श्री के० के० बसु	विदेशों से प्रशिक्षण के लिये ऊंचे दामों पर उपकरण खरीदने की नीति	१०० रुपये

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मैं मांग संख्या ८० तथा ८९ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन भारत के भूतत्वीय परिमाप से सम्बन्धित मांग संख्या ८० का समर्थन करूँगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कहा गया है कि खनिजों के विकास और उद्योगों के विकास का आपस में निकटतम सम्पर्क स्थापित होना चाहिये। परन्तु उपयुक्त मानचित्र आदि न होने के कारण खनिजों का भली भांति लाभ नहीं उठाया गया है और फलस्वरूप विकास का सम्पूर्ण कार्यक्रम अत्यावस्थापूर्ण है।

हैदराबाद में कोयले के निक्षेपों के ८०० वर्ग मील के प्राक्कलित क्षेत्र में से हम केवल ३० वर्ग मील से लाभ उठा सके हैं। अर्थात् कुल क्षेत्र के केवल ३·७५ भाग से हम लाभ उठा रहे हैं।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, यद्यपि कोयले के निपेक्ष का बहुत बड़ा क्षेत्र है तथापि वार्षिक उत्पादन कुल भारत के उत्पादन का केवल ४ प्रतिशत है। हम हैदराबाद के दक्षिण में उद्योगों की आवश्यकतायें पूरी नहीं कर रहे क्योंकि उनके निकट कोयले की खानें नहीं हैं और सब से नज़दीक कोयले की खान हैदराबाद में है। और यहाँ से कोयले की बहुत ही कम मात्रा हैदराबाद के दक्षिण में स्थित उद्योगों को उपलब्ध होती है।

यदि हम दूसरे देशों के कोयले के उत्पादन से अपने देश के उत्पादन की तुलना करें तो देखेंगे कि यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि हमारे कोयले के संसाधनों के सम्बन्ध में उचित मानचित्र बनाये जायें और जहां पर कोयला है और कोयला निकाला नहीं गया है वहां पर कोयला निकाल कर लाभ उठाया जाये।

अब मैं तांबा और गन्धक जैसे अन्य खनिजों की चर्चा करता हूँ। हम विदेशों से गन्धक मंगवाते हैं परन्तु काश्मीर में गन्धक के तीन लाख टन निक्षेपों से हम लाभ नहीं उठा सके हैं और इसका कारण यह बताया जाता है कि वहां पर उचित यातायात व्यवस्था नहीं है। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस सम्बन्ध में तुरन्त ही कुछ किया जाना चाहिये।

भविष्य में इस्पात के विशाल कारखाने स्थापित किये जाने हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा हमारे लौह अयस्क संसाधनों के उचित मानचित्र तैयार किये जाने चाहियें।

जहाँ तक खनिज़ों का सम्बन्ध है, १९४७ का खनिज रियायत तथा विनियमन अधिनियम तो है परन्तु इस अधिनियम की धारा ७ के अधीन सरकार को कुछ नियम बनाने होंगे। यद्यपि अधिनियम को पारित हुए आठ वर्ष हो गए हैं तथापि आज तक सरकार यह नियम नहीं बना सकी है।

विभिन्न कोयले की खानों को जो सहायता दी जाती है उसकी अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिये। आजकल कुल ८५० में से केवल ३० कोयले की खानों को सहायता दी जाती है। और ये

†मूल अंग्रेजी में

३० खानें भी अपेक्षतया बड़ी हैं और इनका वार्षिक उत्पादन भी २ लाख टन से अधिक है। कोयल की इन कम्पनियों द्वारा थाक लगाने के व्यय के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिए गये हैं वे भी बहुत अधिक हैं। मैं सरकार से कहूँगा कि वह सहायता देने से पूर्व इस मामले की अच्छी तरह जांच करे और इन कोयले की खानों को सहायता देते समय, जिनकी संख्या केवल ३० है, मज़दूरों के प्रतिनिधियों को भी अपने विश्वास में लेना चाहिये।

†**श्री कामत** : मांग संख्या ५५ के पाद टिप्पण (फुट नोट) में कहा गया है कि इस अधिक्य का कारण निजी थैली की रकम की कुछ बकाया राशियों का भुगतान है जो अकालकोट के शासकों द्वारा पहले नहीं मांगी गई थी।

कुछ समय हुआ जब हमें बताया गया था कि प्रधान मंत्री की अपील पर बहुत से भूतपूर्व शासकों और वर्तमान राजप्रमुखों ने अपनी निजी थैलियों में कटौती करना स्वीकार किया है। मै यह जानना चाहता हूँ कि इन शासकों ने क्या इन राशियों का पहले इस कारण दावा नहीं किया था कि वे भूल गये थे या वे जान बूझ कर अब दावा कर रहे हैं।

मांग संख्या ७४ के पाद टिप्पण (फुट नोट) में कहा गया है कि सरकार के विरुद्ध मनिपुर न्यायालय द्वारा डिग्री की गई है और उसकी रकम की अदायगी के लिये यह अतिरिक्त धन चाहिये। डिग्री ३,४०४-८-० रुपये की है। परन्तु मांग की राशि ४,००० रुपये है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ६०० रुपये अधिक किस लिये मांगे गए हैं।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : दक्षिण में कोयला निकालने के कार्य की अप्रयाप्तता के बारे में मेरे माननीय मित्र श्री टी० बी० विट्ठल राव ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं यह बात मानता हूँ कि दक्षिण में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कोयले का जितना उत्पादन होना चाहिये उतना अब तक नहीं हुआ है और आजकल केवल सिंगरेनी की कोयले की खानों के छोटे से क्षेत्र में से कोयला निकाला जा रहा है। परन्तु जहां तक दक्षिण में कोयले की खोज का सम्बन्ध है, इस योजना में कार्यवाही बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। लगभग ३,८०० वर्ग मील क्षेत्र में कोयले की खोज का कार्य किया जायेगा। अब जितने क्षेत्र में खोज का कार्य हो रहा है वह बहुत कम है। खोज के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के मार्ग में कठिनाई उचित उपकरण और प्रविधिक कर्मचारियों का न मिलना है। इसके लिये हम ने लगभग दस या बारह महीने बीते कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। हमें मंजूरी कुछ धीरे-धीरे मिल रही है और अब कुछ उपकरणों की प्रतीक्षा की जा रही है। जब सब कुछ तैयार हो जायेगा तब दक्षिण में कोयले की खोज का कार्यक्रम तेज़ी से होने लगेगा। हम स्थिति से भली भांति परिचित हैं और ज्यों ही हमें वे बरमे (ड्रिल्स) मिल जायेंगे जिनकी हमें प्रतीक्षा है हम कार्य करना आरम्भ कर देंगे। हमें इस सम्बन्ध में विदेशों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। जो बरमे अभी आने हैं उनमें से कुछ को तुरन्त ही हैदराबाद क्षेत्र में भेज दिया जायेगा और खोज का कार्य आरम्भ हो जायेगा। उन तथ्यों, मानचित्रों, और एकत्रित जानकारी के आधार पर कोयला निकालने सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

†**श्री सतीश चन्द्र** : मांग संख्या ८९ केवल पारिभाषिक रूप में ही एक अनुदान है क्योंकि यह रकम कोयला उपकर के कारण प्राप्त हुई थी और कोयला बोर्ड को अवश्य ही दी जानी चाहिये, यही प्रथा है। जिस राशि के प्राप्त होने की आशा थी उसे आयव्ययक में उपबन्धित कर दिया गया था। आयव्ययक के प्राक्कलनों से वास्तविक संग्रहण अधिक हुआ है और यह अधिक्य रकम कोयला बोर्ड को अवश्य ही दी जानी चाहिये। यह व्यय की राशि नहीं है बल्कि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सामान्य राजस्व में से कोयला बोर्ड को यह राशि दी जानी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एम० सी० शाह :** मांग संख्या ५५ के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है : कोषागार में से निजी थैलियों के रूप में कुछ रकमें निकाली जाती थीं। शासकों द्वारा इससे पहले उनका दावा नहीं किया गया था। मेरे पास इस सम्बन्ध में पूरी सूची है। १९५५–५६ में संविलीन राज्यों के शासकों की निजी थैलियों का प्राक्कलन १३६·५३ लाख रुपये था और पुनरीक्षित प्राक्कलन १३७·६२ लाख रुपये है, भारित राशि १·०९ लाख रुपये हैं। एकीकृत राज्यों के शासकों के लिये तत्संवादी आंकड़े ०·५२ लाख रुपये हैं। जिस अतिरिक्त व्यय के लिये अनुपूरक मांग अपेक्षित है उसका ब्योरा निम्न है :

(क) बम्बई में संविलीन सात राज्यों के शासकों द्वारा पिछले वर्षों में निजी थैलियों की जो राशियां नहीं ली गईं उन की अदायगी— १,०९, ३०० रुपये (भारित) ;

(ख) लेवा के प्रमुख को निजी थैली की बकाया रकम की अदायगी ५१,७०० रुपये (भारित)

बम्बई में संविलीन जिन सात राज्यों की ऊपर (क) में चर्चा की गई है वे हैं, अकालकोट, भोर, मगोडी, पलाज, पुनाड्रा, सांगली और संजेली। इन नामों के सामने निजी थीली की राशियां दिखाई गई हैं।

†**सभापति महोदय :** श्री कामत यह जानना चाहते थे कि इन निजी थैलियों को देना बन्द कर देना चाहिये ऐसी एक प्रवृत्ति है। परन्तु जो रकमें नहीं ली गई हैं भी दी जा रही हैं। वह इस बात का उत्तर चाहते थे।

†**श्री कामत :** जी, हाँ।

†**श्री एम० सी० शाह :** जिन राज्यों ने राशियां नहीं ली हैं वह बहुत छोटे राज्य है। उन्हें यह रकम देनी ही होगी क्योंकि संविधान के अधीन इस बात की गारंटी दी गई है। यह शासकों पर निर्भर है कि वे स्वेच्छा से कटौतियों को स्वीकार करें। परन्तु यदि वे ऐसा न करें तो हमें ये रक़में देनी ही होंगी क्योंकि संविधान में इस सम्बन्ध में गारंटी दी गई है।

†**डा० सुरेश चन्द्र :** उन्होंने इन का दावा नहीं किया है।

†**श्री एम० सी० शाह :** उन्होंने दावा नहीं किया है। ये बकाया रकमें हैं। इसलिये दावा न करने का प्रश्न नहीं है।

†**डा० सुरेश चन्द्र :** इनका पहले दावा नहीं किया गया है।

†**श्री एम० सी० शाह :** इस का अर्थ है कि ये बकाया हैं। क्योंकि वे इसे पहले वसूल नहीं कर चुक इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि उन्हें यह रकम दी भी नहीं जानी चाहिये।

†**सभापति महोदय :** अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को लोक-सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूँ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहती हूँ कि कई बार कुछ मंत्रालयों के मंत्री और उपमंत्री सभा में उपस्थित नहीं होते। कम से कम जब अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा की जा रही हो उस समय उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिये।

†**सभापति महोदय :** मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूँ। अब मैं मांग संख्या ९१ के अतिरिक्त इन मांगों से सम्बन्धित शेष सभी कटौती प्रस्तावों को लोक-सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूँ।

[सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** ये सब कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं। अब मैं मांग संख्या ९१ के अतिरिक्त शेष सभी मांगों को लोक-सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

[सभापति महोदय द्वारा शेष मांगें संख्या ३९, ५३, ६४, ८०, ८६, ८९, ९८ तथा १२८—मतदान के लिये प्रस्तुत की गईं तथा स्वीकृत हुई]

मांग संख्या ९१—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय वर्ष १९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की यह मांग सभापति महोदय ने प्रस्तुत की :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
९१	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	११,३९,५७,००० रुपये

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
९१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	विस्थापित व्यक्तियों को शिविरों से पुनर्वास स्थानों तक भेजने में धीमी प्रगति	१०० रुपये
९१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पिछले वर्ष की अवशिष्ट राशियों का समायोजन	१०० रुपये

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह एक सब से बड़ा अनुदान है जिसे पारित करने के लिये सभा से कहा गया है। इसके दो भाग हैं। प्रथम का सम्बन्ध निष्क्राम्य सम्पत्ति से है और दूसरे का सम्बन्ध पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये अतिरिक्त खर्चे से है।

निष्क्राम्य सम्पत्ति निधि के सम्बन्ध में मेरा केवल यही कथन है कि सरकारी मकान शरणार्थियों को केवल लागत पर ही बेच दिये जायें और उनसे वह धन कई किस्तों में वसूल किया जाये। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के सम्बन्ध में मैं निम्नलिखित दो बातों पर विशेष जोर देना चाहती हूँ।

प्रथम यह कि शरणार्थियों की आती हुई इस बाढ़ को अस्थायी रूप से शरण देने के लिये जो कैम्प बनाये गये हैं वहां पर जनता की दशा अत्यन्त शोचनीय तथा करुणाजनक है। रेलवे प्लैटफार्मों पर बच्चों और स्त्रियों की अवस्था दयनीय है। अत: उन शणार्थी कैम्पों तथा केन्द्रों की स्थिति को सुधारने की ओर पूरा ध्यान दिया जाये।

दूसरी बात यह है कि शरणार्थियों को कैम्पों से हटा कर अन्य स्थानों पर ले जाकर स्थायी रूप से बसाने में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही है और उसके दो कारण हैं : प्रथम तो भूमि की कमी और दूसरा पुनर्वास योजनाओं की कार्यान्विति के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा जारी की गई विषेशाज्ञाएं। यह सच ह कि पूर्वी बंगाल से आने वाले इन शरणार्थियों को बसाने के लिये हमारे पास पश्चिमी बंगाल में भूमि की कमी है, परन्तु फिर भी वहां पर कुछ एक क्षत्र एसे ह जहाँ पर इस प्रयोजन के लिये भूमि उपलब्ध हो सकती है।

बागजोला कम्प में १२,००० व्यक्ति गत तीन वर्षों से रह रहे हैं। वे वहाँ १९५३ में आये थे। तदुपरान्त यह बताया गया कि नहर खोदी जानी है, और उसके लिये बहुत सी भूमि का अर्जन किया गया जो कि छोटे-छोटे कृषकों से ली गई। इस प्रकार से सरकार अपनी योजनाओं को पूर्ण करने के लिये बेचारे छोटे-छोटे कृषकों को तंग करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

नहर के लिये भूमि का अर्जन करने के उपरान्त सरकार ने फिर शरणार्थियों के पुनर्वास के लिय और अधिक भमि का अर्जन करना प्रारम्भ कर दिया, और इस बार भी यह सारा भार वेचारे छोट-छोटे कृषकों पर ही आ पड़ा। १९५५ में जब उस स्थान के जिलाधीश ने वहां पधार कर सारी स्थिति का निरीक्षण किया, तो उन्होंने भी अपने प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया कि अर्जित भूमि अधिकतर छोटे-छोटे कृषकों से ही ली गई है।

दूसरी ओर बड़ें-बड़े जिमीदार जिनके पास पांच-पांच सौ बीघे जमीन है उनसे कोई भूमि अर्जित न की गई इसके अतिरिक्त हम ने बहुत सी उसर भूमि की ओर भी संकेत किया था, परन्तु सरकार तो छोटे कृषकों की भूमि को अर्जित करने पर ही अड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार इन छोटे कृषकों की भूमि का अर्जन न करे और बड़े-बड़े कृषकों की भूमि अर्जित करे। इसी विवाद में ही तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ। और उधर शरणार्थियों बेचारों की अवस्था अधिक से अधिक शोचनीय तथा दैयनीय होती जा रही है। इसीलिये मैं यह अनुभव करती हूँ कि सरकार जब तक इस भूमि को अर्जित करने के सम्बन्ध में अपनी नीति न बदलेगी, तब तक वहाँ के स्थानीय निवासियों का सहयोग प्राप्त न कर सकेगी। जब तक सरकार इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या न समझेगी, तब तक इन वाद-विवादों से कुछ भी लाभ न हो सकेगा।

†**सभापति महोदय** : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
९१	श्री नन्द लाल शर्मा	निष्क्रान्त सम्पत्ति तथा सरकारी सम्पत्ति का बहुत अधिक कीमत पर नीलाम किया जाना	१०० रुपये

श्री नन्द लाल शर्मा : यस्यांघ्रिरेणु बीजानि जनैरुप्तानि मूर्धसु।
सद्यः सुरद्रुमायन्ते श्रीधरः सश्रिये अस्तुनः॥

प्रार्थना यह है कि पूरक अनुदान की जो यह मांग है उसके लिये एक अपील मेरी है, और कोई झगड़ा नहीं। आप यह समझ लें कि मुख्य अनुदान जितना बड़ा था, उससे बहुत अधिक आप का यह पूरक अनुदान है। एक चीज यह है। दूसरी बात यह है कि आपने बड़ी कृपा कर के यह शब्द सत्यतापूर्वक कह दिये हैं कि यह राशि भारत की संचित निधि में से नहीं ली जायेगी। इस के लिये हाउस को तो बड़ी शान्ति हो सकती है कि चलो, हमें कोई पास से तो खर्च नहीं करना पड़ा। श्री खन्ना जी ने स्वयं कमाया और स्वयम् ही खर्च कर दिया। लेकिन इस से उस उत्पीड़ित मंडल में निराशा जरूर होगी जिसको यह पता है कि सरकार हमारे ही खून से हम को बार-बार सींच रही है और फिर नाम ले रही है कि वह हमारा पुनर्वास करवा रही है।

मुझे इस बात का खेद है कि अभी तक पूर्वी बंगाल की समस्या मुंह बाये खड़ी है और बढ़ती चली जा रही है। उनका बसाना बहुत आवश्यक है। अभी तो साढ़े उन्नीस लाख रुपये का ही सवाल आया, फिर ११ करोड़ से भी ऊपर की समस्या हमारे सामने पश्चिमी पाकिस्तान के उत्पीड़ितों की आ रही है। अभी २६ तारीख को लाजपत नगर में रिफ्यूजी कंवेंशन (शरणार्थी सम्मेलन) हुआ। उन बेचारों के मन रो रहे हैं, जिनके पास शक्ति नहीं है। उसके ऊपर जिस समय प्रापर्टीज़ (सम्पत्तियों) को आक्शन (नीलाम) किया जाता है तो पांच-पांच, सात-सात और दस-दस हज़ार की प्रापर्टी को ४७ हजार, ५७ हजार और ६० हजार में आक्शन किया जाता है। जो १५ हजार रुपये की प्रापर्टी है उसको ६४, ६४ हजार रुपये में आक्शन किया है। इसी प्रकार से उनकी किस्तों के सम्बन्ध में मेरे पास आज समय नहीं है कि मैं अधिक कुछ कह सकूं। श्री खन्ना जी इन चीजों को अनुभव करते तो अच्छा होता।

---

†मल अंग्रेजी में

वह स्वयं शरणार्थी हैं। हो सकता है कि वह स्वयं कुछ कह न सकते हों। पर मैं निवेदन करूँगा श्री देशमुख साहब से और पंडित जवाहरलाल जी से कि वे इस बारे में कुछ करें। खन्ना साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे झगड़ कर यह करवाने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट ज्यादा कांट्रीब्यूट करे। आज हम यह देख रहे हैं कि एक व्यक्ति १५,००० रुपये की प्रापर्टी पर ६४,००० रुपया बोली देता है और उसके क्लेम में से उसको बेनिफिट (लाभ) मिल जाता है। वह समझता है कि उसको इस तरह से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इस वास्ते वह यदि ज्यादा बोली देकर जो कुछ भी हासिल कर ले वही अच्छा है। मेरे पास इस तरह की भी रिपोर्ट आई है लखनऊ से कि एक व्यक्ति ने ६४,००० में कुछ प्रापर्टी खरीदी और खरीदने के बाद उसे उसने ४०,००० में बेच दिया। उसने यह समझ लिया कि जो यह ४०,००० आया है, यही काफी है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिये कि वह स्वयं इस चीज़ को रोके। इस आकशन में एक और सब से बड़ी मुशकिल की बात यह है कि उससे हमारा बहुत भारी नुक्सान हो रहा है। पाकिस्तान का यह बार-बार कहना है कि मुस्लिम यहां पर बहुत अधिक सम्पत्ति छोड़ गये हैं और हिन्दु पाकिस्तान में बहुत कम मूल्य की प्रापर्टी छोड़ आये हैं। आज पाकिस्तान के अन्दर हिन्दू जो प्रापर्टी छोड़ कर आये हैं, उसका एक कौड़ी भी मल्य नहीं मिल रहा है लेकिन इसके विपरीत यहां हमारी गवर्नमेंट एक गलत पालिसी को अपना कर मुसलमानों की प्रापर्टी को आकशन कर रही है और कीमतों को बढ़ा रही है। इसका नुक्सान हमें अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हो रहा है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूँगा कि आप जो एक शरणार्थी से २०० या ३०० रुपया महीना की किस्त लेते हैं यह वाजिब नहीं है। वह बेचारा ५० रुपया या १०० रुपया महीना कमा नहीं पाता और न उसका गुज़ारा ही चलता है तो फिर वह इतनी बड़ी रकम की किश्त किस प्रकार दे सकता है। इसलिये आपको जो पूर्ववर्ती मिनिस्टर थे, श्री जैन साहब और श्री मोहन लाल जी, जिन्होंने बार-बार यह आश्वासन दिये थे कि शरणार्थी जहाँ बैठे हुए हैं उनको वहाँ से उठाया नहीं जायेगा उस पर आप अम्ल करें और जो रुपया आपने लेना है उसको आसान किश्तों में वसूल करें। आज यह सारी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इस चीज़ के न होने से जो मरने वाला है वह या तो मिडल-मैन है या फिर दरिद्र है। जो धनवान है, चाहे वह शरणार्थी ही है, उसके बारे में आप कुछ करें या न करें, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन मिडलमैन जो कि पिस रहा है, जो भूखा है, जो अपनी हालत किसी को कह भी नहीं सकता है, जो दरिद्र है, उसके लिये तो कुछ कीजिये। हमारे भोंसले साहब, मैं किसी को दोष नहीं देता, बम्बई क्षेत्र में रहते हैं और हमारे खन्ना साहब कलकत्ता में रहते हैं। इनका कौन ध्यान करेगा ? मैंने कितनी ही विधवायें देखी हैं, ऐसे-ऐसे केसिस देखे हैं जिनको देख कर आदमी रो पड़ता है। मैं आप को बतलाता हूँ कि एक अंधी विधवा जिसका एक पागल लड़का था और उसकी टांग टूटी हुई थी और उसकी एक छोटी सी लड़की थी, उसको मैंने आपके एड्वाइज़र के पास, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के पास भेजा, वहां पर आपके जो लेफटिनेन्ट्स हैं उन्होंने उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया कि वह वहीं पर रोने लग पड़ी। सैंकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए और फिर वह वहां से चली गई। दूसरा केस एक उस देवी का है जो कि तीराह अफ़रीदी क्षेत्र से आई थी।

इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि आप इसकी ओर भी ध्यान दें। मैं नहीं कहता कि पूर्वी बंगाल से जो लोग आ रहे हैं उनकी समस्या कोई कम महत्वपूर्ण है, वह भी एक गम्भीर समस्या है। इस चीज़ को सभी मानते हैं परन्तु पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए उत्पीड़ितों की समस्या समाप्त हो गई है, ऐसी भावना आपके दिल में नहीं आनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे कि वह कम्पेंसेशन पूल (प्रतिकर निधि) में क्या देती है और पुरुषार्थियों को क्या वास्तविक सुविधा प्रदान करती है और क्या वह काफी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
९१	श्री एन० बी० चौधरी	पुनर्वास योजनाओं तथा कैम्पों में रह रहे लोगों की अवस्था में सुधार की मंद प्रगति	१०० रुपये
९१	श्री के० के० बसु	कैम्पों में कार्य चलाने का ढंग तथा शरणार्थियों को केम्पों से हटाकर बसाने के कार्य की मन्द प्रगति	१०० रुपये

†**सभापति महोदय** : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : पुनर्वास-कार्यों के लिये पहले ही एक भारी अनुदान दिया जा चुका है, और अब ११,३९,५७,००० रुपये की एक और अनुपूरक राशि की स्वीकृति मांगी गई है । इसके सम्बन्ध में मेरा केवल यही कथन है कि जब इस अनुदान को शरणार्थियों के भले के लिये लगाया जा रहा है, तो तपेदिक के रोगियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाये । मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूँगी कि वह यह देखें कि तपेदिक के रोगियों की चिकित्सा की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ।

अत: अनुपूरक अनुदान की यह राशि ऐसे व्यक्तियों के कल्याण-कार्यों पर लगाया जाये जिन्हें सहायता की अविलम्ब आवश्यकता है । उन्हें शीघ्रातिशीघ्र सहायता देने के लिये एक पृथक विभाग की स्थापना की जाये ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : निष्क्राम्य सम्पत्ति को नीलामी के द्वारा बेचना एक पाखण्ड बन गया है । निष्क्राम्य सम्पत्ति की नीलाम करने की यह नीति आज बसे हुए शरणार्थियों को फिर से विस्थापित कर रही है । नीलामी के द्वारा यह सम्पत्ति केवल उन्हीं लोगों को बेची जा रही है जो कि धनवान हैं अथवा जिनके अपने दावें हैं । अत: मंत्रालय से मेरा यह सुझाव है कि वह निष्क्राम्य सम्पतियों का स्वयं मूल्यांकन करें और उसी के हिसाब से उन्हें बेचे ।

दूसरी बात यह है कि बहुत से शरणार्थियों ने निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी गई दुकानों पर कब्जा कर लिया है और अब वे सुचारू रूप से अपना व्यापार चलाकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं । अब सरकार उन्हें उन स्थानों से हटाने का प्रयत्न कर रही है । इस से तो उनका सारा व्यापार समाप्त हो जायेगा । अत: सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह इन निराक्षित तथा असहाय शरणार्थियों को विस्थापित करने का प्रयत्न न करे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का कथन है कि हमें एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये । मैं कहता हूँ कि हमारी नीति एक राष्ट्रीय नीति है परन्तु कठिनाई यही है कि हम उसे सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं करते । उन कैम्पों तथा अनाथालयों में रहने वाले व्यक्तियों की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है । अत: सरकार से प्रार्थना है कि उनकी अवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया जाये । और उन शरणार्थियों को बसाने के लिये एक सुन्दरतम योजना बनाई जाये ।

†**श्री बी० के० दास** (कटांई) : भूमि की कमी ही सब से बड़ी कठिनाई बताई गई है । प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त अन्य राज्यों ने १,३८,६०० एकड़ भूमि प्रस्तुत की है, इस में से अभी तक ३८,००० एकड़ भूमि सवंटित की जा चुकी है । परन्तु मैं यह पूछना चाहता

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि क्या अभी तक कृष्यकरण का कोई कार्य प्रारम्भ हुआ है। इसके बिना शरणार्थी समस्या को हल करने में बड़ी देर लग जायेगी।

हमें यह बताया गया है कि त्रिपुरा में ८०,००० एकड़ तथा कचार में ६,००० एकड़ भूमि का कृष्यकरण किया जा सकता है, परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। अतः इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र करने का कोई प्रबन्ध किया जाये।

विरोधी दल के एक सदस्य ने सदैव यह कहा है कि पश्चिमी बंगाल में इस कार्य के लिये भूमि है। माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह हमें यह बतायेंगे कि वहां कितनी भूमि मिल सकती है। फिर भी मेरा ख्याल है कि सभी शरणार्थियों को पश्चिमी बंगाल में ही बसा देना संभव नहीं है, और हमें अन्य क्षेत्रों से भूमि प्राप्त करनी होगी। अतः मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय भूमि की स्थिति पर स्वयं प्रकाश डालें।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जनाब वाला, जहां तक इस डिमांड का ताल्लुक है एक सवाल तो मगरबी [पश्चिमी] पाकिस्तान के डिस्प्लेस्ड परसन्स [विस्थापित व्यक्तियों] के बारे में है और दूसरा सवाल मशरकी [पूर्वी] पाकिस्तान से उन भाई और बहिनों को मदद देने का है जो कि वहां से अपना घर-बार छोड़कर मगरबी बंगाल और हिन्दुस्तान में आ रहे हैं।

सवाल तो छोटा-सा है, लेकिन जहां तक बहस का ताल्लुक है मुझे कहना पड़ता है कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री की तमाम पालिसी पर, चाहे वह रिलीफ की है चाहे रिहैबिलिटेशन की, चाहे कम्पेन्सेशन की, उसके मुताल्लिक काफी जोर से बहस हुई है। मैं बहुत सी चीजों में तो नहीं जाना चाहता लेकिन चन्द एक मोटी-मोटी चीजों का जवाब देना चाहता हूँ। पहले मैं मशरकी बंगाल की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

हालात कुछ ऐसे हैं कि जहां तक मशरकी बंगाल से निकास या माइग्रेशन [प्रव्रजन] का ताल्लुक है वह दिन ब दिन बढ़ रहा है। जहां पिछले साल यानी सन् १९५४ में कोई एक लाख बीस हजार बहिनें और भाई आये यानी दस हजार माहवार के हिसाब से आये, वहां गुजिश्ता साल यानी सन् १९५५ में यह तादाद २,४०,००० थी जो कि एवरेज [औसत] में करीब २०,००० माहवार होगी। गुजिश्ता तीन चार महीनों में माइग्रेशन सर्टिफक्टिों की दरखास्तों की तादाद लगातार बढ़ रही है। दिसम्बर के महीने में अगर यह तादाद ११,००० थी तो जनवरी में वह १८,००० हो गई। तो जिस वक्त कि हम रिहेबिलिटेशन का सवाल अपने सामने रखते हैं तो हमें यह सोचना चाहिये कि हमारा प्राबलम क्या है। हमारा प्राबलम दिन ब दिन बढ़ रहा है और हम को यह देखना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज [संसाधन] चाहे वे जमीन के हों, चाहे वे एम्प्लायमेंट के हों, कितने हैं और उनसे हम किस हद तक उन भाई और बहिनों की मदद कर सकते हैं जो कि पार्टीशन के बाद आठ बरस पाकिस्तान में रहने के बाद आज यहां आ रहे हैं।

मैं यह तस्लीम करता हूं कि सियालदा के स्टेशन पर जो रिफ्यूजी भाई हैं उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मैं खुद यह भी तस्लीम करता हूं कि आज जो तीन बरस से हमारे भाई छोटे-छोटे तम्बुओं में बाग जोला में या शान्तिपुर में या किसी दूसरी जगह रह रहे हैं यह किसी के लिये अच्छी बात नहीं हो सकती। वे हमारे भाई हैं और उन्होंने मुल्क की आजादी की खातिर कुर्बानी दी है, उन्होंने अपना तमाम जानो माल कुर्बान कर दिया है। तो आज हमें कम से कम यह तो उनके लिये करना चाहिये कि वे ऐसी जिन्दगी बसर कर सकें कि उनकी मिनीमम-ह्यमैन नीड्स [न्यूनतम मानवीय आवश्यकतायें] पूरी हो सकें। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे वर्क साइड कैम्प्स की हालत भी अच्छी नहीं है और हमारे रिसेप्शन सेंटर्स (स्वागत-केन्द्र) की हालत भी अच्छी नहीं है। हमारे जो भाई और बहिनें तम्बुओं में रह रहे हैं उनकी हालत भी काबिले फख्र नहीं है। लेकिन यह कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे, यह चीज मैं तस्लीम नहीं कर सकता।

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

हम ने अभी फैसला किया है कि जहां तक सियालदा स्टेशन के रिसेप्शन सेंटर का ताल्लुक है उसको बन्द कर दिया जाये। बान गांव और बानपुर, जो कि बंगाल के बार्डर स्टेशन हैं, वहां बाकायदा रिसेप्शन सेंटर खोले जायें ताकि जो भाई बहिन आयन्दा हिन्दुस्तान को आवें, उनको चाहे हम बिहार को भेजें, या बंगाल को भेजें या मैसूर को भेजें, चाहे उड़ीसा को भेजें, इन सेंटर्स में उनका प्रापर स्क्रीनिंग [उचित निरीक्षण] हो और अगर हम देखें कि एक भाई काश्तकार है तो उसके लिये जमीन मुहय्या करें, और अगर हम यह देखें कि वह शहरी है तो उसके लिये शहरी एम्प्लायमेंट का बन्दोबस्त करें। तो मैं अपनी बहिन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि . . . .

मैं भी उतना ही फिक्रमन्द हूं जितनी कि वह हैं अथवा सभा के अन्दर अथवा बाहिर का कोई व्यक्ति है कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया जाये और उन्हें अनुतोष, रक्षा तथा कारोबार के सम्बन्ध में हर प्रकार की सम्भव सुविधा दी जाये। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, देखना यह होगा कि जहां मेरे पास पहले कैम्प में मिसाल के तौर पर पहली जनवरी सन् १९५५ को डेढ़ या पौने दो लाख आदमी पड़े थे, वहां आज उनकी तादाद ढाई लाख से ऊपर बढ़ गई है। कैम्प की आबादी का जहां तक ताल्लुक है, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं बल्कि पाकिस्तान से है। रिफ्यूजीज का जो निकास हो रहा है वह पाकिस्तान से हो रहा है। उसमें हिन्दुस्तान की हुकूमत का या मेरा कोई हाथ नहीं है। उसमें पाकिस्तान का हाथ है। उस के फैक्टर्स [तत्त्व] और रीजन्स [कारण] क्या हैं यह मैं चन्द दिनों के बाद जब मेरी डिमांड्स आवेंगी उस वक्त बतलाऊंगा। अभी तो वक्त कम है। लेकिन में आपको इस मामले में यह तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आसाम में या बंगाल में एक तम्बू भी न रह जाये।

जो हमारे कैम्प्स हैं उनको एक प्रौपर, रेशनल [युक्तिपूर्ण] और साइंटिफिक तरीके पर प्रौपर टाउनशिप्स् में कनवर्ट [बदल] किया जाय और हर एक कैम्प की एकोनामी बिल्ड की जाय ताकि उसकी एकोनामी सेल्फ हो और उसकी एकोनामी बंगाल पर डिपेंड न करे। मैं आप से यह भी कहना चाहता हूं और आगे भी कह चुका हूं कि जहाँ तक रिहैब्लिटेशन का ताल्लुक है, इसमें कोई बैरियर्स (बाधा) नहीं, इसमें कोई पालिटिक्स नहीं, इसमें कोई कांग्रेस के मेनीफ़ेस्टो या एलेक्शन का सवाल नहीं जिसका कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अभी जिक्र कर रही थीं। मैं उनका कोआपरेशन १५ महीने पेश्तर भी सीक करता [चाहता] था और अब भी सीक करता हूं और हमेशा सीक करने के लिये तैयार हूं . . . . .

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती।

श्री मेहर चन्द खन्ना : अब आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगी या किसी दूसरे की बात करेंगी तो मैं तो अपने लिये जिम्मेदार हूं और अपनी जिम्मेदारी देता हूं।

†मैं इस मानवीय समस्या को हल करने में आपका सहयोग चाहता हूं। मैंने हर स्थिति में आप से सहयोग मांगा है और मुझे हर्ष है कि आपने मुझे सहयोग दिया है।

बाकी मेरी बहन ने जो बागजोला का जिक्र किया तो वह तो एक बड़ी दिलचस्प चीज बन गई है। उसके मुताल्लिक खुद दिल्ली आने के दो रोज पेश्तर उनसे मेरी बहस हुई और इस बात को वह भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि बागजोला की बाबत दिक्कत यह है कि हम वहां पर करीब दो या ढाई हजार फैमिलीज़ ले गये और उस जमीन को डेवलप किया। फैमिलीज वहां पर करीब ढाई हजार के हैं जब कि वह जमीन जो डेवलप हुई है या वह जमीन जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के तहत ऐक्वायर्ड [न्यायालय की प्रक्रियाओं के अधीन] नहीं है और उसके तहत नहीं आतीं, मिसाल

†मूल अंग्रजी में

की तौर पर समझ लीजिये कि वह जमीन हमारे पास क्लियर लैंड है जिसका टाइटिल इन्वौल्व्ड [शुद्ध स्वामित्व] नहीं है, एक हज़ार एकड़ है, हमने फी फैमिली को दो एकड़ बतौर एकोनामिक यूनिट या एकोनामिक होल्डिंग के देना है। अब वहां पर नहर के दोनों तरफ फैमिलीज तो ढाई हजार स्प्रैड आउट हैं और जमीन हमारे पास सिर्फ एक हजार एकड़ है और ऐसी हालत में आप ही बतलाइये कि मैं जमीन देने के लिये कौन से पांच सौ भाइयों को चुनूं और कौन से दो हजार भाइयों को पीछे रक्खूं और जमीन से महरूम रक्खूं ?

दूसरी दिक्कत यह है कि फर्ज कीजिये कि एक जमीन का टुकड़ा है। उसका टाइटिल क्लियर है। उस पर कोई एक मेहर चन्द बैठा हुआ है और फर्ज कीजिये अगर मैं लौट्स भी ड्रा [लाटरी भी डालूं] करूं और वह किसी दूसरे शख्स के नाम निकल आये तो जाहिर है कि उस महर चन्द भाई को उठना होगा जिसके लिये वह शायद तैयार न होगा और वह वहां से उठने को तैयार नहीं है। मैंने इनसे खुद कहा था कि अगर आप मुझे कुछ कोआपरेशन दें, कुछ असिस्टेंस दें तो एक हजार एकड़ जमीन जो मौजूद है और जो रिलीज हो सकती है उसमें भाई बहिनों को बसाया जाये। मैं भी चाहता हूं कि वह भाई बहिन बहुत जल्दी बस जायें और मैंने अपनी बहिन से कहा कि हमें कोई तरीका ऐसा अवश्य निकालना चाहिये जिससे हम इस दिक्कततलब मसले को हल कर सकें। यह चीज जाहिर है कि २,५०० फैम्लीज को बसाने का मसला काफी दिक्कततलब है। उन्होंने इसकी बाबत फरमाया था कि हम भी इसकी बाबत सोचेंगे और आप भी इसके लिये कोई हल तलाश कीजिये, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कीजिये। जहां तक इसके लिये कोई रास्ता निकालने का ताल्लुक है, बाजी चीजें ऐसी हैं जो मेरे अख्तियार में हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर मेरा वश नहीं है और जो मेरे अख्तियार में नहीं हैं, लेकिन ताहम मैं उनको दुबारा तसल्ली दिलाना चाहता हूं कि ईस्टर्न पाकिस्तान से जो हमारे रेफ्यूजी भाई आ रहे हैं, उनके बसाने में हमारा भी रवैया वही है जो कि आपका है। बसाने के लिये हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, फंड्स के सिलसिले में कोई खास तकलीफ या दिक्कत नहीं है।

अब चूंकि वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया है इसलिये और ज्यादा न कह कर मगरबी पाकिस्तान के रेफ्यूजीज की बाबत सिर्फ दो तीन मिनट लेना चाहता हूं। शर्मा साहब इस वक्त हाउस में मौजूद नहीं हैं। मेरा मतलब श्री दीवान चन्द शर्मा से है। जहां तक श्री नन्द लाल शर्मा का ताल्लुक है, मैं उनको जानता हूं उनका नजरिया भी जानता हूं। वे मेरे भाई भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। लेकिन इस वक्त अगर दीवान चन्द शर्मा साहब हाउस में मौजूद होते तो मैं उनसे पूछता कि अभी चार महीने हुए हैं जब आपने यहां पर कम्पेंसेशन रूल्स् पास किये थे और मेरे लिये एक डाइरेक्टिव [नैदेशिक] दिया था। उस डाइरेक्टिव में यह था कि जो प्रापरटी १० हज़ार से नीचे की है वह जो रेफ्यूजी उसमें बैठा हुआ है, उसी को ऐलाट कर दी जाय और जो मकान या दुकान १० हजार रुपये से ज्यादा मालियत की हो उसको आप सेल कर दो। मैंने गवर्नमेंट बिल्ट प्रापरटी वही दुकान या मकान लिया जो खाली पड़ा था और जिस पर कि कोई रेफ्यूजी नहीं था। गवर्नमेंट बिल्ट प्रापरटी जिसकी कि तादाद दो लाख युनिट्स है, मैंने उस में से कोई ऐसा मकान या दुकान नहीं अब तक आक्शन की जिसमें के कोई रेफ्यूजी बैठा हुआ था। अब अलवत्ता उन मकानों और दुकानों की निलामी की बारी आयेगी जिनमें कि रेफ्यूज़ीज बैठे हुए हैं और रेफ्यूजीज दो किस्म के हैं। एक तो वे रेफ्यूजीज हैं जिनके कि क्लेम्स् हैं और दूसरे वे जिनके कि क्लेम्स् नहीं हैं। आपने यह फैसला किया कि उनके लिये फलां फलां सहूलियतें दी जायें मसलन् टर्म्स आफ इन्स्टालमेन्ट्स [किस्त] और ऐडवांस की सहूलियतें उनको दी जायें। मैं आनरेबुल मेम्बर साहबान से मोदबाना दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर कोई केस उनके नोटिस में ऐसा आया है जहां कि मैंने उन रूल्स से जिन्हें कि पार्लियामेंट ने पास किया है उनसे तजाबुज किया है या उनकी हुक्मउदूली की है तो मुझे बतलाया जाय.....

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुडगांव) : एक केस तो मैं आपसे बतलाना चाहता हूं जिसमें पार्लियामेंट के दिये गये इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ अमल किया गया।

श्री मेहर चन्द खन्ना : ठीक है, वह मुझे बाद में केस बतला दें, इस वक्त तो टाइम नहीं है। मैं उसको देखूंगा और अगर मैं उसके सिलसिले में अपनी गलती पाऊंगा तो उसका एतराफ करूंगा और माफी मांग लूंगा। लेकिन यह जो कहा जाता है कि साहब रूल्स ग़लत हैं, तो मैं कहूँगा कि उनको बदलने और ठीक करने का आप को पूरा अख्तियार है, आप सावरिन बोडी हैं, आप उनमें एमेंडमेंट कर सकते हैं। . . . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मिनिस्टर साहब ने तो बिना हाउस से पूछे उनमें खुद अमेंडमेंट कर दिया।

श्री मेहर चन्द खन्ना : अब जहां तक वैलुएशन [मूल्यांकन] का सवाल है उसके बारे में मुझे यह अर्ज़ करना है कि कुछ लोगों को शिकायत है कि वाज जगह जो वैलुएशन हुई है, वह दुरुस्त नहीं है, वह ज्यादा है, हमारे अफ़सरान ने उस वैलुएशन को खामख्वाह अपनी लाएलटी [स्वामी भक्ति] दिखाने के लिये और अपनी सर्विस दिखाने के लिये कर दिया है और इस वैलुएशन के मुताल्लिक हमारे गिडवानी साहब को कुछ गिला है और वे मुझे चिट्ठी भी लिखते हैं जिसमें इलजामात लगाते हैं वैसे अभी उसकी बाबत बोले नहीं हैं। अब इसके लिये मेरे पास दो ही तरीके हैं। एक तो यह है कि जो केस मेरे नोटिस में आता है, उसकी इनक्वायरी मैं खुद करता हूं। मैंने खुद अपना एक बड़ा अफसर जो कि डिप्टी चीफ सेटिलमेंट कमिश्नर कहलाता है उसको कहा है कि वह करनाल जावे, सहारनपुर जावे, कानपुर जावे, अम्बाला जावे और दूसरी जगहों पर जाये और मौके पर जाकर देखे कि जो वैलुएशन हुई है वह दुरुस्त है या गलत है और जांच करने पर वह अगर पाये कि वह वेलुएशन गलत है, तो फौरन उसकी नीलामी बन्द करने का आर्डर दे दे।

आज गवर्नमेंट १८५ करोड़ रुपया रेफ्यूज़ीज पूल में देती है और हमारे शर्मा साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बजट तक़रीर की, उसको सुन कर मैं तो समझता था कि हमारे रेफ्यज़ीज के इंटरेस्ट्स को वाच करने वाले मेम्बर साहवान, आनरेबुल फाइनेंस मिनिस्टर का उसके लिये शुक्रिया अदा करेंगे लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया लेकिन मैं इस मौक़े पर उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और वह इसलिये है कि मैं किसी का मकान बेचता, किसी की दुकान बेचता और क्लेमेंट्स को नान क्लेमेंट्स से वसूल करके देता, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने मुझे २९ करोड़ रुपया इसलिये दिया है कि मैं २० करोड़ रुपया कैश अगले साल रेफ्यूजीज को दे सकूं और उसके लिये मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री जिसके कि हाथ तंग हैं जिसके पास पैसा नहीं है उसको फाइनेंस मिनिस्टर २० करोड़ रुपया नकद देते हैं और साथ ही मुझे इजाज़त देते हैं कि ३५ करोड़ रुपये की तुम जायदाद बेच दो और एडजस्टमेंट कर लो और तकरीबन उन्होंने ५६ करोड़ रुपये का एलोकेशन [बांट] अगले साल के बजट में रेफ्यूजीज़ को कम्पेंसेशन देने के लिये किया है। यह कोई छोटी रक़म नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उनको २० करोड़ और देना चाहिये।

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमारे श्री नन्द लाल शर्मा जी कह रहे थे कि रेफ्यूजीज के खून से रेफ्यूजीज को सींचा जाता है . . . . .

श्री नंद लाल शर्मा : ११ करोड़ रुपये में से रेफ्यूजीज के लिये क्या रकम रक्खी है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : शर्मा जी की खातिर मैं अर्ज करूंगा कि ३१ जनवरी सन् १९५६ तक २३ करोड़, ७८ लाख ३८ हज़ार और ५७० रुपये वतौर कम्पेंसेशन के दिया जा चुका है।

और उसमें से १५ करोड़, ६० लाख और ८२,००९ रुपया नकद दिया गया है। यह जो आप पूछते हैं कि कहां से आया है तो मैं बतलाना चाहता हूं कि अगले साल के लिये तो २० करोड़ नकद मिला। आज तक १५ करोड़ रुपया नकद कंपेन्सेशन दिया जा चुका है। रिफ्यूजीज से कुछ वसूल नहीं हो रहा है, कर्जा वसूल नहीं हो रहा है, सूद वसूल नहीं हो रहा है, जायदाद बेच नहीं सकते, अभी तक बेचा नहीं है। तो यह कहना कि साहब, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है और उसी के खून से उस को सींचा है, मैं कहूंगा कि मेरे मोअज्जिज दोस्त के लिये दुरुस्त नहीं है।

इन अल्फाज के साथ साथ मैं यह अर्ज करूंगा, जो कट मोशन्स हैं उनके बारे में, कि पहले तो यह एक टेक्निकल चीज है, यह तो एक बुक ट्रैन्जैक्शन है, एक ऐकाउन्ट [खाते] से दूसरे ऐकाउन्ट [खाते] में ट्रान्स्फर कर रहे हैं। ११ करोड़ २० लाख रुपये हैं। १० करोड़ नकद है और १ करोड़ और २० लाख रुपया जो है वह बचाने की चीज है। बाकी ३९ लाख रुपया उनके लिये है जो बेचारे पाकिस्तान से अपना घर बार छोड़ कर आ रहे हैं। मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा जो कट मोशन्स दिये गये हैं उनके बारे में कि उनको समझ नहीं सके। मैं ने श्रीमती चक्रवर्ती को तसल्ली दे दी है कि हमारे और उनके प्वाइंट आफ व्यू में कोई डिफरेन्स नहीं है। हम कोआपरेशन चाहते हैं और वही कोआपरेशन हम उनसे सीक करते हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि यह रूल्स उनके लिये डाइरेक्टिव हैं। यह रूल मैंडेटरी हैं जो पार्लियामेंट में पास किये गये रूल हैं, उनको डिपार्टमेंट को ऐमेन्ड करने का हक नहीं है, जब तक कि हाउस ही उन रूल्स को ऐमेन्ड न कर दे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या डिपार्टमेंट को हक है कि इस के बावजूद कि हाउस ने इस को पास कर दिया है उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ऐमेन्ड कर दे। दूसरी चीज यह कि २० करोड़ नकद सौंप दिया गया है, यह कहां तक दुरुस्त है। उन्होंने ४० करोड़ रुपया कैश देने का वादा किया था, ताकि लोगों को कैश मिल जाय। २० करोड़ आया है लेकिन २० करोड़ बाकी है। शुक्रिया हम २० करोड़ का भी अदा करेंगे और ४० करोड़ का भी अदा करेंगे लेकिन क्या यह दुरुस्त है कि ४० करोड़ के बजाय सिर्फ २० करोड़ दिया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जहां तक पहली चीज का ताल्लुक है, भार्गव साहब मेरे बुजुर्ग हैं, वह सिर्फ इशारा करते हैं, लेकिन मैं उनके इशारे को नहीं समझा। अगर वह साफ कहते कि फलानी चीज हाउस ने पास की · · · ·

पंडित ठाकुर दास भार्गव : ज्वाइंट फैमिली के रूल्स के सिलसिले में आपके डिपार्टमेंट ने तबदीली की है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : अब आपने खोल कर कहा। मैं इशारा नहीं समझ सका था। दूसरी चीज आप फरमा रहे हैं कि ४० करोड़ का इकरार था। जो उनसे इकरार हुआ, मैं नहीं जानता, हुआ होगा। मुझे इल्म नहीं। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि मेरे ऊपर वह मेहरबानी थी, मेरी मिनिस्ट्री के ऊपर मेहरबानी थी कि मुझे २० करोड़ रुपया ऐडवान्स में दिया गया।

अब चेअरमैन साहब, आप इजाजत दें तो, मैं चन्द मिनट लूंगा, और भार्गव साहब के दूसरे सावल का भी जवाब दे दूंगा हालांकि इस डिमान्ड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

सभापति महोदय : उसका जवाब आप दूसरे किसी समय भी दे सकेंगे।

†अब मैं कटौती प्रस्ताव १, २७, २८, २९ तथा ३० को मतदान के लिये सभा के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।

[सभापति महोदय द्वारा उक्त कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए]

---

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय द्वारा निम्न मांग मतदान के लिये प्रस्तुत की गई तथा स्वीकत हुई :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
९१	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	११,३९,५७,०००

विनियोग विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग की अधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

†**श्री एम० सी० शाह :** मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं ।

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक

†**सभापति महोदय :** अब सभा जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक पर विचार करेगी। इस विधेयक के लिये निर्धारित किये गये कुल १२ घण्टों में से सामान्य चर्चा के लिये ७ घण्टे तथा ३८ मिनट बचते हैं ।

श्री अनिरुद्ध सिंह कल भाषण दे रहे थे, अत: आज वह अपने भाषण को जारी रखेंगे ।

श्री अनिरुद्ध सिंह (दर्भंगा--पूर्व) : जैसा मैं कल बयान कर रहा था, इस देश में चाहे निजी क्षेत्र हों चाहे सार्वजनिक क्षेत्र, बीमा कम्पनियां और बैंक ही पूंजी मुहैया करने का सब से बड़ा जरिया रही हैं, खास कर हमारे ऐसे देश में जिसकी अर्थ व्यवस्था प्रारम्भिक अर्थात् फार्मेटिव स्टेज में हो। हमारा देश आज इसी अवस्था से गुजर रहा है, इसलिये बीमा व्यवसाय को सरकारी प्रबन्ध में लेना आवश्यक हो गया है।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार अपने सामने कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था का लक्ष्य रख चुकी है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य काल समाप्त हो रहा है तथा राष्ट्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देहली पर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा भारी व्यवसायों की स्थापना पर जोर दिया गया है, इस के लिये पूंजी की बड़ी आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं कि हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स [निजी पूंजी लगाने वाले] आज कल व्यवसाय में पूंजी लगाने में बहुत संकोच कर रहे हैं। यहां तक कि अब निजी क्षेत्र के व्यवसाय भी पूंजी के लिये सरकार का ही मुंह जोहते हैं। देश में इतने आर्थिक निगम कायम हुए हैं, यह इसी बात का सबूत है। अत: देश की छोटी-छोटी बचतों को भी संग्रह कर के राष्ट्र के काम में लाने के लिये मैं समझता हूं कि बीमा व्यवसाय का सरकारी प्रबन्ध में लेना बहुत जरूरी था। यह तो हुआ रचनात्मक दृष्टिकोण।

जैसा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कहा है, पालिसी होल्डरों [बीमाधारियों] की दृष्टि से भी बीमा व्यवसाय को निजी क्षेत्र में रहने देना खतरे से खाली नहीं था। हमारे देश में अच्छी, बीच के दर्जे की तथा बुरी प्रत्येक प्रकार की कम्पनियां जीवन बीमा व्यवसाय में लगी हुई थीं। कुछ कम्पनियां तो ऐसी थीं जिनकी ख्याति खास तौर से अन्तर्राष्ट्रीय हो चुकी थी और दूसरे देशों में भी उनका

---

†मूल अंग्रेजी में

*तारीख १-३-५६ के भारत के सूचना पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित हुआ ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुन:स्थापित ।

थोड़ा बहुत बिजिनेस [व्यापार] होता था। किन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ कम्पनियों का प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं था। ऐसी कम्पनियों में पालिसी होल्डरों के हित को सर्वोत्तम नहीं रक्खा जाता था। यह बात दूसरी है कि ऐसी कम्पनियां बहुत प्रगति नहीं कर सकीं, और, जैसा कि सर्वविदित है, प्रोप्रायटरी कम्पनियों में कुछ को छोड़ कर अधिकतर कम्पनियां व्यक्ति विशेष के प्रभाव में थीं। उनके एक्स्पेन्सेज (व्यय) ज्यादा थे और जीवन बीमा कोष अपर्याप्त था। यह बात ध्यान रखने की है कि सन् १९३८ में बीमा कानून के अनुसार कम्पनियों को अपने बचत कोष का ५० प्रतिशत तो सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किये गये ऋण के कागजों में लगाना पड़ता था। बाकी ५० प्रतिशत रकम को कुछ कम्पनियां ऐसे व्यवसायों में लगाती थीं जो पालिसी होल्डरों की दृष्टि से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है जैसे मकानात या दूसरी अचल सम्पत्ति पर। जैसा कि हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर [वित्त मंत्री] साहब ने कहा है कि गन्ने की खड़ी फसल और दूसरी फसलों पर ऋण दिया जाये, इस वास्ते भी सरकार को बीमा व्यवसाय को अपने हाथ में लेना पड़ा है। पिछले चन्द सालों के कुछ कम्पनियों का काम काज ठीक नहीं चल रहा था। इसका प्रमाण यह है कि पिछले १० वर्षों में करीब २५ कम्पनियों को दिवालिया होना पड़ा। इतनी ही कम्पनियों को दूसरी बड़ी कम्पनियों में मिल जाने की गवर्नमेंट को इजाजत देनी पड़ी। इसके साथ ही साथ करीब ११ कम्पनियों में सरकार को प्रशासक नियुक्त करने पड़े। अभी तक हमारे देश में ३१७ बीमा कम्पनियां थीं। उनके साथ चालू बीमा की रकम करीब १२ अरब की थी। उनका जीवन बीमा कोष करीब ४ अरब का था। उनकी प्रीमियम से सालाना आमदनी करीब ५५ करोड़ थी। पालिसियों की संख्या करीब ५० लाख थी। तीस लाख व्यक्तियों का जीवन बीमा हुआ था। अमेरिका के १९५२ के आंकड़ों से पता चलता है कि वहां पर प्रति व्यक्ति ८,००० रुपये से ज्यादा और कनाडा में प्रति व्यक्ति ६,००० से ज्यादा जीवन बीमा होता है जब कि भारत में प्रति व्यक्ति २५ रुपये का बीमा पड़ता है। इतने बड़े देश के लिये बीमा के यह आंकड़े नगण्य हैं। बीमा को इस देश में शुरू हुए करीब १०० बरस हो गए हैं लेकिन कोई खास तरक्की जीवन बीमा ने इतने ज्यादा अर्से में की हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। खैर, अब जब कि सरकार इस व्यवसाय के क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहती है, सरकार बीमे के सन्देश को देश के कोने-कोने में पहुंचाना चाहती है; इसमें इसको सभी का सहयोग प्राप्त होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है।

४ म० प०

यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जिस पर कि बहुत बड़ी राशि लगी हुई है। साथ ही इस व्यवसाय का सम्बन्ध देश के करोड़ों नागरिकों तथा उनकी मेहनत से कमाई गई आमदनी से है। इस व्यवसाय में न तो किसी वस्तु का उत्पादन होता है न वह वस्तु टैंजिबल (मूर्त्त) है और न ही विक्रय। इसका मुझे हिन्दी अनुवाद नहीं आता और आशा है टंडन जी इसका अनुवाद कर देंगे। इस व्यवसाय में जो काम करते हैं उनका सम्पर्क आम जनता से पड़ता है और आम जनता का सहयोग प्रयाप्त करना आवश्यक चीज है। इस व्यवसाय में लोगों के भविष्य की सुरक्षा की बिक्री की जाती है। इससे मनुष्य की समाज के प्रति, मानवता के प्रति सुन्दर सहयोग की भावना पैदा होती है। अतः सरकार को अब इसको सरकारी क्षेत्र में लेने का विचार है। अतः सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह बहुत सोच समझ कर कदम उठाये। बीमा इस देश में खरीदा नहीं बेचा जाता है। यह व्यवसाय बहुत अंशों में प्रतियोगिता से बढ़ा है।

सर्विस तथा सिक्योरिटी [सेवा तथा सुरक्षा] इस व्यवसाय की खासियत हैं। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, अब जब कि यह सरकार के साथ में आ गया है, इसमें किसी को भी किसी किस्म का खतरा नहीं होना चाहिये। रही अच्छी सर्विस मुहैया करने की बात, यहीं पर सब से बड़ा खतरा नजर आता है। यह खतरा और भी बढ जाता है जब हम यह देखते हैं कि अब इस

[श्री अनुरुद्ध सिंह]

व्यवसाय में प्रतियोगिता की बात खत्म हो गई है । अतः यदि सरकार को बीमा के सन्देश को देश के कोने-कोने में पहुंचाना है और इसको स्टेट ट्रेडिंग [राज्य व्यापार] के तौर पर चलाना है तो उसे अपनी योग्यता का प्रमाण देना होगा । अगर सरकार रेड-टेपिज्म [लाल फीताशाही] में पड़ गई, जैसे कि यह दूसरे डिपार्टमेंट्स [विभागों] में पड़ी है, तो भगवान जाने इस व्यवसाय का भविष्य क्या होगा । अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि साइनक्योर बहालियों को छोड़ कर अभी तक भूतपूर्व कम्पनियों की जितनी भी बहालियां है उनकी सेवायें अक्षुण्ण रखी जायें । ऐसा करने से सरकार को उन कर्मचारियों की लायलटी [निष्ठा] मिलती जायेगी ।

हाल ही में छोटी-छोटी बीमा कम्पनियों में यह प्रवृत्ति आ गई थी कि वें बड़ी बीमा कम्पनियों के मुलाजिमों को ज्यादा वेतन का लोभ देकर उनको फुसला लेती थीं । आशा है कि सरकार ऐसी बहालियों की छानबीन कर लेगी । यदि उसने ऐसा न किया तो इससे बड़ा असन्तोष फैलेगा ।

इस व्यवसाय की रीढ़ इसका फील्ड स्टाफ [क्षेत्रीय कर्मचारी] है । अब जब कि इस व्यवसाय पर सरकार का एकाधिकार होगा तो प्रीमियम तथा बोनस [किस्त तथा लाभांश] की कमोबेशी पर तथा पालिसी की शर्तों पर एजेन्टों को जीवन बीमा का प्रस्ताव नहीं मिलेगा । अब उन्हें उनकी सेवा के बल पर बीमे का प्रस्ताव मिलेगा । अतः जीवन बीमा व्यवसाय के सरकारी हाथ में आ जाने से पालिसी होल्डरों को सेवायें उपलब्ध की जाती हैं उनमें सुधार नहीं हुआ तो न केवल जन साधारण जीवन बीमा के प्रोटेक्शन [सुरक्षा] से वंचित रहेगा बल्कि सरकार भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने में असफल रहेगी । अतः सरकार को फील्ड आर्गेनाइजेशन [क्षेत्र संगठन] पर विशेष ध्यान देना चाहिये । इतना जरूर है कि इस व्यवसाय को दक्षता तथा ईमानदारी से भी चलाना सरकार का कर्तव्य है ।

अब मुझे एक बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहनी है और वह यह है कि यह मेरी समझ में नहीं आता कि पोस्टल लाइफ इनश्योरेंस [डाक विभागीय जीवन बीमा] को हाथ में क्यों नहीं लिया गया है और क्या कारण है कि उसको अलग रखा गया है । आशा है कि अर्थ मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे ।

सब से महत्वपूर्ण बात जो इस व्यवसाय के सम्बन्ध में है वह मृत्यु होने के बाद के दावे के भुगतान के सम्बन्ध में है । आज तक कम्पनयिों द्वारा आपसी होड़ के कारण तथा अपनी गुडविल [साख] कायम रखने के लिये मृत्यु के दावों की रकम का जल्दी से भुगतान कर दिया जाता था । किन्तु अब तो यह होड़ नहीं रहेगी । अतः सरकार की सफलता बहुत अंशों में मृत्यु के दावे के भुगतान से बंधी हुई है तथा उसकी उदारता पर निर्भर करती है । यद्यपि अर्थ मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में इस उदारता बरतने का आश्वासन दिया है परन्तु आज तक का इतिहास तो यही कहता है कि ऐसा होता नहीं है । मैंने देखा है कि मरने वाले के वारिस को जीवन बीमे के दावे का भुगतान पहले हो जाता है और प्राविडेंट फंड [भविष्य निधि] का भुगतान बाद में अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब तक बीमा निगम नहीं बन जाता, इस व्यवसाय से सम्बन्धित विशेषज्ञों की राय से भारत सरकार अपनी नीति निर्धारित करे जिससे कि यह काम धड़ल्ले से होता रहे ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : विधेयक के समर्थन में कुछ कहने के पूर्व मैं वित्त मंत्री के उन तर्कों के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा जो उन्होंने पिछले दिन अपने भाषण में रखे थे । प्रथम तो मैं यह नहीं समझ सका कि ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर इस सभा से परामर्श किए बिना ही निर्णय क्यों किया गया ।

वित्त मंत्री ने अपने कार्य के समर्थन में एक वित्तीय पत्रिका से उद्धरण दिए। परन्तु इस के विपरीत 'कैपिटल' तथा 'इण्डियन फाइनेन्स' से भी उद्धरण दिए जा सकते हैं। ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर व्यवस्थापिका से परामर्श न करने का अर्थ यह लगाया जायगा कि कार्यपालिका ही सर्वोच्च शक्ति रखती है।

फिर वित्त मंत्री ने कहा कि यद्यपि सरकार के हाथ में पर्याप्त शक्तियां थीं किन्तु उनका प्रभावपूर्ण रूप में प्रयोग नहीं हो पाता था। बीमा अधिनियम का अनेक बार संशोधन किया गया परन्तु कोई लाभ नहीं हो सका। परन्तु मेरा विचार यह है कि वास्तव में बात यह है कि सरकार ने उन शक्तियों का ठीक तरह प्रयोग ही नहीं किया। सरकार को नई संस्थायें संगठित करनी चाहिये थीं। १९४४ या १९४५ में एक राज्य बीमा विनियोजन बोर्ड की स्थापना का सुझाव भी सरकार को दिया गया था परन्तु वैसा किया नहीं गया।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में वित्त मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीयकरण का निर्णय इसलिये किया गया कि शक्तियों और नियंत्रण मात्र से कोई लाभ नहीं हुआ। वित्त मंत्री प्रायः ऐसा कहते रहते हैं कि सरकार को जो भी शक्तियां दी जाती हैं वे नकारात्मक होती हैं। मैं बीमा राष्ट्रीयकरण के विरोध में नहीं हूं परन्तु वित्त मंत्री के उक्त तर्क के विरुद्ध यह कहूंगा कि वेडन और नार्वे में समाजवादी सरकारें होने पर भी वहां बीमा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है क्योंकि वहां की सरकारें नियंत्रण और विनियमन की शक्तियों को प्रर्याप्त समझती हैं। नियंत्रण और विनियमन की शक्तियां सर्वत्र सकारात्मक मानी जाती हैं। परन्तु वित्त मंत्री भी उन्हें नकारात्मक कह कर एक नए सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रहे हैं।

एक प्रख्यात अध्यापक ने फ्रांस और इटली में राष्ट्रीयकरण की समीक्षा करते हुए लिखा है कि अब राष्ट्रीयकरण आयोजन से बचने के लिए किया जाने लगा है। जब किसी समस्या का हल नहीं मिलता तो राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया जाने लगा है। हम अपने देश में ऐसा 'पलायनवादी' राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते।

निजी उद्योग यह दावा करता रहा है कि १९४५ और १९५५ के बीच न केवल बीमे की दर दुगनी कर दी गई है अपितु समस्त बीमे की राशि भी दुगनी हो गई है। परन्तु मेरे विचार में यह वृद्धि निजी उद्यम की दक्षता के कारण नहीं हुई वरन् सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों से उत्पन्न अनुकूल परिस्थितियों के कारण हुई है। इस सम्बन्ध में 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' ने भी जो कि राष्ट्रीयकरण का समर्थक नहीं है यही मत व्यक्त किया है कि विक्रय में वृद्धि गौण तत्व है, उसको मुख्य तत्व कहना गलत है।

अब मैं राष्ट्रीयकरण के पक्ष में कुछ कारणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कोवासजी जहांगीर समिति ने बीमा कम्पनियों के कार्यकरण के सम्बन्ध में बहुत सामग्री एकत्रित की थी। परन्तु पता नहीं क्यों वह हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। यदि समय होता तो मैं समिति के प्रतिवेदन से उद्धरण देकर यह बताता कि समिति ने बीमा कम्पनियों के कार्यकरण में क्या-क्या दोष पाए। परन्तु मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री उनसे भलीभांति परिचित होंगे। जहां तक बैंकों और बीमा कम्पनियों के गठबन्धन का सम्बन्ध है, जिसका समिति ने संकेत किया था, वह अभी भी वैसा ही चला आ रहा है। इतना ही नहीं, वह पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया है। इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्री और उनके सहयोगियों पर है।

जहां तक व्यय अनुपात का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि प्रशासन में मितव्ययता का अभाव रहा है। १९३४ और १९५४ के बीच भारत में बीमों में ५·४ गुना वृद्धि हुई है। यदि विनियोजित धनराशि सात गुनी हो गई है तो प्रशासन व्यय भी सात गुना बढ़ गया है। १९५० में व्यय

[श्री अशोक मेहता]

प्रव्याजि-आय [प्रीमियम इन्कम] का २८·९ प्रतिशत था जो १९५४ में बढ़ कर २९·३ प्रतिशत हो गया है ।

जब हम व्यपगमअनुपात पर आते हैं तो देखते हैं कि हमारे देश में किसी-किसी कम्पनी में वह १०० प्रतिशत तक रहा है जब कि अन्य देशों में वह बहुत कम है; इस सम्बन्ध में 'कैपिटल' ने गत वर्ष लिखा था कि नए बीमे का एक बड़ा भाग व्यपगम के कारण चला जाता है ।

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एजेन्टों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा । बीमा एजेन्टों के चालीस प्रतिशत लाइसेंस नए नहीं किए जाते । हमारे यहां बेनामी लेनदेन भी बहुत होता है । १९५४ में जारी किए गये लाइसेंसों में ३२·२ प्रतिशत स्त्रियों को जारी किए गए । यदि इस सम्बन्ध में जांच कराई जाय तो ज्ञात होगा कि स्त्रियों की आड़ में अधिकारीगण यह कार्य कर रहे हैं ।

बीमा के मामले में ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं । अपने बीमा-पत्रों को कम करने के बजाय हम उनके आकार को बढ़ाते रहे हैं । विदेशों की तुलना में हमारे देश में बीमा कराने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता बहुत कम है ।

जहां तक विनियोजनों का सम्बन्ध है, कोवासजी जहांगीर समिति ने दो मुख्य आरोप लगाए थे : प्रत्याभूतियों के क्रय-विक्रय से अनुचित लाभ और झूठे विवरण प्रस्तुत करना । विदेशों में भी झूठे विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं, परन्तु ऐसा यदा कदा ही होता है । हमारे वित्त मंत्री गत पांच वर्षों से पदासीन हैं किन्तु इसके सुधारने की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

यह भय निराधार है कि बीमा का राष्ट्रीकरण हो जाने से निजी उद्यम को नुकसान पहुँचेगा । इस सम्बन्ध में 'कैपिटल' ने भी यही लिखा है कि राष्ट्रीयकरण से निजी उद्योग को वास्तव में लाभ ही होगा । अभी तक विनियोजन के वितरण में पक्षपात होता आया है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वह नहीं रहेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि उचित तरीके से चलने वाले निजी उद्यमों को तो लाभ ही होना चाहिये । अभी जितनी धनराशि निजी उद्यमों में लगी हुई है उस धनराशि को ही नहीं वरन् उसके अनुपात को भी जारी रखा जाना चाहिये ।

जेम्स ग्रिग ने बीमा राष्ट्रीयकरण को समाजवाद कहा है । मैं समझता हूँ ऐसा कहने का कारण यह है कि गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र का भेद नहीं रहता । सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र का स्थान ग्रहण कर लेता है । मैं समझता हूँ कि सरकार ऐसा ही करना चाहती है क्योंकि योजना की रूपरेखा के प्रारूप में यह कहा गया है कि ये दोनों क्षेत्र अलग-अलग नहीं रहेंगे ।

वित्त मंत्री समयाभाव के कारण विदेशों के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं कर सके । मैं सभा का ध्यान विदेशों के अनुभव की ओर आकर्षित करूँगा । डेनमार्क, न्यूज़ीलैण्ड, इटली और फ्रांस में बीमे का क्रमश: २७ प्रतिशत, ७१·३ प्रतिशत, ६३ प्रतिशत और ६० प्रतिशत कार्य सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है ।

†**श्री मात्तन** (तिरुवल्ला) : क्या उन देशों में गैर-सरकारी क्षेत्र भी हैं ?

श्री अशोक मेहता : स्पष्ट है कि जिसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ वह गैर-सरकारी क्षेत्र के हाथों में ही है ।

फ्रान्स की मिली-जुली सरकार में समाजवादी व साम्यवादी पूर्ण राष्ट्रीयकरण के समर्थक थे और रेडीकल दल वाले राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे । इसलिये समझौता करके वहां केवल ३४ मुख्य कम्पनियों का ही राष्ट्रीयकरण किया गया जो कुल बीमा व्यापार का ६० प्रतिशत कार्य करती थीं । परन्तु अपने देश में समझौते की बात सोचने का कोई कारण नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंग्लैण्ड में समाजवादी बहुत समय से राष्ट्रीयकरण का प्रचार कर रहे थे, परन्तु अब वह विचार छोड़ दिया गया है क्योंकि बीमा ने देश की विदेशी मुद्रा की आस्तियों में बहुत योग दिया है। परन्तु अपने देश पर यह बात लागू नहीं होती क्योंकि हमारा बीमा-व्यापार विदेशों में सीमित है।

जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, मैं संकेत करुंगा कि बीमा कम्पनियों की अंशपूंजी १०·५ करोड़ रुपये है। अंशधारी अत्यधिक लाभांश कमाते रहे हैं। १९५० में बीमा अधिनियम में संशोधन के समय वित्त मंत्री ने कम्पनियों को इसके लिये चेतावनी दी थी परन्तु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। 'इण्डियन फाइनेन्स' और 'कैपिटल' दोनों इसको प्रमाणित करते हैं। यह केवल मेरा ही मत नहीं है जिसकी किताबी ज्ञान कह कर उपेक्षा की जा सके वरन् देश की दो प्रमुख पत्रिकाओं का मत है। उन्होंने लिखा है कि बीमा कम्पनियों ने दुर्व्यवहार किया है। फिर भी क्या हम उन्हें अधिक प्रतिकर देंगे ? इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व हमें इन पत्रिकाओं द्वारा लगाये गए आरोपों की जांच करवा लेनी चाहिये।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि केवल जीवन बीमा ही राष्ट्रीयकरण में क्यों सम्मिलित किया जाये ? मैं यह मानता हूं कि जीवन बीमा और साधारण बीमा दो भिन्न चीजें हैं। परन्तु केन्द्रीयकरण जीवन बीमा की अपेक्षा साधारण बीमा में अधिक है। जीवन बीमा में तो ५ बड़ी कम्पनियों का मिलकर कुल निधि का ५० प्रतिशत होता है परन्तु साधारण बीमा में एक ही कम्पनी में कुल बीमा निधि का ३४ प्रतिशत केन्द्रित है।

दूसरे, विदेशी कम्पनियों का अंश साधारण बीमा में ही अधिक है और वही अधिक लाभप्रद भी होता है। यदि हम सामासिक कम्पनियों के संतुलन-पत्र देखें तो मालूम होगा कि उन्हें साधारण बीमा से अधिक लाभ होता है।

कदाचार भी साधारण बीमा में अधिक प्रचलित है। मैं श्री मालवीय की पुस्तक [इन्श्योरेन्स बिजनेस इन इण्डिया] के पृष्ठ ३२ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें उन्होंने इनका संकेत किया है।

फिर, बहुत सी साधारण बीमा कम्पनियां जीवन बीमा कम्पनियों की सहायक मात्र हैं। चूंकि जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया है इसलिये मेरे विचार से इन सहायकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ समझा जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि साधारण बीमा कम्पनियों के लिये भी एक निगम स्थापित किया जाय जिससे उनके कार्यकरण की भी झांकी मिल सके।

मैं चाहता हूं कि एक प्रयोग किया जाय और वह प्रयोग यह है कि बीमा के क्षेत्र में सरकारी और निजी उद्यम दोनों को अवसर दिया जाय। जहां तक जीवन बीमा का सम्बन्ध है वह सरकार के हाथ में रहे और साधारण बीमा कम्पनियों के ही हाथ में रहने दिया जाय ताकि उन्हें अपनी क्षमता दिखा सकने का पर्याप्त अवसर मिल सके। दोनों में एक प्रकार की प्रतियोगिता होनी चाहिये कि कौन अच्छा कार्य करता है।

मैं वित्त मंत्री के भाषण से यह नहीं समझ सका कि साधारण बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में क्या किया जायगा जिनकी पूंजी जीवन बीमा कम्पनियों के ही हाथ में है। इस विधेयक पर चर्चा समाप्त होने के पूर्व मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसे स्पष्ट कर दें।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह नहीं समझ सका कि ऐसा क्यों है कि हम राष्ट्रीयकरण की बात तो करते हैं पर बैंको का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं। इस विषय पर मैं अभी न कह कर फिर किसी अवसर पर कहूंगा।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर–मध्य) : हमने जो अपना समाजवादी ढंग की समाज व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य रखा है, उसको पाने के लिये सब से पहला जो कदम उठाना चाहिये था

[श्री झुनझुनवाला]

वह था इन्श्योरेंस के व्यवसाय [बीमा व्यवसाय] का राष्ट्रीयकरण और हमारी सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में जो स्टेप [कदम] उठाया है, उसको मैं बिल्कुल ठीक समझता हूं और इसका स्वागत करता हूं । मैं नहीं समझ सकता था कि सरकार के मन में यह बात अब तक क्यों नहीं आई कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाये । यह एक ऐसा व्यवसाय था जिसका कि अगर राष्ट्रीयकरण हो जाता तो अच्छी-अच्छी चीजें हमारे देश में हो सकती थीं, जो रुपये इस व्यवसाय को रहते हमें मिलता, उसका इस्तेमाल देश उत्पादन बढ़ाने में कर सकता था, इससे प्राप्त होने वाली रकम को हम सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सकते थे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले में देर क्यों की जा रही है । अब जब कि राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, मैं इसे ठीक समझता हूं और इसका स्वागत करता हूँ । परन्तु इन सब चीजों को करने में एक नाटक सा रचा जाता है, वह हमारी समझ में नहीं आता । १२ बजे रात के एक आर्डिनेंस [अध्यादेश] निकाला जाता है और इसमें यह सब चीजें दी जाती हैं । क्या कारण है कि रात के १२ बजे उठकर यह आर्डिनेंस निकाला जाता है कि लाइफ इनश्योरेंस नेशनलाइज [जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण] हो गया, जिसका कि लोगों को सुबह उठकर पता चलता है ? क्या वजह है कि जब हमारे भाई श्री फिरोज गांधी ने सब त्रुटियां यहां इस सभा में रख दी थीं तो उसके बाद तुरन्त ही एक बिल विधेयक इस सदन में नहीं लाया गया और क्यों हम को उस पर अपने विचार रखने का अवसर नहीं दिया गया ? जब यह आर्डिनेंस रात के १२ बजे निकाला गया तो उसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन शेयर मार्किट में एक तहलका सा मच गया और लोगों को शक होने लगा कि क्या कारण है कि रात के वक्त आर्डिनेंस जारी किया गया है ·····

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : राष्ट्रीयकरण तो अभी हुआ नहीं है ।

श्री झुनझुनवाला : जो आर्डिनेंस निकाला गया था उससे यह बात लोगों के ध्यान में आ गई थी कि अब राष्ट्रीयकरण होगा । व्यवसायी लोग जो होते हैं उनको थोड़ी सी तो अक्ल होती है और वह इस बात को आसानी से ही समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है ।

तो जब यह सब चीज अचानक हुई तो कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और अपने शेयर बेचने शुरू कर दिये । इसका नतीजा यह हुआ कि शेयर मार्किट गिरनी शुरू हो गई । हलचल मच गई और किसी को यह पता नहीं था कि शेयर का बाजार अब किधर जायेगा । कुछ बातें सरकार की ऐसी होती हैं जो कि बहुत छिपा करके रखी जाती हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि इनको छिपा कर रखने की क्या आवश्यकता सरकार महसूस करती है । सरकार के मन में शायद यह है कि अगर वह अपना निर्णय पहले बता देती तो इस पर चर्चा होने लग जाती और लोगों को पहले से मालूम हो जाता कि यह चीज होने जा रही है । परन्तु जो चीज अचानक होती है उसका नतीजा यह होता है कि दो चार आदमी उससे लाभ उठा लेते हैं । जब सब को मालूम हो जाता है तो बात दूसरी हो जाती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : अचानक कब मालूम हुआ ?

श्री झुनझुनवाला : जब आर्डिनेंस निकला उसके बाद ।

श्री सी० डी० देशमुख : दो तीन आदमियों के सामने वह आर्डिनेंस रखा गया है, ऐसा आप का कहना है ?

श्री झुनझुनवाला : मैं नहीं कहता कि आपने दो तीन आदमियों के सामने इसे रखा । मगर जो हुआ यह है कि यह चीज अचानक लोगों के सामने आई । दो तीन आदमियों के सामने इसे रखा गया होगा, इसको मैं नहीं मानता हूं और न ही इस चीज पर मैं विश्वास करने के लिये तैयार हूं कि उनके सामने इसे रखा गया था । मैं कभी सपने में भी विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसी बात हमारे फाइनेंस

मिनिस्टर साहब के रहते हो सकती है। परन्तु ऐसा हो जाता है कि दो तीन आदमी इस स्थिति से फायदा उठा लेते हैं, क्यों और कैसे फायदा उठा लेते हैं, यह मैं नहीं कह सकता। कैबिनेट में भी बहुत सी बातें होती है और उनमें से कुछ निकल बाहर भी आ जाती हैं। तुलसी दास जी को मालूम हो जाता है या किसी दूसरे को मालूम हो जाता है, यह मैं नहीं कहता और न मैं विश्वास करता हूं कि किसी को इसके बारे में बताया भी गया होगा; परन्तु इस चीज को अचानक क्यों किया गया, इस बारे में मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं और मुझे आशा है कि वह इस पर अवश्य रोशनी डालेंगे।

यह जो राष्ट्रीयकरण किया गया है इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने दो एक बातें कही हैं। उन्होंने एक तो यह कहा है कि हम जो समाजवादी नकशे का समाज कायम करना चाहते हैं, यह चीज उसके अनुकूल है। परन्तु जो तात्कालिक कारण उन्होंने इस चीज को करने का दिया है वह यह है कि बहुत सी बुराइयां पाई गई हैं। कुछ बुराइयां हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच [भाषण] के दौरान में बयान भी की हैं ५ यह जो तात्कालिक कारण उन्होंने बताया है यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या जो १०–१० बार हमने इनश्योरेंस एक्ट को एमेंड किया उसका कुछ भी अच्छा असर नहीं हुआ ? क्या यह जो बुराइयां देखने में आई यह अभी आई हैं पहले कभी नहीं आईं ? यदि यह बुराइयां पहले सामने आई थीं तो क्या कारण है कि पहले इन बुराइयों को दूर करने का कोई रास्ता नहीं खोजा गया ?

क्या कारण है कि पहले राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जितनी भी पावर्ज [शक्तियाँ] सरकार को अभी तक दी गई थीं वह सब नेगेटिव पावर्ज [नकारात्मक शक्तियां] थीं। यही वजह थी कि सरकार अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं कर सकती थी और लोग जो गड़बड़ी करते थे उनको वह पकड़ नहीं सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे लोक कानून की प्रावीजन्स [उपबन्धों] से बच निकलते थे। मेरा कहना यह है कि जब सरकार कुछ पावर्ज अपने हाथ में लेती है तो क्या कारण है कि वह उनका अच्छी तरह से और सही ढंग से तथा सख्ती से प्रयोग नहीं करती है ? जब सरकार यह कहती है कि हम असमर्थ हैं तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अब जब कि सरकार इस व्यवसाय को अपने हाथ में लेने जा रही है तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह इसमें कैसे शुद्धता ला सकेगी। चाहे जो भी कमियां हों जो यह राष्ट्रीयकरण किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि काम करने से ही त्रुटियां नजर में आयेंगी और उन्हें दूर किया जा सकेगा। परन्तु साथ ही साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब इतने कानून बने हुए थे और सरकार के हाथ में इतनी शक्ति थी तो अवश्य ही जो कानून को एडमिनिस्टर [प्रशासित] करने वाले हैं क्या उनमें यह शक्ति नहीं थी कि वह इन सब चीजों को पहले से ही लाकर सरकार को समझा देते और जो लोग गलती करते थे उनको वह पकड़वा देते।

एक बात हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बड़े मार्के की कही। उन्होंने कहा कि यह जो इंश्योरेंस [बीमा] के काम में बुइरायां हो रही हैं ये न हों यदि कम्पनियों में जो अधिकारी हैं वे भीतर से यह समझें कि जो रुपया वे जनता से लेती हैं उसकी वे ट्रस्टी [प्रन्यास] हैं। उनका मतलब यह था कि आदमी में भीतर से ईमानदारी आनी चाहिये तभी काम ठीक हो सकता है। और जब तक यह बात नहीं होगी तब तक काम ठीक नहीं हो सकता। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अन्य देशों का उदाहरण दिया और बतलाया कि वहां पर लोग अपने को ट्रस्टी समझ कर काम करते हैं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे अन्दर इस प्रकार का कांशेंस डेवेलप [भावना का विकास] नहीं हुआ है कि हम ईमानदारी से काम करें। वे कहते हैं कि हमारे व्यापारी लोगों का कांशेंस अभी

[श्री झुनझुनवाला]

डेवेलप नहीं हुआ है कि वे ईमानदारी से काम करें ! इस सिलसिले में मैं बहुत अदब के साथ यह कहूंगा कि इसके साथ ही यह भी देख लिया जाय कि जो लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में और अन्य-अन्य कारपोरेशन्स आदि में काम कर रहे हैं उनका काशेंस किस प्रकार का है। यह देखना चाहिये कि वहां पर कितना नुक्सान हो जाता है और कितना बेकार खर्चा किया जाता है। मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि इस काम को हाथ में लेते हुए वह इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दे नहीं तो बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है और इससे सरकार की बदनामी होगी। हम एक बहुत बड़ी चीज का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं लेकिन अगर इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने वालों के मन में वह भावना नहीं रही जो कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बतलायी है, तो जिन लोगों को आज हम बदनाम कर रहे हैं उनको हमारी आलोचना करने का मौका मिल जायेगा। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा अच्छा होता यदि इसमें से कुछ काम सरकार इंश्योरेंस कारपोरेशन बीमा निगम बनाकर अपने हाथ में लेती और कुछ काम प्राइवेट एंटरप्राइज [गैर-सरकारी उपक्रम] के लिये रहने देती। ऐसा करने से यह मालूम हो सकता कि किस तरफ ज्यादा खराबी है और किस तरफ ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, और इसमें कम्पिटीशन [प्रतियोगिता] की वजह से कुछ डर भी रहता।

मैं आप को बता देना चाहता हूं कि यह जो राष्ट्रीयकरण किया गया है मैं एक दम इसके पक्ष में हूं। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से पब्लिक सेक्टर [सरकारी क्षेत्र] में आज काम हो रहा है, जिस तरह से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स [परियोजनाओं] में काम हो रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन (औद्योगिक वित्तनिगम) में काम हो रहा है, मैं यह बात जनरल [सामान्य] तरीके से कहता हूं जो आज सभी जानते हैं विस्तार रूप से कहने का समय नहीं है तो आज जैसी इस व्यवसाय की हालत व्यापारियों के फायदा उठाते हुए भी है वैसी भी नहीं रहने वाली है। इसकी ओर सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिये।

जब सरकार के किसी काम के बारे में आलोचना की जाती है तो हमारे शाह साहब उठकर कह देते हैं कि कोई स्पेसिफिक [विशिष्ट] उदाहरण बतलाया जाय। यह एक सेट सा जवाब हो गया है। कभी-कभी स्पेसिफिक उदाहरण भी बतलाया जाता है लेकिन उसके बारे में कोई लीगल प्रूफ [वैध प्रमाण] तो नहीं हो सकता। हमारे टंडन जी ने एक उदाहरण संसद् के सामने रखा था कि किस तरह से बुराइयां हो रही हैं परन्तु आखिर उसका क्या हुआ? यदि इसी प्रकार यह काम भी हुआ और जो एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की जाती है उस पर गम्भीरता से ध्यान न दिया गया और उसकी बुराई को दूर करने की कार्रवाई न की गई तो हम को लगता है कि इस काम में दिक्कत हो जायेगी।

अब हम को यह देखना है कि यह जो भीतर का कांशेंस है वह किस तरह से ईमानदार हो। मथाई साहब के समय में यहां करप्शन [भ्रष्टाचार] के बारे में बहुत चर्चा होती थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि संसद् में हम चाह जितने कानून बनावें, चाहे एक दूसरे को जितनी भी गालियां दें पर इससे कुछ नहीं होगा। इन बुराइयों को दूर करने का सब से अच्छा उपाय यह है कि हम लोग अच्छ ट्रेडीशन क्रिएट करें [अच्छे उदाहरण बनायें]। हम ऐसी भावना पैदा करें कि जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, उनको चाहे कानून द्वारा सजा न हो सके, पर उनको समाज में आदर का स्थान न दिया जाये जैसा कि ईमानदार आदमी को दिया जाय। आजकल तो यह हो रहा है कि जो ईमानदारी से काम करता है उसको लोग वेबकूफ समझते हैं और जो बेईमानी से काम करता है उसको (समाज में भी) बड़ी से बड़ी जगह दे दी जाती है। मैं यह किसी व्यक्ति विशेष के लिये नहीं कह रहा हूं। परन्तु हम को इस भावना को लाने की चेष्टा करनी चाहिये कि बुरा काम करने वाले यह समझें कि यदि वे ऐसा काम करेंगे तो समाज में उनका कोई स्थान नहीं है।

मैं आप को बतलाता हूँ कि जब सन् १९३७ में सूबों में कांग्रेस की हुकूमत आयी तो उस समय, मैं किसी सूबे का नाम तो नहीं लूंगा, एक धमधमा सा मच गया और कहा जाता था कि अब कांग्रेस की मिनिस्ट्री आ गई है, अब अगर कोई ऐसी बुरी बात हुई तो बड़ी भारी आफत आ जायेगी। लोग उस समय गलत काम करने से डरने लगे थे। परन्तु जब लोगों ने सूबों में पार्टियों की पालिटिक्स (दल बन्दी) को देखा तो उनके मन में यह बात आयी कि अगर हम पहले की तरह ही काम करते जायें तो कोई डर नहीं है। और उस समय यहां तक कहा जाने लगा कि ब्रिटिश काल में जो इस तरह की बुराइयां थीं वे और ज्यादा बढ़ गई हैं!

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर उत्तर-पश्चिम) : यह ठीक ही है।

श्री झुनझुनवाला : यह तो मैं नहीं कह सकता। पहले भी ये बातें थीं और उसी समय की ये देन हैं।

तो मैं यह कह रहा था कि हम लोगों ने इंश्योरेंस (बीमा) के राष्ट्रीयकरण की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इस काम में फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्कीम योजना के अनुसार जनता के आम लोगों का रुपया आवेगा। अगर देहात में जाकर अच्छी तरह से फील्ड वर्क किया जाये तो इसमें बहुत रुपया आवेगा। देहातों में लोगों के पास अपना पया सुरक्षित रखने के लिये स्थान नहीं होता, वे ब्रान आदि में रुपया रखते हैं जिससे उनका नुक्सान हो जाता है। अगर देहात में काफी फील्ड वर्क किया जाय तो काफी रुपया मिल सकता है। परन्तु मेरा फिर भी यह कहना है कि जिस प्रकार अभी तक बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स (परियोजनाओं) में और इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन (औद्योगिक वित्त निगम) में काम हुआ है, जहां कि करोड़ों रुपये का नुक्सान हो जाता है, यदि उसी तरह से यहां भी काम हुआ तो बहुत बड़ा नुक्सान होने वाला है।

यदि यह संक्सैसफुल (सफल) हुए और हमारे जो ऐडमिनिस्ट्रेटर्स (प्रशासक) हैं उन्होंने योग्यता-पूर्वक अपने कर्त्तव्य को निभाया तो हम यकीनन् अपने मकसद में कामयाब होंगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़े मार्के की बात कही कि यह चीज़ तभी ठीक से चल सकती है जब इसके चलाने वाले लोग यह समझ कर काम करें कि यह रुपया दूसरे का है, हम को ईमानदारी से काम करना चाहिये, और अगर हमने उसमें ज़रा भी असावधानी बर्ती या गड़बड़ी की तो हमें पाप लगेगा और हमारा यह एक बड़ा अनैतिक काम होगा। लेकिन अगर हमने अनैतिकता को पाप न समझा और ईमानदारी से काम न लिया तो बड़ा घपला होने वाला है। बस मैं इतना ही कह कर अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूँ। पर जो दो बातें मैंने कही हैं उन पर फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेटर्स (सार्वजनिक प्रशासक) पूर्ण रूप से ध्यान रक्खें ताकि हम लोग जिनका कि काम हमने अपने हाथ में लिया है उन लोगों को यह कहने को न हो जाये कि आपने हमारा काम हम से ले तो लिया लेकिन जिस खूबी से हम उसको चला रहे थे आप नहीं चला सके और उसको खराब कर दिया।

ठाकुर युगलकिशोर सिंह : जो बिल (विधेयक) हमारे सामने पेश किया गया है, उसमें एक चीज़ की कमी मैं देखता हूँ। उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट (योजना आयोग का प्रतिवेदन) मैंने देखी है और उसकी ड्राफ्ट आउटलाइंस (मसविदे की रूप रेखा) को पढ़ा है उसमें कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) और पब्लिक सेक्टर सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ एक कोआपरेटिव सैक्टर (सहकारी क्षेत्र) का निर्माण होगा और कोआपरेटिव्स (सहकारी समितियों) के द्वारा हमारा बहुत कुछ काम चलेगा। हमने बहुत पहले अपना मकसद एक कोआपरेटिव कामनवेल्थ (सहकारिता पर आधारित समाज) बनाने का तय किया था और उसके बाद भी आज जो एक सोशलिस्ट सोसाइटी (समाजवादी

[ठाकुर युगल किशोर सिंह]

रूप रेखा का समाज) की बात कही जाती है, उसमें कोआपरेटिव का मुख्य स्थान है। यह चीज़ साफ हो चली है कि आज के दिन वही समाज क़ायम रह सकता है जो पारस्परिक सहयोग के आदान प्रदान के आधार पर स्थापित किया जाये। केवल कानून के सहारे और सिर्फ सरकारी अफ़सरों के हाथ में सारी चीजें रखकर आप उसे उस योग्यता और खूबी के साथ नहीं बना सकते हैं जिस योग्यता और खूबी के साथ आप उसको कोआपरेटिव के सहारे चला सकते हैं। अभी थोड़े दिन हुए सारे भारत वर्ष की कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटियों (सहकारी बीमा समितियों) का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसमें उन्होंने यह तय किया था कि हिन्दुस्तान में जितनी कोआपरेटिव बीमा सोसाइटियां हैं, उनका एकीकरण किया जाय और एकीकरण के आधार पर आगे का काम हो। मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जिन बुराइयों का अर्थ मंत्री ने हवाला दिया है और जिनके कि कारण उन्होंने इंश्योरेंस कम्पनीज़ के मैनेजमेंट (प्रबन्ध) को अपने हाथ में लिया है और नेशनलाइज़ेशन (राष्ट्रीयकरण) से जो फायदा वे समझते हैं कि उनको होने वाला है और जो वे समझते हैं कि ऐसा कदम उठाने से हमारे पास काफी रुपया आयेगा और लोगों का विश्वास हम पर जमेगा, लोगों का सहयोग हमें मिलेगा, मैं समझता हूँ कि ये सब बातें कोआपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटियां जितनी हैं उन पर लागू होती हैं। आप कहते हैं कि ऐसी कम्पनियां बहुत ज्यादा प्राफिट (लाभ अर्जन) कर रही हैं लेकिन जहाँ तक कोआपरेटिव्स् का सवाल है, मैं बतलाना चाहता हूँ कि कोआपरेटिव सोसाइटियों के प्राफिट के ऊपर बहुत बड़ा प्रतिबन्ध है। उनके ऊपर रजिस्ट्रार (पंजीयक) कोआपरेटिव सोसाइटीज़ होता है जो उनके काम की देखरेख रखता है। इंश्योरेंस ऐक्ट (बीमा अधिनियम के अलावा) और कोआपरेटिव ऐक्ट (अधिनियम) का प्रतिबन्ध उन पर होता है। अफसरान बराबर उन पर नियंत्रण रखते हैं और उनके काम आदि की बाबत जांच वगैरह करते रहते हैं। जहां तक उनकी आय व्यय के निरीक्षण का सवाल है, वह भी सरकारी अफ़सरों द्वारा होता है और सरकारी आडिटर (लेखापरीक्षक) उनके आय व्यय का निरीक्षण करते रहते हैं। अगर कुछ प्राफिट निकलता है तो इंश्योरेंस के बीच में वह बंट जाता है। देहातों में जहां पर बहुत कम आय वाले लोग रहते हैं उन लोगों ने कोआपरेटिव सोसाइटियां क़ायम की हैं और उनको चलाने की कोशिश की है और जो पैसा उससे पैदा होता है वह समाज कल्याण के कामों में खर्च किया जाता है। सोसाइटीज़ के जो मेम्बर होते हैं उनके ऊपर किसी तरह का सरचार्ज नहीं लगाया जाता है और अगर उसे रक़म वापिस देने में कुछ विलम्ब भी हो जाता है तो सोसाइटी में लोगों को उसकी ईमानदारी और नेकनीयती में विश्वास रहता है क्योंकि आख़िर सब लोगों के सहयोग पर ही तो यह सोसाइटियां चलती हैं। हमारा और अर्थ-मंत्री महोदय दोनों का यह मक़सद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सहयोग दें ईमानदारी से काम हो और ज्यादा योग्यता से उस काम को चलाया जाय तब मैं समझता हूं कि उन्होंने जो इस ऐक्ट द्वारा सारा कार्य भार अपने हाथों में लेने का इरादा किया है, उससे इन कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को अलग कर दें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने मक़सद में कामयाब होंगे और तब कोआपरेटिव सेक्टर (सहकारी क्षेत्र) का अच्छा विकास इस देश में हो सकेगा और प्लानिंग कमिशन (योजना आयोग) ने जो लक्ष्य और उद्देश्य देश के सामने रक्खा है, वह पूरा हो सकेगा।

पंडित के० सी० शर्मा : (जिला मेरठ—दक्षिण) : मैं वित्त मंत्री महोदय को इसके लिये बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस इंश्योरेंस (बीमा) के व्यवसाय को राष्ट्रीयकरण करके अपने हाथ में लिया। कुछ क्षेत्रों में जो यह कहा जा रहा है कि इन प्राइवेट (गैर सरकारी) कम्पनियों ने बहुत अच्छी तरह काम किया और उसके लिये वे जनता की बधाई की पात्र हैं, मैं इसमें उनसे सहमत नहीं हूँ और उसका कारण यह है कि किसी आदमी या किसी संस्था ने कैसा काम किया, वह तो अन्य

देशों में उसी क़िस्म के व्यवसाय में लगी हुई संस्थाओं और उनमें काम करने वालों के काम से मुक़ाबला करके जाना जा सकता है। इस सम्बन्ध में जो फिगर्स (आंकड़े) हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब ने दिये उनके देखने से यह मालूम होता है कि किसी भी तरीक़े से हमारे देश के इंश्योरेंस के व्यवसाय में लगे हुए काम करने वालों ने कोई ऐसा प्रशंसनीय काम नहीं किया और ऐसी कोई प्रगति नहीं दिखलाई जिसके लिये वे बधाई के पात्र कहे जा सकते हों। यह उन लोगों के लिये बड़े शर्म की बात है कि उस व्यवसाय में जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है और जो उनके पास धरोहरस्वरूप मौजूद हो और हमारे वहां बहुत प्राचीन समय से जो यह चीज़ चली आ रही है कि जो अमानत अथवा धरोहर का रुपया हो, उसको बहुत सम्हाल कर रखना चाहिये और उसको एक धर्म की नीति और नैतिकता की नीति से देखना चाहिये और उसका दुरुपयोग न करना चाहिये, उसको गलत तरीक़े से इस्तेमाल न करना चाहिये, इस तरह की बहुत पुरानी प्रथा हमारे देश में चली आई है,, उसके बावजूद उस अमानत और धरोहर के रूप में रक्खे हुए रुपये का दुरुपयोग किया जाय, उसके सम्बन्ध में बदनीयती से काम किया जाय और उस रुपये का अपने व्यक्तिगत लाभ के स्वार्थवश इस्तेमाल किया जाय। तो, यह उन्हीं लोगों के लिये नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के लिये लज्जा जनक बात है। आज के दिन हमारा देश एक ऐसी जगह खड़ा है जिस पर कि कोई देश गर्व कर सकता है और दुनिया में आज हमारी जो ख्याति है अगर हमें उस ख्याति को बनाये रखना है और देश का नवनिर्माण करना है और अपने देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है और प्रगतिशील देशों की अग्रिम पंक्ति में ले जाकर उसको खड़ा करना है तो उसके लिये ज़रूरी हो जाता है कि हमारे ईमानदारी से काम करने के तरीक़े का और हमारी क़ाबलियत के साथ अपने काम को अंजाम देने का सिक्का सारी दुनिया में जम जाना चाहिये। मुझे यह कहते हुए अफ़सोस होता है कि उस तमाम व्यौरे वर्णन से जो कि फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने पेश किया, उससे हमारे देश की ख्याति को धक्का पहुँचता है और हमारा देश नीचे गिरता है। यह प्रश्न केवल एक इंश्योरेंस या एक आध व्यवसाय का नहीं है बल्कि इसमें खराबी होने से और ठीक से काम न होने के कारण हम को जो क्रेडिट मिलने वाला है उसको धक्का पहुँचता है और उससे हमको अधिक हानि पहुंचती है बजाय उस ५० करोड़ या १०० करोड़ रुपये के, जिसकी कि लालच में आकर कोई बदमाश आदमी, कोई बदनीयत आदमी या कोई चालाक आदमी नफ़ा कमा सकता है। यह कुछ चन्द आदमियों का नफा कमाने क प्रश्न नहीं है, बल्कि देश का जो क्रेडिट (क्रय) है, जो देश की ख्याति है, देश में जो काम करने का तरीका है और देश में जो काम करके सफलता प्राप्त करने की नीति है, उस को धक्का पहुँचता है, और जिस परिस्थिति में आज हम हैं वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि हमारी ख्याति, हमारा क्रेडिट, संसार में गिरने पावे।

एक प्रश्न उठता है, जैसा कि झुनझुनवाला साहब ने कहा, कि साहब, यह काम अचानक तरीके से क्यों किया गया? अशोक मेहता साहब ने कहा कि हम लोगों को कांफिडेन्स में क्यों नहीं लिया गया, हम लोगों से राय क्यों नहीं ली गई? मैं समझता हूँ कि इस मामले में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब और हमारी सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने जल्दी से जल्दी काम किया क्योंकि उनको डर था कि बहुत कुछ ऐसी जोड़ तोड़ हो सकती है जिससे जनता को नुक्सान पहुँचता। यह प्रश्न कि हम इस को नैशनलाइज करेंगे, इसको राष्ट्रीय प्रबन्ध में लेंगे, यह बात जनता के सामने थी और कोई समझदार आदमी नहीं था जो ऐसा न समझता हो कि एक न एक रोज जल्दी ही यह सरकार इस व्यवसाय पर कब्जा करेगी। सरकार के लिये कब्जा करना जरूरी हो गया, इसलिये कि जहां तक अर्थिक, सामाजिक तथा ऐडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनिक) सवाल है, उनको कुछ दिन के लिये टाला भी जा सकता है, कुछ उसकी तहकीकात कर सकते हैं, उसके अनुसार हम नफा दे सकते हैं, उसके अच्छे काम करने का तरीका निकाल सकते हैं और उसको एक या दो साल के लिये छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ऐसा प्रश्न आ जाता

[पंडित के० सी० शर्मा]

हैं जिसको हम नैतिक पतन ही नहीं बल्कि कानूनी जुर्म भी कह सकते हैं, जब नौबत यहां तक आ सकती है तब कोई भी ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) कोई भी राज्य इस सवाल को नहीं टाल सकता। जब तक यह सवाल आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता था, सामाजिक नीति से देखा जा सकता था, राष्ट्रीय नीति की बुराई या भलाई के दृष्टिकोण से देखा जा सकता था, उस वक्त तक कुछ समय बढ़ भी सकता था, लेकिन जब तहकीकात से यह बात मालूम हुई कि इस में कानूनी जुर्म हो रहा है, लोगों का रुपया, जनता का रुपया व्यक्तिगत नफे के लिये कानून के विरुद्ध इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई भी सरकार जो कि गड्ढे में जाने के लिये तैयार न हो, इसको एक दिन के लिये भी टाल सकती थी। यह तो बड़ा अच्छा हुआ कि सरकार ने ठीक वक्त पर ठीक काम किया। इस काम के लिये मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बधाई देता हूँ। यह प्रश्न नहीं था कि सरकार को लोक-सभा पर कांफिडेन्स (विश्वास) नहीं था, या उससे सलाह नहीं ली गई, या उस को साफ बतलाया नहीं गया। मैं समझता हूँ कि इस मामले में एक आदमी की हत्या हो जाय या कुछ एक आदमियों पर अत्याचार होता हो, इसकी बनिस्बत यह जुर्म ज्यादा संगीन है कि देश की ख्याति को खतरे में डाला जाय और बेगुनाह इंसानों का, जो इस मामले में ज्यादा नहीं जानते हैं, रुपया नाजायज़ तौर पर खर्च करके फायदा उठाया जाय। इसलिये सरकार ने ठीक काम किया, और उस को ठीक काम करना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कुछ लोग कहते हैं कि, साहब, इस कदम से जो इंश्योरेन्स कंपनीज थीं उनको नुक्सान पहुँचेगा और हम लोगों को जिन्होंने सरकारी तरीके से काम किया है, उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी कि उन आदमियों को जिन्होंने प्राइवेट (गैर-सरकारी) तरीके से और व्यक्तिगत रूप से इस व्यवसाय को किया। मुझे ज्यादा आंकड़े तो नहीं मालूम हैं, लेकिन इंश्योरेन्स कंपनियों के कुछ मुकदमे मैंने लड़े हैं। मैं सन् १९३६ में १८ मुकदमों में वकील था। उन १८ मुकदमों में ६ तो ऐसे थे जिनमें उन आदमियों का इंश्योरेंस था जो कि जिन्दा नहीं थे, ६ ऐसे थे जिन के अन्दर तपेदिक के मरीजों का इंश्योरेंन्स था, कुछ ऐसे थे जिनका प्रीमियम (बीमे की किश्त) दूसरे आदमी उन आदमियों के नाम से देते थे जिन के नाम में इंश्योरेंन्स था, वह ऐसे आदमी थे जिन का उन मामलों से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इस तरह के इंश्योरेंस ज्यादा हों या कम हों, यह बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर कह सकता हूँ कि इंश्योरेंस ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा रुपया इकट्ठा हो, या कम इक्ट्ठा हो लेकिन कोई भी सरकार, जो कि सरकार कहलाने का दावा कर सकती है, इन हालात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी इन्डस्ट्री (उद्योग) चले या न चले, लेकिन ऐसे आदमियों का इंश्योरेंस जो कि जिन्दा भी न हों, यह एक अजीब तमाशा है। इन्शोरेन्स कामयाब हो या नाकामयाब हो, यह दूसरा सवाल है, लेकिन कोई भी सरकार जो इस बात की इजाजत दे दे या खुला हाथ छोड़ दे कि एक आदमी जुर्म करे, रुपया कमाये और आराम से घर में रहे तथा एक बाइज्जत आदमी की हैसियत से शहर में ईमानदारी का ढोल पीटता फिरे, वह मैं समझता हूँ कि इस समाज के संचालन के लायक नहीं है। कोई भी सरकार इन हालात को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। सच पूछा जाय तो यह काम बहुत देर में हुआ, यह बहुत जल्दी ही होना चाहिये था। सन् १९५० में जबकि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वार्निंग (चेतावनी) दी थी, उसके कुछ दिन बाद ही तहकीकात करने के बाद इंश्योरेंन्स को नैशनलाइज कर देना चाहिये था। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। वह कौन सरकार हो सकती है जो इसे बर्दाश्त कर सके वह कौन समाज हो सकता है जो इसकी इजाजत दे कर भी सभ्य कहलाने का दावा कर सके ? मेरी राय में तो, जैसा मैं ने पहले भी दो बार कहा, फाइनेन्स मिनिस्टर ने यह बड़ा अच्छा काम किया और मुझे इस में शुबहा नहीं है कि इस को जल्द से

जल्द होना चाहिये था। मैं कुछ दिन पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी (लोक लेखा समिति) का मेम्बर (सदस्य) रहा और मैंने देश को देखा, इसमें कोई शुबहा नहीं है कि कहीं-कहीं लोग कुछ सुस्त थे, कहीं-कहीं रुपया इस तरीके से खर्च किया गया जिसे मुनासिब नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि कुछ लोगों ने जिस मेहनत से और ईमानदारी से काम किया उसकी इस देश में बहुत कम आशा थी और जो सफलता उनको प्राप्त हुई उसकी भी आशा नहीं थी। यह माना कि चूंकि हमें रुपये की तादाद बड़ी दिखाई देती है, कहीं-कहीं लाखों रुपये का सीमेंन्ट खराब हुआ, लोहा इतना ज्यादा खरीदा गया, कहीं पर इतना ज्यादा सामान खरीदा गया कि वह बीस बरस में भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन जिस आदमी को एक बड़ा मकान बनाना होता है अगर वह ईंटों की गिनती करने लगे तो मकान कभी भी नहीं बना सकता। जितनी चीजें बड़ी होती हैं उनमें खराबी भी होती हैं, कुछ बड़ी गल्तियां भी होती हैं, लेकिन बड़े काम को इस तरह से जांचना होता है कि उसमें सफलता कितनी प्राप्त होती है। और जिस सफलता की ओर वह जाता है कितनी आवश्यक है और कितनी जल्दी होनी चाहिये। अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो सरकार ने जो कुछ किया वह प्रशंसनीय है, उसकी तारीफ हो सकती है, उसका जो खाता है वह मुनफी (घाटे) में नहीं है बल्कि वह क्रेडिट साइड (जमाखाता) में है, उन्नति की ओर ले जाता है, उसमें कुछ करना धरना नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की बात है। सरकार क पास बजाय प्राइवेट (गैर-सरकारी) कम्पनी के बहुत से ऐसे जराये हैं, उसके पास ऐसी शक्तियां हैं, उसके पास ऐसे तरीके हैं जिनके जरिये इस व्यवसाय में काफी वृद्धि होने की संभावना है। सब से बड़ी बात यह कि मान लीजिये १६५ कम्पनियाँ हैं, उनके पास लम्बे चौड़े स्टाफ (कर्मचारी) हैं, बहुत से कर्मचारी हैं, उनकी बड़ी तनख्वाहें हैं और बहुत कुछ रुपया फुजूल जाता है, अगर सरकार उसको एक सेन्टर में बन्द करे और उसके खर्चे को कुछ कम कर सके जो जनता का रुपया फुजूल जाता है कुछ लोगों के पास, इसलिये फुजूल नहीं जाता कि वह भी हिन्दुस्तानी हैं और उनको इम्पलायमेंट मिला हुआ है बल्कि जो जनसाधारण हैं उनके लाभ की दृष्टि से फुजूल जाता है और वह बच सकता है। इस तरह से वह खर्चा बहुत कुछ कम हो सकेगा और वह रुपया जनता के लाभ में सरकार खर्च कर सकेगी। इस दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि सरकार ने यह काम बड़ा अच्छा किया और इस से सरकार को फायदा होगा।

जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा कि हमारा २९ प्रतिशत खर्च हुआ जब कि दूसरे देशों में ढाई परसेंट (प्रतिशत) पांच, पन्द्रह और सत्तरह परसेंट (प्रतिशत) खर्च हुआ तो इस से हम को बड़ी शरम आनी चाहिये। दुनिया में सब से ज्यादा खर्च सब से ज्यादा गरीब आदमियों के रुपये पर किया जाय इस से ज्यादा लज्जाजनक बात क्या हो सकती है, और कैसे इस बात की इजाजत दी जा सकती है, कैसे यह बर्दाश्त किया जा सकता है कि सब से गरीब देश में, सब से कम इंश्योरेन्स होने वाले देश में, सब से ज्यादा खर्च किया जाय ?

जितना ज्यादा अमीर देश है वह तो ज्यादा खर्च कर सकता है। उस देश के रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग (जीवन स्तर) भी ऊंचा होता है, रहन-सहन का स्तर ऊंचा होता है लेकिन हमारा देश जो एक बहुत गरीब देश है और बहुत गरीबी के दिन लोग गुज़ारते हैं, बहुत कम पैसा लोग जमा कर पाते हैं, उसके लिये २९ प्रतिशत का खर्च मैं बहुत ज्यादा समझता हूँ और इसको मैं अनैतिक तथा धर्म और नीति के विरुद्ध मानता हूँ। इतने ज्यादा खर्च को किसी भी तरह से सहन नहीं किया जा सकता।

बिज़िनेस (व्यापार) के सिलसिले में कहा गया है कि जब से आर्डिनेंस आया है जो काम करने वाले हैं उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है और वह कोई काम नहीं कर रहे हैं और सब

[पंडित के० सी० शर्मा]

काम ठप्प पड़ा है। मैं समझता हूँ कि जब भी इस तरह की तबदीली आती है तो थोड़ा सा ढीलापन अवश्य आ जाता है। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है और जिसके साथ मैं एग्री करता (सहमत) हूँ, कि हमें निराश नहीं होना चाहिये, और न ही- निराशा की झलक हमारे चेहरे पर आनी चाहिये। इंश्योरेंस के लिये बहुत स्कोप (क्षेत्र) है और ज्यों-ज्यों हमारे देश के लोग शिक्षित होते जायेंगे, ज्यों-ज्यों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता जायगा इंश्योरेंस शहरों से निकल कर गांवों में भी फैलता जाएगा। हम यही उम्मीद होती है कि इंश्योरेंस बढ़ेगी और यह धारणा कि अगर यह प्राइवेट सैक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) में रहती तो ज्यादा बढ़ती और अब सरकारी क्षेत्र में आने से घटेगी, कुछ कनविंसिंग (विश्वसनीय) मालूम नहीं देती है।

जहां तक हर चीज़ को नेशनलाइज़ करने का सवाल है जैसा कि मेहता साहब ने कहा है, मैं समझता हूँ कि इस सभा में कोई भी इस दृष्टिकोण को नहीं रखता है कि हर एक व्यवसाय या हर एक चीज़ या हर एक काम को या हर एक धंधे को नेशनलाइज़ किया जाये। प्रश्न यह है कि यदि हमें नेशनलाइज़ करना है तो इंश्योरेंस (बीमा) और बैंकिंग (बैंक व्यवसाय) को जरूर नेशनलाइज़ करना चाहिये। इस चीज़ पर सरकार को विचार करना चाहिये क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो बहुत सा रुपया सरकार के हाथ में आ जायेगा जिसको कि वह जनता के लाभ के लिये लगा सकेगी। आज देखने की चीज़ यह है कि कहां से हमें अधिक से अधिक रुपया प्राप्त हो सकता है जिसे कि हम देश को संवारने में, देश को ऊंचा उठाने में देश के नव निर्माण में, लगा सकें। यह प्रश्न आज सरकार के सामने सब से गम्भीर प्रश्न है। इसलिये मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस और बैंकिंग दो ऐसे व्यवसाय हैं जिनको कि सरकार को अवश्य ही अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। यदि किसी भी विशेषज्ञ की इसके बारे में राय पूछी जाये कि किन-किन व्यवसायों पर सरकार का अधिकार होना चाहिये तो वह अवश्य ही कह देगा कि यह दो व्यवसाय ऐसे हैं जिन पर कि सरकार का ही अधिकार होना चाहिये।

अन्त में मैं फिर यह कहना चाहता हूँ कि जो स्टेप (कदम) हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उठाया है वह जनता के लिये भी और सरकार के लिये भी लाभदायक सिद्ध होगा। इससे जनता जो रुपया इंशोरेंस के प्रीमियम (किश्त) के रूप में देगी उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा और सरकार द्वारा इस व्यवसाय को चलाये जाने से खर्च में भी कमी होगी। साथ ही साथ जो रुपया सरकार को प्राप्त होगा उसका इस्तेमाल देश को ऊंचा उठाने के लिये होगा जिससे कि अन्त में लोगों का ही फायदा होगा।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : यह जो विधेयक सभा के सामने उपस्थित किया गया है इसका मैं स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को लाकर सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव सरकार के सम्मुख पेश करने हैं।

यह काम जो सरकार अपने हाथों में लेने जा रही है। यह बहुत बड़ा काम है और यह अच्छा होता यदि केन्द्रीय शासन इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने के बजाय राज्य सरकारों को यह काम सौंप देता। यदि ऐसा होता तो मैं समझता हूँ कि यह काम बहुत आसानी और सहूलियत से हो सकता था।

यह तो आप को मालूम है कि हमारे देश में इंश्योरेंस का काम सबसे पहले मैसूर राज्य में शुरू किया गया था और उस राज्य ने अपने तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिये जीवन बीमा कराना

अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद दूसरी देशी रियासतों ने भी मैसूर का अनुकरण किया और बीमा व्यवसाय चलाया। इसमें त्रावणकोर-कोचीन, हैदराबाद, इंदौर, ग्वालियर, बीकानेर, बड़ौदा आदि हैं, इन रियासतों की सरकारों ने भी स्टेट इंश्योरेंस (राज्य बीमा) कायम कीं और वहां के राज्य कर्मचारियों के लिये इंश्योरेंस कराना अनिवार्य कर दिया। साथ ही साथ कुछ राज्य सरकारों ने पब्लिक (जनता) के लिये भी एक विभाग जीवन के बीमे का अलग खोल दिया और राज्य के कर्मचारियों के साथ ही साथ पब्लिक को भी इसके अन्तर्गत ले आई। इसका काफी स्वागत हुआ। तो मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार पर काफी बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी-बड़ी योजनाओं को उसे पूरा करना है और बहुत से निर्माण कार्य करने हैं। इसलिये यह अच्छा होता यदि इंश्योरेंस को चलाने का काम राज्य सरकारों के सुपुर्द कर दिया जाता। ऐसा करने से, मेरे विचार में, यह काम ज्यादा योग्यता से और ज्यादा सफलतापूर्वक चलाया जा सकता था। हां इतना मैं अवश्य चाहता हूँ कि इसका नियंत्रण, इसका सुपरविजन (अधीक्षण) पालिसी निर्धारण का काम, केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में रखे। अब तो राज्यों की संख्या भी कम होने जा रही है और राज्य भी बड़े-बड़े बनने जा रहे हैं, इसलिये भी यह कार्य उन्हीं को सौंप दिया जाना चाहिये।

जैसा कि मैंने अभी कहा कि दूसरे राज्यों ने जो भी कार्य किये हैं, और जिनमें उनको सफलता प्राप्त हुई है, उसका हमें अनुकरण करना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह अपनी तनख्वाह में से बहुत कम बचा सकते हैं। अगर वे अपने आपको इंश्योर (बीमा) करवा लें तो इससे उनके पास सेविंग करने का, धन बचाने का, एक जरिया आ जाएगा। इसलिये मैं चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य कर दी जाये। जिन राज्यों में भी यह हुआ है, यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मुझे अपने विद्यार्थी काल में स्टेट इंश्योरेंस के एक दफ्तर में काम करने का मौका मिला है, कि इसका कर्मचारियों पर बहुत अच्छा असर पड़ा है और उन्होंने इसका स्वागत किया है। उन्होंने इसको बचत का एक बहुत अच्छा ज़रिया माना है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमने यह स्वीकार किया है कि द्वितीय योजना को पूरा करने के लिये हमें छोटी-छोटी बचतों पर भी निर्भर करना पड़ेगा और छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है, इस लिये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह सरकारी दफ्तरों में हों या स्टेट अंडरटेकिंग्ज़ (राज्य उपक्रमों) में हों, या बड़े-बड़े कारखानों में हों, उन सब के लिये यह लाइफ इंश्योरेंस कम्पलसरी (अनिवार्य) कर दिया जाये तो लोगों में बचाने की आदत पड़ जायेगी। और बहुत सा पैसा देश के निर्माण कार्यों में लगाने के लिये हमें उपलब्ध हो सकेगा।

जब राज्य ने बीमा व्यवसाय को अपने हाथ में ले लिया है तो यह बात जरूरी है कि काम में किसी प्रकार की ढील न हो। सरकार को चाहिये कि वह यह देखे कि जनता में यह भावना पैदा हो और लोग यह अनुभव करें कि जितनी जल्दी कम्पनियों में काम होता था, और प्रीमियम के पेमेंट (बीमे के किश्त का भुगतान) की और मैडीकल एग्जामिनेशन (डाक्टरी परीक्षण) आदि की जो सहूलियतें कम्पनियों में थीं वे कम न हों और जनता का काम विलम्ब से न हो जिससे कि जनता को परेशानी हो। यह काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा यह व्यवसाय लोकप्रिय हो सकेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २ मार्च, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १ मार्च, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५

गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३२४, दिनांक १४ फरवरी, १९५६ में प्रकाशित लेख्य-प्रमाणक नियमों, १९५६ की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ... ५३५

इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६–७६

अनुपूरक अनुदानों की सभी मांगें पूर्णतया स्वीकार कर ली गईं ।

विधेयक पुरःस्थापित ५७६

विनियोग विधेयक ।

विधेयक पर विचार ५७६–९१

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक पर और आगे विचार हुआ । विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शक्रवार, २ मार्च, १९५६ के लिये कार्यावलि—

विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण । जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर और आगे विचार ।

M85/13LSD—190—30-9-57—GIPF.